ISSN-0971-8397

# योजना

अप्रैल 2018 विकास को समर्पित मासिक ₹ 22

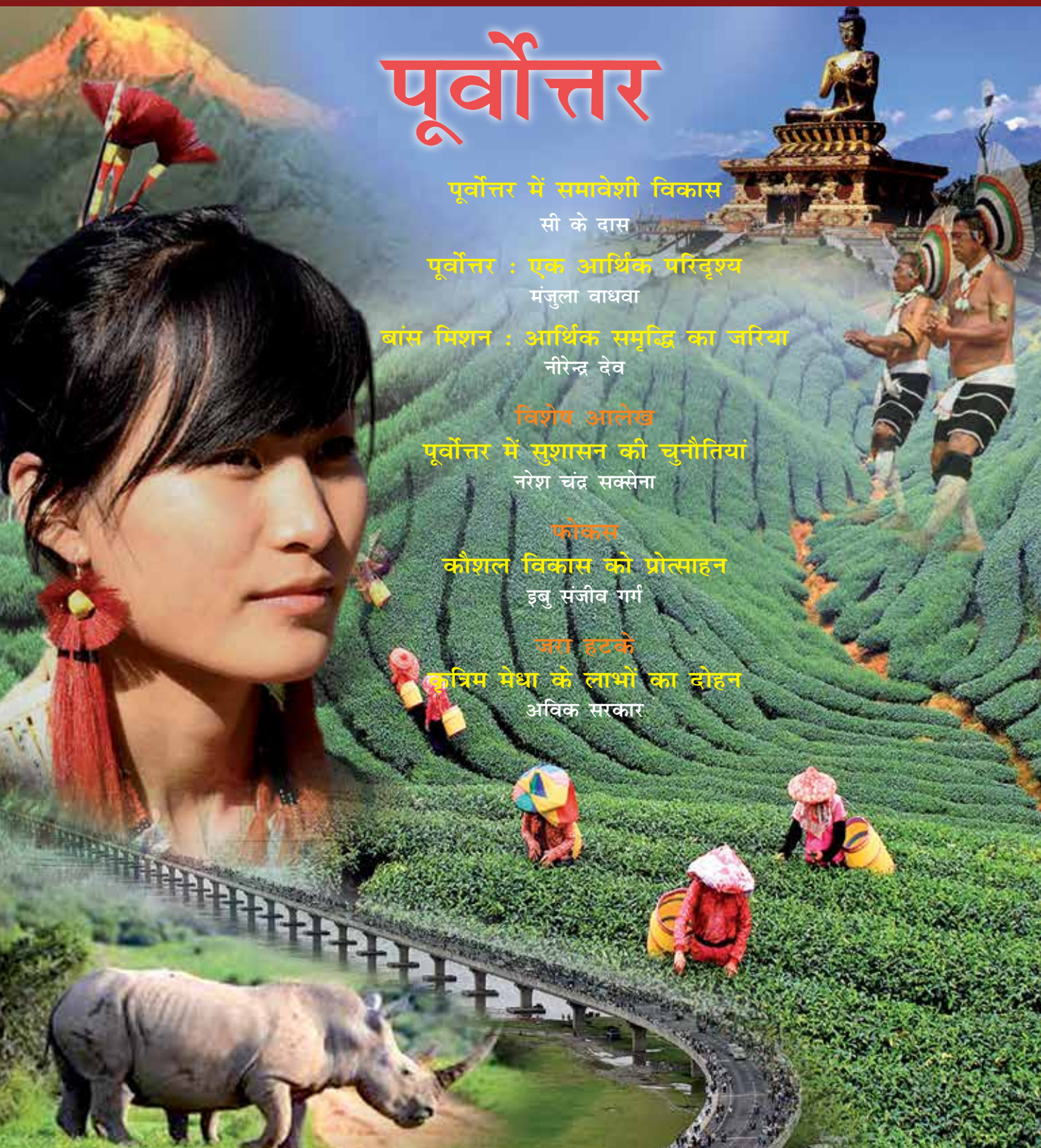



# पूर्वोत्तर

**पूर्वोत्तर में समावेशी विकास**
सी के दास

**पूर्वोत्तर : एक आर्थिक परिदृश्य**
मंजुला वाधवा

**बांस मिशन : आर्थिक समृद्धि का जरिया**
नीरेन्द्र देव

**विशेष आलेख**
**पूर्वोत्तर में सुशासन की चुनौतियां**
नरेश चंद्र सक्सेना

**फोकस**
**कौशल विकास को प्रोत्साहन**
इबु संजीव गर्ग

**जरा हटके**
**कृत्रिम मेधा के लाभों का दोहन**
अविक सरकार

# प्रधानमंत्री ने किया राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया और देश के सभी 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) अभियान के विस्तार की शुरुआत की। उन्होंने प्रभावी सामुदायिक भागीदारी, पीसी और पीएनडीटी अधिनियमों (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के कार्यान्वयन और बालिकाओं की शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को पुरस्कृत भी किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लड़कों के समान ही लड़कियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा की पहुंच पर जोर दिया। इस बात पर बल देते हुए कि *बेटियां बोझ* नहीं हैं, उन्होंने कहा कि लड़कियां हमारे देश के लिए गौरव और समृद्धि का जरिया बन रही हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। बीबीबीपी की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक फोटो जर्नी बुक जारी की जिसमें विभिन्न जिलों की नई व अनूठी पहल की तस्वीरें शामिल हैं।

# बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार

प्रधानमंत्री ने बीबीबीपी के शुभारंभ होने के बाद राजस्थान में जन्म लेने वाली 200 बालिकाओं और माताओं से बातचीत की। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है। राज्यों/जिलों की सक्रिय भागीदारी से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। 2014-15 में जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 था, जो 2016-17 में बढ़कर 926 हो गया है। इस सफलता से उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को संपूर्ण देश के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। 2017-18 से 2019-20 तक के लिए बीबीबीपी योजना के तहत कुल 1132.5 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। ❑

# योजना

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610

• वर्ष:62 • अंक 04 • कुल पृष्ठ:68 • अप्रैल 2018 • चैत्र-वैशाख, शक संवत् 1940



प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन):
गोपाल के एन चौधरी

आवरण: गजानन पी धोपे



पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453
ईमेल: pdjucir@gmail.com

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हमारी वेबसाइट तथा योजना हिन्दी के फेसबुक पेज पर भी संपर्क किया जा सकता है।



- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।


## इस अंक में


- संपादकीय ..... 7
- पूर्वोत्तर में समावेशी विकास : चुनौतियां और आगे की राहें
  सी के दास ..... 9
- पूर्वोत्तर की आर्थिक संभावनाएं
  मंजुला वाधवा ..... 13
- विशेष आलेख
  पूर्वोत्तर में सुशासन की चुनौतियां
  नरेश चंद्र सक्सेना ..... 19
- क्या आप जानते हैं? ..... 23
- जरा हटके
  नया भारत और नया रेलवे : बजट और नजरिया
  शशिकला पुष्पा
  बी रामास्वामी ..... 25
- पूर्वोत्तर में कृषि विकास : आर्थिक समृद्धि का अहम जरिया है बांस मिशन
  नीरेन्द्र देव ..... 31
- फोकस
  कौशल विकास को प्रोत्साहन
  इबू संजीब गर्ग ..... 35
- पूर्वोत्तर के राज्य : सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव का भ्रम
  सरोज कुमार रथ
  अरुण कुमार आचार्य ..... 39
- कृत्रिम मेधा के लाभों का दोहन
  अविक सरकार ..... 47
- पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता
  धीप्रज्ञ द्विवेदी ..... 51
- विकास के लिए आधारभूत ढांचा
  राजू सजवान ..... 57
- पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में सम्मिलित किए जाने के बारे में
  एस जे चीरु ..... 61


### प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

| शहर | पता | पिनकोड | दूरभाष |
|---|---|---|---|
| नयी दिल्ली | सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड | 110003 | 011-24367260 |
| दिल्ली | हाल सं. 196, पुराना सचिवालय | 110054 | 011-23890205 |
| नवी मुंबई | 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर | 400614 | 022-27570686 |
| कोलकाता | 8, एसप्लानेड ईस्ट | 700069 | 033-22488030 |
| चेन्नई | 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर | 600090 | 044-24917673 |
| तिरुअनंतपुरम | प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट | 695001 | 0471-2330650 |
| हैदराबाद | कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ मीनार, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद | 50080 | 040-27535383 |
| बंगलुरु | फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला | 560034 | 080-25537244 |
| पटना | बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ | 800004 | 061-22683407 |
| लखनऊ | हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज | 226024 | 0522-2225455 |
| अहमदाबाद | अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर | 380007 | 079-26588669 |
| गुवाहाटी | मकान सं. 4, पेंशन पारा रोड, गुवाहाटी | 781003 | 030-2665090 |


हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

# आपकी राय

## सबका विकास हो

योजना का फरवरी, 2018 अंक पढ़ा। अंक से जन समस्याओं के समाधान के तरीकों के साथ-साथ सुशासन के मूल्यों की जानकारी भी मिली। मैं नई दिल्ली स्थित 'भारतीय मानवाधिकार संस्थान' में मानवाधिकार की छात्रा हूं। विकास को समर्पित यह पत्रिका भारतीय सिविल सेवा के सामान्य अध्ययन पत्र की तैयारी के लिए रामबाण है।

विश्व बैंक के अनुसार, 'सुशासन का अभिप्राय ऐसे शासन से है, जिसमें समाज के प्रत्येक नागरिक को विकास योजनाओं का लाभ मिल सके।' भारतीय संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व को उपबंधित किया गया है। यह राज्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सुशासन के लिए 'स्मार्ट शासन' का प्रतिमान आवश्यक है, जिसके अंतर्गत साधारण, नैतिक, जवाबदेयता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता जैसे मूल्य आते हैं। सुशासन स्थापित करने के लिए इन मूल्यों का विकास व स्थापना नितांत आवश्यक है।

**– खुशबू कुमारी**
हाजीपुर, वैशाली, बिहार

## सुशासन स्थापित हो

योजना का 'लोक शिकायत समाधान' विषय पर केंद्रित फरवरी, 2018 का अंक पढ़ा। अंक से अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत 9 वर्षों से निरंतर कर रहा हूं। प्रकाशन मंत्रालय की यह पत्रिका सर्वश्रेष्ठ है। यह महंगाई के इस माहौल में उचित मूल्य पर उच्च स्तर की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती हैं। इसमें प्रकाशित आलेखों के नियमित अध्ययन से व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ लेखन कला व विश्लेषण क्षमता का विकास भी किया जा सकता है।

फरवरी के अंक में विद्वान लेखकों ने जन समस्याओं के समाधान पर बल दिया है। वास्तव में, जनसमस्याओं के समाधान के द्वारा ही लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है। समाज के अंतिम आदमी तक विकास की रोशनी को पहुंचाकर ही वास्तविक लोकतंत्र अर्थात् समावेशी लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारों ने तय समय-सीमा में जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक अधिनियमों को पारित किया है।

भारत सरकार ने अभी हाल ही में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से नारी अर्थात् 'नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर विमेन' आरम्भ किया है। यह महिलाओं के लिए सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है। इस पोर्टल पर महिलाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। बिहार सरकार ने भी एक निश्चित अवधि के अंदर जन शिकायतों के समाधान के लिए 'बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिनियम' को पारित किया है। इस अधिनियम के माध्यम से जन समस्याओं का समाधान त्वरित व तय अवधि में किया जा रहा है। वर्तमान में, जनता अपनी समस्याओं को उच्च स्तर के प्राधिकार तक पहुंचा सकती है और वहां से संबंधित विभाग को शिकायत समाधान के लिए भेज दिया जाता है। सरकार द्वारा जनसमस्याओं के निवारण के लिए किए जा रहे प्रयासों से प्रशासन में उत्तरदायित्व, जवाबदेयता, लचीलापन, पारदर्शिता आ रही है, जो सुशासन के लिए नितांत आवश्यक है।

**– अमित कुमार 'विश्वास'**
रामपुर नौसहन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

## ऐतिहासिक व अभूतपूर्व बजट

योजना का बजट अंक अपने सारगर्भित, विश्लेषणात्मक व रोचक लेखों के लिए हमेशा से लोकप्रिय रहा है। पहले ही लेख में वस्तु एवं सेवाकर प्रणाली के आधार स्तम्भ माने जाने वाले हसमुख अढ़िया जी ने सम्पूर्ण बजट को साररूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। उनका ठीक ही कहना है कि केंद्रीय बजट 2018-19 का आधारभूत दर्शन "गरीबी हटाओ, किसान बचाओ" है। भारत कृषि प्रधान देश है जहां की 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। तमाम उपायों के बावजूद किसानों की हालत जस की तस बनी हुयी है, इसके चलते ही इस वर्ष के बजट

में किसानों के लिए बने स्वामीनाथन आयोग (2007) की सिफारिशों के अनुरूप उनकी लागत मूल्य का डेढ़ गुना दाम दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसानों की फसल की बीमा, सिंचाई के प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, ई नाम, परम्परागत कृषि विकास योजना आदि पर फोकस किया गया है। आलू, प्याज और टमाटर के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' (500 करोड़ रुपये) की शुरुआत की जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण के लिए 'सम्पदा योजना' लागू की गयी है। इससे किसान अपनी फसल का मूल्य संवर्धन कर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। देश की सभी मंडियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है।

बजट के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्वास्थ्य को रेड्डी ने अपने लेख में बखूबी विश्लेषित किया है। *आयुष्मान भारत,* विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिससे भारत के 50 करोड़ आबादी लाभ पायेगी। समन्वित परिवहन पर अरविन्द जी का लेख परिवहन पर कुछ नवाचारी कदमों पर जोर देता है। निश्चित ही भारत में जलीय परिवहन के क्षेत्र में असीम सम्भावनायें छुपी हैं। ऋतु सारस्वत ने अपने लेख में महिलाओं के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। पिछले कुछ वर्षो में हमने महिलाओं पर केन्द्रित योजनाओं यथा बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना में बहुत अच्छी प्रगति की है। समग्रत: यह बजट ऐतिहासिक व अभूतपूर्व है और इस पर केंद्रित योजना का विशेषांक एक संग्रहणीय अंक है।

**– आशीष कुमार**

उन्नाव, उत्तर प्रदेश

## फरवरी अंक महिलाओं के लिए उपयोगी

योजना का फरवरी अंक भारतीय नागरिकों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अंक है। इस अंक में विभिन्न जनशिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जो कहीं अन्यत्र दुर्लभ है।

महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 'नारी' यानि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इनफारमेशन फॉर विमेन, पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल वास्तव में देश की महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बारे में सरकार की ओर से और भी प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।

**– वंदना झा**

सचिव, अंग मदद फाउंडेशन,
चंपानगर, भागलपुर (बिहार)

## सराहनीय विशेषांक

योजना के मार्च अंक के माध्यम से 2018-19 के केंद्रीय बजट को लगभग पूरी तरह जानने का मौका मिला। जैसे किसी शोध कार्य के पूर्ण होने के पश्चात उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी तरह का इस अंक का संपादकीय है; मुख्य-मुख्य बातों को रेखांकित कर बजट को और क़रीब से जानने-समझने का पथ प्रशस्त करता हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कृषि प्रधान देश में कम से कम कृषि पर समुचित ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है, अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह तो समय के गर्भ में छिपा है। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की थी, बात केवल इतनी है कि सरकारें अपने वायदों को लेकर कितना सकारात्मक रुख अपना पाती हैं। वैसे वर्तमान सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जिससे आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को उसे उपलब्ध कराया जा सके। वैसे फसलों की कीमतों के असंतुलन को रोकने के लिए "ऑपेरशन ग्रीन" सहायक सिद्ध होगा। साथ ही यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि कुछ राज्यों में मोटे अनाज व रबी के तीव्र उत्पादन से अन्नदाता को लाभ पहुंचने लगा है। जिन क्षेत्रों में संभावनाओं के होते हुए भी विकासरथ नहीं पहुंचा है, वहां का रुख यह सरकार करने जा रही है, यह कदम स्वागत योग्य है। आम बजट में स्वास्थ्य पर भी समुचित ध्यान दिया गया है। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भव" की शुरुआत जब पूरी तरह अक्टूबर 2018 में होगी, तब इसकी कमियों को दूर किया जा पायेगा। वैसे कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस आम बजट ने हर उस क्षेत्र पर निगाह डाली है जहां अभी तक किसी की नजर नहीं जाती थी।

**– रजनीश कुमार त्रिवेदी**

पीजीटी हिन्दी, जीआरएम सीनियर
सेकेंडरी स्कूल,
नैनीताल रोड, बरेली (उ.प्र.)

---


# योजना
## आगामी अंक

**मई 2018**

**पोषण**

**आपकी राय व सुझावों की प्रतीक्षा है...**

Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

# सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्त्वपूर्ण लेख।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पर केंद्रित सामान्य अध्ययन के विभिन्न खंडों के रिवीज़न हेतु 'टू द पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, इकॉनमिक एंड पोलिटिकल वीकली, द हिंदू आदि) के महत्त्वपूर्ण लेखों का सारांश।
- ☑ प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित टारगेट प्रिलिम्स खंड।
- ☑ टॉपर्स इंटरव्यू।
- ☑ इंटरव्यू की तैयारी के लिये महत्त्वपूर्ण सामग्री।

पत्रिका का सैम्पल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज़िट करें।

To Subscribe, Call - 8130392351, 8130392359
For business/advertising enquiry, Call - 8130392355
Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

YH-643/12/2017

# संपादकीय

## पूर्वोत्तर का पुनरोदय

जब हम पूर्वोत्तर के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में काजीरंगा के गैंडे, मेघालय के बादल, बांस संबंधी हस्तकला, हैंडलूम के बेहतरीन परिधान और चाय बागानों के दृश्य उभरते हैं। हम पूर्वोत्तर से ताल्लुक रखने वाले स्कूल और कॉलेज के अपने पुराने दोस्तों को भी याद करते हैं, जो हमारे साथ छात्र या सहकर्मी की तरह रहे।

हालांकि, पूर्वोत्तर सिर्फ आनंदादायक पर्यटन स्थलों, बेहतरीन हैंडलूम और हस्तकला और यहां के अच्छे लोगों से जुड़ा मामला नहीं है। इस इलाके की अपनी अलग पहचान है। अलग तरह का स्थान होने के कारण यह देश की भौगोलिक मुख्यधारा से कटा है। सिक्किम और पूर्वोत्तर की सात बहनों ने ऐसी संस्कृति और पहचान विकसित की है, जो बाकी भारत से अलग है। नियोजन से जुड़े सभी मंचों पर इन आठ राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम की चर्चा एक पूर्ण इकाई के तौर पर होती है। चाहे बजट आवंटन हो या अवसंरचना सुविधाओं के लिए आवंटित विकास परियोजनाओं का मामला, तमाम चीजों की योजना इस पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इससे इस इलाके के अलग होने और देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले अनोखा रहने की छवि बनी है।

भौगोलिक अलगाव और कुछ अन्य अंतर के कारण इस इलाके को कई मोर्चों पर पिछड़ेपन और विकास की अनदेखी का सामना करना पड़ा है। फसलों का कम उत्पादन, बैंकों से कर्ज की दिक्कत, बड़े उद्योगों की कमी और अवसंरचना सुविधाओं का अभाव आदि ने इस क्षेत्र के समग्र विकास को बाधित किया है।

केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से पूर्वोत्तर का समानांतर और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। 'पूर्व की ओर देखो' नीति को हकीकत में बदलने पर मौजूदा सरकार के जोर से इस क्षेत्र के लिए उम्मीदें जगी हैं। मेघालय के मेंदीपाथर से असम के गुवाहाटी तक पहली बार ट्रेन चलाने, ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड विद्युत प्लांट की यूनिट-2 की स्थापना, असम में देश का सबसे लंबा यानी 9.15 किलोमीटर का पुल (ढोला-सदिया पुल), आईआईआईटी गुवाहाटी की आधारशिला का रखा जाना आदि ऐतिहासिक पहल से पूर्वोत्तर के विकास की रफ्तार तेज हुई है। पूर्वोत्तर के लिए बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। यह फिलहाल तकरीबन 48,000 करोड़ है।

इस इलाके में आजीविका का मुख्य साधन खेती है। हालांकि, कृषि उत्पादन कम रहने और झूम प्रणाली जैसी पारंपरिक खेती में होने वाली मुश्किलों के कारण इस क्षेत्र में आजीविका की समस्या पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन पर नए सिरे से पहल करने का फैसला किया है और इसके लिए 1,290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे बड़े पैमाने पर बांस उद्योग के विकास की उम्मीद है।

इस क्षेत्र के विकास में यातायात सुविधाओं का अभाव बड़ी बाधा रही है। सड़क और रेल से जुड़ाव की खराब हालत और हवाई संपर्क नहीं के बराबर होने के कारण यहां की अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई। लिहाजा, यहां से देश के अन्य हिस्सों तक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही मुमकिन नहीं हो पाती है।

सरकार ने अब इस क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटन किया है। इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार वर्षों में 5,886 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया, जबकि 2014-19 के दौरान नई सड़कें, पुल आदि में निवेश के लिए 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के 50 हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के लिए 1,014 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है। इससे न सिर्फ देश के बाकी हिस्सों बल्कि म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ भी पूर्वोत्तर के संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

इस इलाके में मौजूदा विद्युत परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए 234 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं की कमी और कौशल विकास की दिक्कत के कारण युवाओं को पढ़ाई के लिए अन्य इलाकों में जाने को मजबूर होना पड़ता था। इसी तरह, रोजगार के अवसरों की कमी ने युवाओं को भी दूसरे क्षेत्रों में पलायन के लिए मजबूर कर दिया था।

रोजगार सृजन मिशन और असम राज्य आजीविका मिशन, मेघालय राज्य कौशल विकास सोसायटी आदि योजनाओं की पहल से पूर्वोत्तर में युवाओं को रोजगार के लिए कौशल हासिल करने का नया ठिकाना मिला है। इससे पलायन को गैर-जरूरी बनाने में मदद मिलेगी।

इस क्षेत्र में लंबे समय से महिलाओं को दबाया जाता रहा है और परिवार और वित्तीय मामलों में उनका कोई दखल नहीं होता। स्वयं सहायता समूह बनाने जैसी पहल से इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है। ऊंचे इलाकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना (एनईआरसीओएमपी) और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समूह (एनएआरएमजी) जैसी इकाइयों ने लैंगिक सशक्तीकरण लाने में कारगर औजार के तौर पर काम किया है।

समाज के सभी तबकों के विकास और पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की कोशिशों के जरिये यह सुनिश्चित किया गया है कि इस क्षेत्र के लोग कभी भी विकास या सांस्कृतिक लिहाज से देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले अलग नहीं माने जाएं। ❑

अभिव्यक्ति
IAS क्लासेज

*Also known as Abhivyakti Civil Services*
*Under the Guidance of* Sunil Sir
संपादक | लेखक | डायरेक्टर *(Abhivyakti)*

# संपूर्ण सामान्य-अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2019

न्यू बैच प्रारंभ

**प्रथम बैच**
**17 April 11 AM**

**द्वितीय बैच**
**17 April 4 PM**

## क्लास के मुख्य आकर्षण

- प्रारंभिक परीक्षा के लिये अलग रणनीति (क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यार्थियों का प्री रिजल्ट लगातार खराब हो रहा है)
- मुख्य परीक्षा के लिये चारों प्रश्नपत्र की UPSC द्वारा निर्धारित सेलेबस की यूनिट दर यूनिट विश्लेषणात्मक कक्षायें (क्योंकि तभी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर पायेंगे)।
- पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन (प्रोजेक्टर कक्षायें) के साथ सभी खण्ड के बेहतरीन एवं उपयोगी क्लास नोट्स
- सभी खण्डों पर नियमित उत्तर लेखन कक्षायें (सोमवार से बृहस्पतिवार)
- शनिवार-रविवार वीकेंड करेंट अफेयर्स कक्षायें; जिसमें एक सप्ताह के सभी समसामयिक घटनाक्रम का उत्तर लेखन शामिल
- केस स्टडी (पेपर-4) एवं निबंध प्रश्नपत्र पर नवीन एप्रोच का विकास
- प्रीलिम्स के पूर्व प्रीलिम्स की टारगेटेड कक्षायें
- मुख्य परीक्षा के पूर्व मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स एवं उत्तर लेखन कार्यक्रम की सुविधा एवं टेस्ट सिरीज
- प्रत्येक शुक्रवार प्री एवं मेंस का टेस्ट • साक्षात्कार की प्रत्येक माह 2 विशिष्ट कक्षायें और बहुत कुछ.....।

## हमारा विजन एवं मिशन

- 'नवाचार, रचनात्मकता एवं UPSC पास कराने की कला सिखाने पर जोर
- कम से कम पढ़ाकर ज्यादा सिखाना लक्ष्य
- मुख्य परीक्षा मे सुनील सर की विशेषज्ञता
- नियमित उत्तर लेखन एक वर्षीय कार्यक्रम प्रारंभ कराने वाला एकमात्र संस्थान
- करेंट-अफेयर्स का पूरे वर्ष वीकेंड बैच (फाउंडेशन सामान्य-अध्ययन के एक अंग के रूप में करेंट अफेयर्स पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान।
- केस स्टडी पर विशेष जोर देकर प्रश्नपत्र-4 में अधिकतम अंक दिलाने की सोच
- निबंध (250 अंक equale to GS) को 2 माह एक विषय की तरह पढ़ाने वाला एकमात्र संस्थान।

नामांकन प्रारंभ

अभिव्यक्ति IAS क्लासेज
M-3, Mezzanine Floor, A-37-38-39, Ansal Building, Near Safal Diary, Dr. Mukherjee Nagar
**Delhi** 011-45870971, 9871385211, 9582750926

YH-750/6/2017

# पूर्वोत्तर में समावेशी विकास

सी के दास

**वर्तमान में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र का समग्र एवं समावेशी विकास करने के लिए कई अत्यंत प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। केंद्र ने 'एक्ट ईस्ट नीति' पर जोर देना और इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ इस क्षेत्र की जनता में नई उम्मीदों को संचार किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए भारत के इस अंचल को सुगम करना, इस प्रकार पूर्वोत्तर को एक हब के रूप में विकसित करने की योजना को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक है कि केंद्र इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक गतिशील और समृद्ध बनाए**

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा समेत आठ राज्य हैं। इस समस्त क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2,62,179 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुछ राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से तुलना करें तो क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से प्रत्येक राज्य पूर्वोत्तर के इस संपूर्ण क्षेत्र के मुकाबले अधिक बड़े हैं। भारत के शेष हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र के निकट एक पतले से गलियारे के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। पूर्वोत्तर की सीमा पांच देशों से मिलती है। ये देश हैं- बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। पूर्वोत्तर की केवल तीस से पैंतीस प्रतिशत भूमि ही समतल है। यह मुख्यतया तीन घाटियों- ब्रह्मपुत्र, बराक और इम्फाल घाटियों के रूप में हैं। शेष भूभाग पहाड़ी क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग तीन चौथाई भूमि ऐसी है, जिसकी राजस्व की दृष्टि से सर्वेक्षण अर्थात नाप-जोख या जमाबंदी नहीं हुई है। इस तरह से यहां ऐसी विशाल भूमि है जिसके भूस्वामित्व का कोई लेखा-जोखा, प्रमाणीकृत भू रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

पूर्वोत्तर की आबादी में पिछली शताब्दी की शुरुआत की तुलना में असामान्य वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या 1901 में (जब पाकिस्तान और बंगलादेश भारत का ही अंग थे) 29 करोड़ से अधिक थी, उस समय पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र की जनसंख्या महज 44 लाख थी। अब 2011 तक इस क्षेत्र की आबादी बढ़कर 450 लाख हो चुकी है। इस बीच 1901 के समय भारत में सम्मिलित भूभागों को जोड़कर यहां की कुल जनसंख्या 15600 लाख या 156 करोड़ (भारत की जनसंख्या 121 करोड़, पाकिस्तान की 18 करोड़ और बांग्लादेश की 17 करोड़) हो गई है। इस प्रकार 1901 के समय जो भारत था उसकी जनसंख्या में तब से 2011 के बीच 5.4 गुना वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर की आबादी इस अवधि में दस गुना से अधिक बढ़ गई है। यहां जनसंख्या की इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी का कारण आसपास के इलाकों से लोगों का निरंतर आ बसना है। इसका एक नतीजा यह है कि यहां जो थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि है, उसका औसत रकबा घट कर एक हेक्टेयर रह गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की सही तस्वीर तब तक स्पष्ट नहीं हो सकती जब तक यहां की कुछ प्राकृतिक स्थिति पर कुछ और विस्तार से नजर नहीं डाली जाए। यहां भारी वर्षा होती है और यहां से दुनिया की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र बहती है जिसमें सत्तर से अधिक प्रमुख सहायक नदियां मिलती हैं। पूर्वोत्तर में औसत वार्षिक वर्षा दो हजार पांच सौ मिलीमीटर से अधिक है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी के दूर तक फैले किनारे और तुलनात्मक रूप से संकीर्ण घाटी क्षेत्र, अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का विशाल पाट (ब्रह्मपुत्र और बराक), नियमित रूप से आने वाली बाढ़, भू-क्षरण और भूस्खलन, नदी के साथ बहकर आने वाली रेत का जमाव ज्यादा हो रहा है, जिनकी वजह से यहां कृषि योग्य उपजाऊ

लेखक 1975 बैच के आइएएस अधिकारी हैं और उन्होंने असम सरकार के अपर मुख्य सचिव समेत असम व मेघालय राज्यों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वर्तमान में वे शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य हैं। ईमेल: ck.das09@gmail.com

भूमि लगातर कम होती जा रही है और जोत का औसत आकार घटता जा रहा है।

1950 में असम में आए तीव्र भूकंप (8.5 रिक्टर स्केल) के बाद से राज्य में बाढ़ एवं भूक्षरण में तीव्रता आई है। तब से अब तक पांच से छह हजार वर्ग किलोमीटर भूमि नदियों से हुए क्षरण की वजह से घट चुकी है। इसने राज्य में लाखों लोगों को भूमिहीन और बेघर कर दिया है। पूर्वोत्तर के भू क्षरण और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक है कि यहां प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अंतर्गत भू-क्षरण को शामिल किए जाएं और इस आधार पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Funds) से मुआवजा दिए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इस क्षेत्र में इसकी तत्काल आवश्यकता है।

इन प्राकृतिक और मानव निर्मित (प्रवासन) कारणों के बावजूद, पूर्वोत्तर की आर्थिक स्थिति विभाजन के समय देश के बाकी हिस्सों के समतुल्य थी। लेकिन 1947 के बाद से निम्नलिखित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं ने पूर्वोत्तर की स्थितियों को आकस्मिक तौर पर परिवर्तित कर दिया है और इसने इस क्षेत्र में विकास को बाधित भी किया है। ये घटनाएं हैं:

i) **देश का विभाजन:** जब पूर्वोत्तर को बाकी देश में जोड़ने वाली प्रमुख सड़क, रेल और नदी मार्ग की संपर्क व्यवस्था अचानक भंग हो गई।

ii) **1962 का चीनी अतिक्रमण:** जब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया (उस समय नेफा अर्थात पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र) और इसके बाद वह स्वत: वापस लौट गई। जाहिर है इस घटनाक्रम ने निजी निवेशकों के मन में यहां बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश करने में हिचक उत्पन्न हो गई। सही हो या गलत, पर एक तरह का भाव उत्पन्न हो गया कि यहां बड़े पैमाने पर निवेश के लिए कुछ समय इंतजार किया जा सकता है।

iii) **1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम:** जब बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में करोड़ों लोग पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में आ गए। हालांकि अधिकांश शरणार्थियों को बांग्लादेश लौटा दिया गया था, लेकिन बांग्लादेश की सीमावर्ती पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो गया है। पिछली शताब्दी के सत्तर के दशक के अंत से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्यों में उग्रवाद की समस्याएं प्रारंभ हो चुकी हैं। नगालैंड और मिजोरम तो वैसे भी पिछली शताब्दी के पांचवें और साठ के दशक से उग्रवाद से प्रभावित रहे हैं। इस क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रयासों और विभिन्न कार्यों के कारण यहां अब उग्रवाद उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं रहा।

**प्राकृतिक और मानव निर्मित (प्रवासन) कारणों के बावजूद, पूर्वोत्तर की आर्थिक स्थिति विभाजन के समय देश के बाकी हिस्सों के समतुल्य थी। लेकिन 1947 के बाद से निम्नलिखित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं ने पूर्वोत्तर की स्थितियों को आकस्मिक तौर पर परिवर्तित कर दिया है और इसने इस क्षेत्र में विकास को बाधित भी किया है।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले चार दशकों के दौरान अधिकारियों के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत कर चुके हजारों अप्रवासियों का समुचित पुनर्वास इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है।

पूर्वोत्तर के मूल निवासियों की संख्या हालांकि लगभग तीन करोड़ से कम है, वे सौ से अधिक समूहों में विभक्त हैं। इनमें से कई समूह ऐसे भी हैं, जिनकी जनसंख्या बीस हजार प्रति समूह से भी कम है। ऐसे अनेक छोटे-छोटे जातीय समूह हैं जो हाशिए पर आते जा रहे हैं।

उपरोक्त प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक चुनौतियों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत के लिए कुछ अन्य प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:-

i) कम कृषि उत्पादकता (लगभग 2000 किलो चावल प्रति हेक्टेयर) चावल (धान) इस क्षेत्र की मुख्य फसल है।

ii) कम फसल तीव्रता (लगभग 1.5)।

iii) असिंचित भूमि की प्रचुरता एवं सिंचाई सुविधाओं की कमी।

iv) रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग।

v) बैंक ऋण सुविधाओं की कमी। पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर ऋण एवं जमा अनुपात पचास प्रतिशत से कम है।

vi) सभी क्षेत्रों में किसानों के लिए वर्षों भर प्रमाणित बीज और अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की उपलब्धता अपर्याप्त होना।

vii) गोदामों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज आदि सुविधाओं की अपर्याप्तता।

viii) कुछ कुछ जगहों को छोड़ कर क्षेत्र में अच्छी तरह से सुसज्जित आधुनिक बाजार या मंडियों का अभाव।

ix) राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति बिजली की कम खपत।

x) सिंचाई के लिए बिजली का बहुत कम उपयोग।

xi) लौह, एल्यूमीनियम, तांबे, जस्ता, टिन, सीसा और निकल आदि जैसे औद्योगिक रूप से उपयोगी धातुओं के अयस्कों तथा अभ्रक और सल्फर आदि जैसे पदार्थों की अनुलब्धता।

xii) अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले के बड़े भंडार की अनुपलब्धता। पूर्वोत्तर में

वर्तमान में जो कोयला पाया जाता है उसमें सल्फर की मात्रा का प्रतिशत अक्सर अधिक होता है जिसकी वजह से यह कोयला उद्योग में उपयोग के लिए अनुपयुक्त होता है।

xiii) पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, चिकित्सा और नर्सिंग आदि के अध्ययन-प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय संस्थानों की अपर्याप्तता।

xiv) संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षक-प्रशिक्षण एक और बड़ा विषय है। इस क्षेत्र में शिक्षा के सामान्य मानक के समग्र सुधार के लिए इस ओर तुरंत ध्यान दिए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में स्कूलों में गणित और विज्ञान पढ़ाने के लिए भी इस दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है।

xv) चार तेल रिफाइनरी और दो पेट्रोकेमिकल परिसरों को छोड़कर बड़े उद्योगों की अनुपस्थिति...आदि।

असम और पूर्वोत्तर राज्य में पिछली शताब्दी की शुरुआत से रेल लाइन, चाय उद्यान और तेल और चावल की मिलों की अच्छी खासी संख्या रही है। लेकिन, पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क और दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों में यहां कई नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए हैं। अब एक आईआईटी और एक आईआईएम भी है।

इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 70 प्रतिशत है। क्षेत्र की साक्षरता दर (74.48) राष्ट्रीय दर (74.04) के बराबर है।

आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी उपरोक्त समस्याओं की वजह से पूर्वोत्तर अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा है। व्यापक स्तर पर विनिर्माण औद्योगिक आधार के गैर मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र का भविष्य मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों के विकास पर निर्भर है: -

i) कृषि जिसके अंतर्गत बागवानी और फूलों की खेती सम्मिलित है;

ii) दुग्ध उद्योग;

iii) बकरी पालन;

iv) सूअर पालन;

v) कुक्कुट पालन;

vi) बत्तख पालन;

**असम और पूर्वोत्तर राज्य में पिछली शताब्दी की शुरुआत से रेल लाइन, चाय उद्यान और तेल और चावल की मिलों की अच्छी खासी संख्या रही है। लेकिन, पिछले कुछ दशकों में पूर्वोत्तर के संपूर्ण क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क और दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों में यहां कई नए विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए हैं।**

vii) मत्स्य पालन;

xiii) खाद्य और मांस प्रसंस्करण;

ix) पर्यटन;

x) रेशम उत्पादन एवं बुनाई; हथकरघा तथा धागे के उत्पादन तथा डिजाइन में सुधार के माध्यम से कपड़ा उत्पादन में वृद्धि;

xi) जैविक चाय, जैविक खाद्य, मशरूम और शहद का उत्पादन;

xii) डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड में निर्मित उच्च और निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन से प्लास्टिक के सामान का उत्पादन;

xiii) बांस, गन्ना, जूट, धान के भूसी और औषधीय पौधे यहां भारी संख्या में हैं। इनपर आधारित लघु और मंझौले स्तर के उद्योगों को स्थापित करना;

xiv) स्थानीय रूप से उपलब्ध अदरक और हल्दी की गुणवत्ता में सुधार और पैकेजिंग के लिए उद्योगों का विकास;

xv) स्थानीय नदियों और जल प्रपातों के माध्यम से उपलब्ध प्रचुर मात्रा में पानी का उपयोग पनबिजली उत्पन्न करने और सिंचाई सुविधाओं का प्रबंधन;

xvi) वस्त्रों, फार्मास्यूटिकल्स, कागज और चीनी आदि बनाने के लिए उद्योगों की स्थापना (अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा में नमी की वजह से पूर्वोत्तर में गन्ने, दाल, तिलहन और ऑर्किड जैसे बहुमूल्य फूलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूर्वोत्तर बहुत उपयुक्त है);

xvii) नर्सिंग, चिकित्सा सहायकों, औषधि निर्माण संस्थानों और ट्रांसफार्मरों और टेलीविजन, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, कपड़े धोने की मशीन, मोटर वाहन और रेफ्रिजरेटर आदि की तरह की वस्तुओं की मरम्मत के लिए पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक की स्थापना;

पूर्वोत्तर भारत सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक समृद्ध है। यहां के युवा संगीत, नृत्य और पेंटिंग इत्यादि क्षेत्र में विशेष रूप से अत्यंत प्रतिभावान हैं। यदि गायन, नृत्य और विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र बजाने के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना की जाए, तो युवाओं को इन क्षेत्रों में काफी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो सकता है।

अगर उपरोक्त क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश की व्यवस्था की जाती है तो स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार विकसित हो सकते हैं। इसी प्रकार यहां उत्पन्न होने वाली फसलों की सघनता को बढ़ाया जाए तो यह बढ़कर दो या ढाई गुना अधिक हो सकती है। इस क्षेत्र में बैंक की शाखाओं की संख्या को बढ़ाना, ऋण की उपलब्धता तथा जमा खातों की संख्या आदि को अनुपातिक तौर पर अधिक तेजी से बढ़ाना होगा। पूर्वोत्तर के लोगों के पूर्ण वित्तीय और डिजिटल समावेश को लाने के लिए इस क्षेत्र में टेली कनेक्टिविटी में सुधार की भी तत्काल आवश्यकता है।

वर्तमान में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र का समग्र एवं समावेशी विकास करने के लिए कई अत्यंत प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। केंद्र ने 'एक्ट ईस्ट नीति' पर जोर देना और इस दिशा में आगे बढ़ने के साथ इस क्षेत्र की जनता में नई उम्मीदों को संचार किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए भारत के इस अंचल को सुगम करना, इस प्रकार पूर्वोत्तर को एक हब के रूप में विकसित करने की योजना को कार्यरूप देने के लिए आवश्यक है कि केंद्र इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक गतिशील और समृद्ध बनाए। उपरोक्त देशों को पूर्वोत्तर के साथ सड़क, रेल लाइन, नदी के मार्ग और हवा के माध्यम से जोड़ने के क्रम में पूर्वोत्तर से लोगों का आना-जाना, माल एवं असबाब का आवागमन बढ़ेगा और इसके साथ स्वत: ही तकनीक और विचारों के आदान-प्रदान एवं प्रवाह में वृद्धि होगी। उपरोक्त देशों के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर में धार्मिक, पारिस्थितिकीय, साहसिक और चिकित्सीय, पर्यटन के लिए व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। इससे पूर्वोत्तर एवं अन्य आस-पास के क्षेत्र के लोग, जिनमें उपरोक्त देश भी सम्मिलित हैं, के मध्य परस्पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों में भी सुधार होगा।

विकास का लाभ का संबंधित क्षेत्रों में उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पूर्वोत्तर के छोटे-छोटे स्थानीय जातीय समूहों के हित में तत्काल कुछ खास कदम उठाने आवश्यक हैं। मीडिया में यह पहले से ही बताया जा चुका है कि पूर्वोत्तर में बसे हुए ग्यारह जातीय समूहों की भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन ग्यारह भाषाओं को बोलने वालों की संख्या सिमट कर दस हजार से कम हो गई है। इस बात पर खास तौर पर गौर किया जाना जरूरी है कि यहां के स्थानीय छोटे-छोटे और हाशिए पर सिमट आए जाति समूह विकास की प्रक्रिया में छूट न जाएं।

पूर्वोत्तर का प्रदूषण मुक्त वातावरण और यहां के नौजवानों की बड़ी संख्या, जो धाराप्रवाह अंग्रेजी में बातचीत करने में सक्षम है, विकास के लिए सकारात्मतक कारक हैं। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों और बीपीओ स्थापित करने की दिशा में ये कारक नीति निर्माताओं के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं।

पूर्वोत्तर में भंयकर बेरोजगारी भी है। इसके समाधान के लिए रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों, असम राइफल्स सहित केंद्रीय अर्ध सैन्य बलों, एयरलाइंस, तेल रिफाइनरी और अन्य बड़े केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्वोत्तर के युवाओं को भर्ती करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

कुल मिलाकर, पूर्वोत्तर में कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भूमि सुधार बेहद जरूरी है। इसके अंतर्गत वन रहित क्षेत्रों का राजस्व के लिए सर्वेक्षण कर भू-अभिलेखों को तैयार किया जाना तथा प्रचलित कानून के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों को भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान किया जाना सम्मिलित है। ❑

## राष्ट्रीय नशा मुक्ति हेल्पलाइन (टोल फ्री) नंबर

सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय राष्ट्रीय ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर, एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन कर रहा है। सर्वे विभिन्न नशों का सेवन करने वाले व इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों की वास्तविक संख्या तथा अनुपात की राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय अनुपात प्रदान करेगा।

नशा सेवन की मात्रा, प्रारूप तथा प्रवृत्ति से संबंधित अंतिम राष्ट्रीय सर्वे को सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया और ड्रग्स व अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा 2000-2001 में किया गया। सर्वे का अनुमान है कि भारत में लगभग 7.32 करोड़ व्यक्ति नशे का सेवन करते हैं। इनमें से 87 लाख कैनेब्ईज़, 20 लाख ओपिएट्स और 6.25 करोड़ अल्कोहल का सेवन करते हैं। सर्वे में 40,697 लोग कवर्ड हैं। 12-60 वर्ष के पुरुष ही इस सर्वे में शामिल हैं। इस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान नियमित आधार पर विद्यालयों, महाविद्यालयों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, जागरूकता व निवारक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2016-17 के दौरान उन्होंने 54 क्षमता निर्माण व कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया और 1332 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। वर्ष 2016-17 के दौरान उन्होंने 207 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जिसके ज़रिए 15516 व्यक्ति लाभान्वित हुए। मंत्रालय जगारूकता के प्रसार हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया का भी उपयोग करता है। नशे के दुष्प्रभावों से संबंधित सूचनाएं रेडियो कार्यक्रम *संवरती जाएं जीवन की राहें* के ज़रिए क्षेत्रीय भाषाओं में व समाचारपत्रों में विज्ञापनों के ज़रिए भी प्रसारित की जाती हैं।

मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर नशा करने वाले व्यक्तियों व उनके परिवारों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-11-0031 शुरू किया है जो कि 7 जनवरी 2015 से प्रभावी है। यह सूचना सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण राज्य मंत्री विजय सांपला द्वारा 13 मार्च 2018 को लोकसभा में लिखित जवाब के रूप में दी गई। ❑

# पूर्वोत्तर : एक आर्थिक परिदृश्य

मंजुला वाधवा

**पूर्वोत्तर क्षेत्र का तकरीबन 70% इलाका पहाड़ी है और इसमें लगभग 30% आबादी रहती है और शेष 30% इलाका समतल है जहां 70% आबादी निवास करती है। भौगोलिक कारणों व अविकसित परिवहन व्यवस्था की वज़ह से शेष भारत के साथ संपर्क हमेशा मुश्किल रहा है। साथ ही, असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने की वज़ह से न सिर्फ असम बल्कि अन्य राज्यों पर भी काफी दबाव पड़ता है**

सिक्किम समेत सात अलग लेकिन आसन्न राज्यों का समूह 'पूर्वोत्तर' निश्चित रूप से अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण हमारे देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा, मिजोरम देश के सबसे उच्च साक्षरता वाले राज्यों में से हैं। चीन के बाद असम चाय का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक उत्पादक क्षेत्र है। एशिया का पहला तेल का कुआं असम के डिगबोई में है।

वर्तमान में, अगर हम तस्वीर के उज्ज्वल पक्ष को देखें, तो *इंडियास्पेंड* रिसर्च के मुताबिक, मेघालय का 9.7% का प्रभावशाली संवृद्धि दर सबसे तेजी से विकास करते राज्य मध्यप्रदेश के 9.5% की संवृद्धि दर से भी अधिक है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है। केवल एक बड़े राज्य, कर्नाटक (12.9 मिलियन) की तुलना में पूरे एनईआर में 12.8 मिलियन लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके विपरीत दूसरी ओर, 2011-12 में त्रिपुरा ने शहरी क्षेत्रों में 25.2% बेरोजगारी दर रिपोर्ट किया है, नगालैंड 23.8% की बेरोजगारी दर के साथ इसके काफी निकट है। सभी 08 राज्यों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ गया है, जबकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा घट गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है और यह राष्ट्रीय रूझान के अनुसार है। यहां गरीबी का फैलाव काफी असमान रूप से है: मणिपुर सबसे गरीब है तो सिक्किम सबसे अमीर। वास्तव में, औपनिवेशिक काल से पूर्वोत्तर क्षेत्र आर्थिक वृद्धि की अत्यधिक असमान दर का गवाह रहा है। अंग्रेज़ों के लिए, पूर्वोत्तर कोयले, प्राकृतिक तेल, वन और चाय जैसे कच्चे माल का भंडार था। इन संसाधनों की एक बड़े पैमाने पर निकासी की गयी थी, जिसे प्रसंस्करण के लिए देश के अन्य भागों में निर्यात किया गया था। इस क्षेत्र ने हालांकि इस प्रक्रिया से लाभ नहीं उठाया क्योंकि ब्रिटिश ने यहां न तो प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयां स्थापित कीं और न ही उन्होंने इस क्षेत्र में परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास की ओर कोई ध्यान दिया। भारत के विभाजन के बाद, लंबे समय तक, बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) के साथ व्यापार रुका हुआ था जिसने इस क्षेत्र की आर्थिक और विकास क्षमता को काफी क्षति पहुंचाई। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के बीच का अंतर भी बढ़ गया। हाल के दिनों में तस्वीर कुछ बेहतर हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र ने दोनों लिंगों के लिए मानव विकास संकेतकों के संबंध में अखिल भारतीय औसत स्थितियों की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन यह अनुरूप आर्थिक विकास लाने में विफल रहा है। आइए तनिक गहराई से देखें। जीएसडीपी, पीसीआई और संवृद्धि दर की क्षेत्रवार स्थिति तालिका 1 में प्रस्तुत है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की धीमी प्रगति के पीछे निम्नलिखित कारण हैं: -

### भौगोलिक कारक

पूर्वोत्तर क्षेत्र का तकरीबन 70% इलाका पहाड़ी है और इसमें लगभग 30% आबादी

लेखिका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हरियाणा, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में सहायक महाप्रबंधक हैं। उनकी 400 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और वे आकाशवाणी व दूरदर्शन के वार्ता/पैनल परिचर्चा में भाग लेती रही हैं। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

तालिका 1 : जीएसडीपी, पीसीआई और संवृद्धि दर की क्षेत्रवार स्थिति

| क्र. | राज्य | आबादी 2011 | जीएसडीपी (रु. करोड़ में) | | प्रति व्यक्ति आय (एनएसडीपी) (रु.) | | 2011-12 के मूल्यों के आधार पर जीएसडीपी वृद्धि (2016-17ए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मौजूदा दर पर | स्थिर कीमत पर (2011-12) | मौजूदा दर पर | स्थिर कीमत पर (2011-12) | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 84,580,777 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1383727 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | असम | 31205576 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4 | बिहार | 104099452 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 25545198 | 290140 | 223932 | 91772 | 71214 | लागू नहीं |
| 6 | गोआ | 1458545 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7 | गुजरात | 60439692 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 8 | हरियाणा | 25351462 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 6864602 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 10 | जम्मू कश्मीर | 12541302 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 11 | झारखंड | 32988134 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 12 | कर्नाटक | 61095297 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 13 | केरल | 33406061 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 14 | मध्य प्रदेश | 72626809 | 640484 | 465212 | 72599 | 51852 | 12.21 |
| 15 | महाराष्ट्र | 112374333 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 16 | मणिपुर | 2570390 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 17 | मेघालय | 2966889 | 29567 | 24005 | 79332 | 63678 | 6.65 |
| 18 | मिज़ोरम | 1097206 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 19 | नागालैंड | 1978502 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 20 | ओडिशा | 41974218 | 378991 | 314364 | 75223 | 61678 | 7.94 |
| 21 | पंजाब | **27743338** | 427870 | 348487 | 128821 | 103726 | 5.93 |
| 22 | राजस्थान | 68548437 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 23 | सिक्किम | 610577 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 24 | तमिलनाडु | 72147030 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 25 | तेलंगना | | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 26 | त्रिपुरा | 3673917 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 199812341 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 28 | उत्तराखंड | 10086292 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 91276115 | | | | | |
| 30 | अंडमान निकोबार | 380581 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 31 | चंडीगढ़ | 1055450 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 32 | दिल्ली | 16787941 | 622385 | 498217 | 303073 | 240318 | 8.26 |
| 33 | पुड्डुच्चेरी | 1247953 | 29557 | 23656 | 190384 | 150369 | 7.49 |
| **34** | **संपूर्ण भारत** | **1210569573** | **15183709** | **12189854** | **103219** | **82269** | **7.1** |

**स्रोत:** *(1) आर्थिक एवं सांख्यिकीय संगठन, पंजाब (2) केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नई दिल्ली*

रहती है और शेष 30% इलाका समतल है जहां 70% आबादी निवास करती है। भौगोलिक कारणों व अविकसित परिवहन व्यवस्था की वज़ह से शेष भारत के साथ संपर्क हमेशा मुश्किल रहा है। साथ ही, असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित होने की वज़ह से न सिर्फ असम बल्कि अन्य राज्यों पर भी काफी दबाव पड़ता है।

### ढांचागत कारक

पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों में से एक है- सड़क मार्ग, जलमार्ग, ऊर्जा जैसे बुनियादी सुविधाओं आदि की बुरी स्थिति और शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक बुनियादी संरचना क्षेत्र के मानव विकास और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय सड़क का लगभग 6% और राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 13% है। हालांकि, खराब रखरखाव के कारण इन सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कमी के प्रमुख संकेतक हैं: संकरी सड़कें, बिजली की खराब स्थिति, पेयजल की कमी आदि।

### औद्योगिक विकास की दिशा में बाधाएं

आजादी के वक्त, असम एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था, जहां ज्यादातर औपनिवेशिक पूंजीपतियों का वर्चस्व था। इस क्षेत्र में वृक्षारोपण और चाय का उत्पादन, कोयला और तेल के खनन, तेल रिफाइनरी, प्लाईवुड का निर्माण और अन्य वन संसाधन आधारित उत्पाद शामिल थे। आजादी के बाद भारत के विभाजन के कारण, असम के औद्योगिक क्षेत्र को एक गहरा झटका लगा क्योंकि उसके व्यापारिक मार्ग को देश के बाकी हिस्सों से काट दिया गया। इसकी वज़ह से भारत के अन्य हिस्सों के साथ आर्थिक एकीकरण में बाधा आई और निवेश के एक गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र का आकर्षण कम हुआ। औद्योगिक विकास के लिए इस क्षेत्र की मुख्य शक्ति इसका विशाल प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण के लिए, क्षेत्र की विशाल जल विद्युत क्षमता के उपयोग हेतु नैशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और तेल एवं गैस रिज़र्व्स के संग्रहण व पर्यवेक्षण हेतु गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) व ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1995 में वृक्षों की कटाई को प्रतिबन्धित किए जाने की वज़ह से वन आधारित औद्योगिक इकाइयों में गिरावट आई है। इसके अलावा, स्थानीय पूंजी, विपणन और परिवहन बाधाओं की कमी से इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। चाय उद्योग भारत के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अच्छी शुरुआत हुई, चाय उद्योग असम के एक प्रमुख विनिर्माण उद्योग के रूप में स्थापित हुआ। चाय उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनमें से एक असम के वासियों और मजदूरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और मजदूरों के कल्याणकारी लाभों के बीच की बहस है।

**पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए, 1971 में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। सभी 8 राज्य इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय शिलौंग में स्थित है। यह भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आरंभ में परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई, जिसे 2002 से एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में मंजूरी दे दी गई।**

### कृषि

कृषि यहां की जनजातीय आबादी की प्रमुख आजीविका होने के बावजूद कृषि विकास का पैटर्न राज्यों और फसलों के बीच असमान रहा है। चावल (खरीफ) इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अन्य फसल (रबी) गेहूं, आलू, गन्ना, दाल और तिलहन हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के कुल अनाज उत्पादन का केवल 1.5% उत्पादन करता है और 70% आबादी को आजीविका में मदद देता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि विकास की गति देश के बाकी हिस्सों से धीमी रही है। हरित क्रांति देश के उत्तर-पश्चिमी भागों तक सीमित रही और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों को इसका लाभ नहीं मिला। इन क्षेत्रों में कृषि संबंधी उत्पादन की स्थिति परंपरागत है। कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता सबसे कम है, सिंचाई सुविधाएं लगभग गैर-मौजूद हैं और उर्वरकों की खपत काफी कम है। पूर्वोत्तर में सबसे प्रचलित कृषि पद्धतियों में से एक 'शिफ्टिंग' या 'झूम' खेती है। लगभग 1.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि इसके अधीन है जो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी का कटाव और मिट्टी की उर्वरता का नुकसान होता है।

### प्राकृतिक संसाधन आधार

मिट्टी, पानी, वनस्पति और हाइड्रोकार्बन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का खजाना होने के बावजूद देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र अविकसित है क्योंकि संसाधनों का अंधाधुंध रूप से दोहन किया जा रहा है और दुरूपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही संपत्ति नष्ट हो रही है जो आमतौर पर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के विकास और संवृद्धि के लिए सबसे बड़ी क्षमता को ट्रिगर करने हेतु रेखांकित की जाती है। इसके अलावा क्षेत्र की जैव विविधता भी खतरे में है। कोयला खनन, उर्वरक उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग और आतंकी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हुए हैं।

### परिवहन और संचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र का परिदृश्य बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण क्षेत्र में सड़क विकास बहुत धीमा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, पूर्वोत्तर को परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि इसकी आवश्यकता के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी। अपर्याप्त परिवहन सुविधा एक गंभीर समस्या रही है जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। विभाजन के परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र ने उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षाकृत ऊंची कीमतों और एक उच्च लागत वाली अर्थव्यवस्था के रूप में न केवल आर्थिक रूप से नुकसान सहा है बल्कि पूरे देश से अलगाव भी भोगा है। इसके अलावा, रेलवे नेटवर्क भारत के रेल नेटवर्क का केवल 4% है। न्यू बोंगाईगांव का पूरा नेटवर्क मीटर गेज़ में था और जो समस्याएं थीं उनमें न केवल अपर्याप्त रेलवे नेटवर्क बल्कि गेज के परिवर्तन के कारण हो रही बाधा शामिल थी। इस क्षेत्र ने आवश्यक वस्तुओं

मसलन सीमेंट, स्टील, खाद्यान्न, नमक आदि के परिवहन में गंभीर समस्याओं का सामना किया है।

आज के समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र के समक्ष वैश्वीकरण भी एक बड़ी चुनौती है। भारत के 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ, जो भारत के पश्चिम उन्मुख रुख को पूर्व की ओर मोड़ रहा था, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए व्यापार व कारोबार में विदेशी उद्योगों व एमएनसी के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करना काफी कठिन है।

क्षेत्र का सामाजिक विघटन भी चिंता का मामला है। एक समाज जिसका उत्पादक बल अपर्याप्त है, वह अपने सदस्यों को कमज़ोर करता है और इस तरह का समाज सांस्कृतिक पूंजी के संबंध में निर्धन है और यदि ऐसे समाज का जीवन स्तर इसके उत्पादक बल के वहन किए जाने से अधिक है तो ऐसे समाज की आर्थिक स्थिति नैतिक अपकर्ष की स्थिति पैदा करती है।

शिक्षा प्रणाली यहां बुरी तरह विफल रही है। समृद्ध परिवार अपने बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए कुछ खास शहरों में भेजते हैं जिससे स्थानीय समाज को एक बड़ा आर्थिक झटका लगता है। इस समस्या का समाधान किए जाने की ज़रूरत है।

नशे की आदत एक अन्य बड़ी समस्या है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इस क्षेत्र की 30% से अधिक आबादी नशीले ड्रग्स का उपयोग करते हैं। मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम में तेजी से फैल रहा एचआईवी/एड्स गंभीर चिंता का विषय है।

पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए, 1971 में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। सभी 8 राज्य इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय शिलौंग में स्थित है। यह भारतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आरंभ में परिषद एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई, जिसे 2002 से एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में मंजूरी दे दी गई। अब ये उन बातों पर चर्चा करते हैं जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों का हित शामिल हो और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। ऐसा पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक और सामाजिक नियोजन का ख्याल रखने तथा अंतरराज्यीय विवादों की स्थिति में मध्यस्थता प्रदान करने के लिए किया गया।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसीएल) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को सहायता प्रदान करती है। एमडीओएनईआर के तहत अन्य संगठनों में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी), सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएमसी) और पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी) शामिल हैं।

सितंबर 2001 में स्थापित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार के नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, बुनियादी ढांचागत बाधाओं को दूर करना, बुनियादी न्यूनतम सेवाओं का प्रावधान, निजी निवेश हेतु वातावरण बनाना और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए बाधाओं को दूर करने जैसे मामलों में राज्य सरकारों व केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के बीच सुविधाप्रदाता के रूप में काम करता है। क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए एजेंसी की भूमिका को प्राप्त करने के अपने प्रयास में, परिषद ने कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे बिजली, परिवहन, संचार और स्वास्थ्य को चिह्नित किया है।

एनईसी का बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से क्षेत्र के बिजली क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान है। जलविद्युत परियोजनाओं और गैस आधारित परियोजना

को जोड़ने के कारण इस क्षेत्र की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। परिषद ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को व्यवस्थित करने और नैशनल ग्रिड को क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में भी पहल की है। इसके अलावा, एनईसी शुरुआत से, सड़कों और जलमार्गों के विकास में भी शामिल रहा है। एनईसी की स्थापना के समय, खेती का क्षेत्र लगभग 12 प्रतिशत था, जिसने इस क्षेत्र में कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर तैयार किया। संशोधित किस्मों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, उर्वरक के आंदोलन में परिवहन की बाधाओं आदि की अनुपलब्धता आदि की वज़ह से उत्पादकता प्रभावित हुई है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए, एनईसी ने अपने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के माध्यम से कई कदम उठाए हैं।

इन वर्षों में एनईसी ने क्षेत्र के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से सभी संघटक राज्यों के स्वास्थ्य श्रमशक्ति विकास की दिशा में काफी योगदान दिया है। एनईसी ने विभिन्न संसाधन जांच और सर्वेक्षणों के संचालन के माध्यम से पूर्वोत्तर के क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए योग दिया है। इसने संसाधन उपलब्धता और दस्तावेज़ीकरण के बारे में ज्ञान आधार बनाने में मदद की है। पूर्वोत्तर के औद्योगिक विकास के लिए एनईसी का प्रयास उद्यमियों की पहली पीढ़ी को विकसित करने में भी रहा है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में विभिन्न छोटी इकाइयां स्थापित हुई है। फॉरवर्ड लिंकेज विकसित करने के लिए, एनईसी ने एनईआरएएमसी जैसे विपणन एजेंसियों की स्थापना के द्वारा योगदान दिया है, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और व्यवसाय बैठकों के आयोजन में सहायता दी है। काउंसिल ने पालन-पोषण अन्य हथकरघा उत्पादों के लिए सुविधाएं प्रदान करके रेशम उत्पादन के विकास में योग दिया है। एनईसी ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है।

**पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास परिदृश्य बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारणों के कारण क्षेत्र में सड़क विकास बहुत धीमा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, पूर्वोत्तर को परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि इसकी आवश्यकता के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी। अपर्याप्त परिवहन सुविधा एक गंभीर समस्या रही है जिसने लंबे समय तक इस क्षेत्र के विकास को बाधित किया है।**

इसने पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय क्षरण के समाधान की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसने 3400 हेक्टेयर में फैले 1700 झुमिया परिवारों को परंपरागत खेती पद्धतियों से दूर करने में सहयोग दिया है। कृषि क्षेत्र में किए गए कुछ प्रयास जलस्तर विकास, खेती और व्यापार के वैकल्पिक तरीकों से संबंधित प्रशिक्षण हैं।

हाल ही में दिसंबर, 2017 में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विकास संबंधी पहलों के संबंध में, केंद्र ने पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना को अनुमोदन दिया है जो दो क्षेत्रों- एक, जल आपूर्ति, विद्युत, कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक आधारभूत संरचना है, दूसरी, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं हैं- में बुनियादी ढांचे के निर्माण में अंतराल को भर देगा। इस योजना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह एनएलसीपीआर, जहां 10% योगदान राज्य सरकार से आना था, के मुकाबले 100% केंद्रीय रूप से वित्त पोषित योजना है। भारत सरकार इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को 5300 करोड़ रूपये प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, ट्यूरिअल हाइड्रो-पावर प्रोजेक्ट मिजोरम में सफलतापूर्वक आरंभ किया जाने वाला पहला प्रमुख केंद्रीय परियोजना है। यह प्रति वर्ष 251 मिलियन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसी के साथ, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद एनआईआर में मिजोरम तीसरा विद्युत अधिशेष राज्य बन गया है। तथ्य यह है कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का शेयरिंग पैटर्न 90-10 बना हुआ है, जो खुद पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर वर्तमान सरकार की चिंता को दर्शाता है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान 32,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के 3800 किमी को मंज़ूरी दी गई है जिनमें से लगभग 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा चुका है।

**कृषि यहां की जनजातीय आबादी की प्रमुख आजीविका होने के बावजूद कृषि विकास का पैटर्न राज्यों और फसलों के बीच असमान रहा है। चावल (खरीफ) इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले अन्य फसल (रबी) गेहूं, आलू, गन्ना, दाल और तिलहन हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के कुल अनाज उत्पादन का केवल 1.5% उत्पादन करता है और 70% आबादी को आजीविका में मदद देता है।**

रेल नक्शे पर पूर्वोत्तर के सभी राज्य की राजधानियों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में विशेष गतिशील सड़क विकास कार्यक्रम के तहत 60,000 करोड़ और क्षेत्र में उच्च-मार्गों और सड़कों के नेटवर्क बनाने हेतु अगले 2 से 3 वर्षों में भारतमाला के तहत 30,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगी। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को सक्रियता से अपनाते हुए किए गए कुछ प्रमुख पहलों में कलदन मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, आरआईएच-टेदीम रोड प्रोजेक्ट और बॉर्डर हाट्स शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में मिजोरम के लिए रु. 194 करोड़ की दो पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनमें इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए रु. 115 करोड़ रुपये पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बांस पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाखों लोगों की आजीविका का साधन है, भारत सरकार ने हाल ही में अपने प्रतिबंधात्मक विनियामक शासन को हटा दिया है। अब बांस उत्पादों के उत्पादन, परिवहन और बिक्री के लिए किसी भी परमिट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा और 2022 तक 'किसानों की आय को दुगुना करने के प्रयासों में मदद मिलेगी।

यदि हम नवीनतम बजट (2018-19) को देखें, तो सरकार ने 50 हवाई अड्डों के पुनरुद्धार और विमानन अवसंरचना में सुधार के लिए रु. 1014.09 करोड़ (पिछले वर्षों आबंटित राशि का 5 गुना) आवंटित किया है। इनमें सिक्किम में पाकींग, अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे आदि जैसे शामिल हैं, जहां पहली बार नागरिक हवाई संपर्क प्रदान किया जाएगा।

उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों से आर्थिक लिंकेज की संभवानाओं का विस्तार होगा और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र की समग्र आर्थिक संवृद्धि व विकास में मदद मिलेगी। क्षेत्र की उच्च साक्षरता दर, प्राकृतिक सुंदरता और अंग्रेजी बोलने वाली बड़ी आबादी राज्य को आदर्श पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करती है।

### भावी रूपरेखा

क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एक छह चरणीय रणनीति प्रस्तावित की गई है:

- समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़मीनी स्तर वाली योजना के माध्यम से स्व-शासन और भागीदारी विकास को अधिकतम करते हुए लोगों को सशक्त बनाना।
- ग्रामीण कृषीतर रोज़गार के ज़रिए पशुपालन, बागवानी, फूलों की खेती, मत्स्य पालन जैसी कृषि व संबद्ध गतिविधियों में उत्पादकता बढ़ाने व आजीविका विकल्पों के सृजन के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संभावनाओं का सृजन।
- तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्र में कृषि-प्रसंस्करण, जल विद्युत उत्पादन जैसे क्षेत्रों का विकास करना।
- सरकार व बाहर की संस्थाओं के लिए क्षमता का निर्माण व लोगों के कौशल व दक्षताओं का संवर्द्धन।
- आधारभूत संरचना के लिए खास तौर पर निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त निवेश वातावरण बनाना।
- इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना।

03 फरवरी 2018 को गुवाहाटी में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का नवीनतम कार्यक्रम स्वयं पूर्वोत्तर क्षेत्र में समग्र समृद्धि लाने की दिशा में एनडीए सरकार के ईमानदार दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम ने निस्सन्देह विनिर्माण, सेवाएं, विद्युत, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, परिवहन, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प और पर्यटन सहित क्षेत्रों में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में राज्यों की निवेश संभावना को प्रदर्शित किया।

निष्कर्षत: नवाचार, पहल, विचार और कार्यान्वयन, इन चारों को एक साथ काम करने की जरूरत है। बेहतर प्रशासन पर ज़ोर देते हुए समावेशी विकास के माध्यम से समावेशी संवृद्धि लाने और मूलभूत आवश्यकताओं व सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय समुदायों के समर्थित होने को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। इसके लिए, सभी हितधारकों को पूर्वोत्तर के राज्यों के समग्र विकास के लिए एक सर्व-व्यापी यथार्थवादी योजना तैयार करने की आवश्यकता है। ❑

## मणिपुर में 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस

प्रधानमंत्री ने मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैज्ञानिकों को मानवहित के लिए अपने शोध को "प्रयोगशाला से जीवन" तक विस्तारित करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि "शोध एवं विकास" को देश के विकास हेतु अनुसंधान के रूप में पुनर्परिभाषित किए जाने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व समय की मांग है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अनुसंधान व विकास का अभिप्राय राष्ट्रीय विकास के लिए इसके उपयोग व जनता के कल्याण के लिए सेवारत होने से है। उन्होंने विश्व भर के वैज्ञानिक समुदाय से विज्ञान व प्रौद्योगिकी की बड़ी समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु सहयोग की अपील की। ❑

*मणिपुर में एक प्रदर्शनी के दौरान बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी*

# पूर्वोत्तर में सुशासन की चुनौतियां

नरेश चंद्र सक्सेना

**पूर्वोत्तर राज्यों में एडीबी और विश्व बैंक की कई परियोजनाएं अधर में सिर्फ इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए इन परियोजनाओं के व्यय में भी गति नहीं आई है। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे की परियोजनाओं का भी है। इन परियोजनाओं के लिए राज्यों ने या तो जमीन मंजूर नहीं की है या वन मंजूरी नहीं दी गई है। 22 जुलाई, 2015 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 287 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि परियोजनाओं के लंबित होने के कई कारण हैं**

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है जहां प्रति व्यक्ति आय कम है, निजी निवेश का अभाव है और पूंजी निर्माण का स्तर निम्न है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं तथा भौगोलिक रूप से यह दूसरे क्षेत्रों से कटा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, हाइड्रोपावर क्षमता और वनों का दोहन भी पूरी तरह से नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के अपने कर एकत्रण और आंतरिक संसाधन भी अत्यंत कम हैं जिसके कारण वे केंद्र सरकार के हस्तांतरणों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। स्थानीय धनाढ्य मैदानी संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं और ऐसे उद्योग लगाने से कतराते हैं जिन्हें जोखिमपूर्ण समझा जाता है। चूंकि इन राज्यों की अवस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से उद्योगों के विकास की गति इतनी तेज नहीं हो सकती।

सिक्किम और त्रिपुरा, और कुछ हद तक मिजोरम के अतिरिक्त बाकी राज्य अपने आर्थिक विकास में कुछ खास सुधार नहीं कर पाए, जैसा कि तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

1970 की शुरुआत में असम भारत के बेहतर राज्यों में से एक था लेकिन पिछले चार दशकों में असम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका और उसके सभी संकेतकों में गिरावट देखी गई। चूंकि असम में पूर्वोत्तर की 70% आबादी बसती है और यहां विकास से जुड़े सभी संकेतकों की गति मंद रही, इसलिए इसने पूरे क्षेत्र के प्रदर्शन को नीचे की ओर धकेल दिया।

हालांकि केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि राज्यों को स्वयं अपने प्रशासन को मजबूत करना चाहिए। समावेशी विकास का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, उसके साथ गरीबी उन्मूलन, सामाजिक संकेतकों में सुधार और असमानता को कम करना भी होना चाहिए। यह सुनिश्चित भी किया जाना चाहिए कि विकास के साधनों से पर्यावरण को नुकसान न हो। पूर्वोत्तर में वृहद नीतियों को अमली जामा पहनाने के

**तालिका 1: 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर पूर्वोत्तर राज्यों की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)**

| राज्य | 2005-06 | 2015-16 | वार्षिक विकास दर (2005-16) |
|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 26870 | 39107 | 3.82 |
| असम | 17050 | 26413 | 4.47 |
| मणिपुर | 19479 | 26301 | 3.05 |
| मेघालय | 25642 | 38601 | 4.18 |
| मिजोरम | 25826 | 44773 | 5.66 |
| नागालैंड | 33072 | 50327 | 4.29 |
| सिक्किम | 29008 | 92328 | 12.27 |
| त्रिपुरा | 25688 | 55322 | 7.97 |
| भारत | 28639 | 52833 | 6.32 |

लेखक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सचिव के साथ योजना आयोग के सचिव रह चुके हैं। उन्होंने 'महिला भूमि अधिकार', 'निर्धन परिवारों की पहचान', 'वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन' व 'ओडिशा में बॉक्साइट खनन' जैसी कई सरकारी समितियों की अध्यक्षता की है। उनकी कई किताबें व आलेख प्रकाशित हैं। ईमेल: naresh.saksena@gmail.com

तालिका 2: गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का %

| राज्य | सरकारी आंकड़ों के अनुसार | यूनिसेफ के अनुसार |
|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 13.30 |
| असम | 0.86 | 7.00 |
| मणिपुर | 0.02 | 3.50 |
| मेघालय | 0.14 | 16.00 |
| मिजोरम | 0.31 | 6.20 |
| नागालैंड | 0.20 | 7.90 |
| सिक्किम | 0.07 | 6.50 |
| त्रिपुरा | 0.25 | 16.80 |
| भारत | 1.61 | 9.40 |

http://icds&wcd.nic.in@Qpr0314forwebsite23092014@qpr0314nutritionalstatusofchildren.pdf

लिए सुशासन और जवाबदेह प्रशासन की जरूरत होगी क्योंकि इसके बिना अच्छी से अच्छी नीतियां और कानून भी सिर्फ कागजी शोभा बढ़ाएंगे या सुपात्र जन तक नहीं पहुंच पाएंगे। विडंबना यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राज्य और जिला स्तरीय प्रशासन कमजोर है जो अनुदानों का सदुपयोग नहीं करता और नीतियों के कार्यान्वयन पर नजर नहीं रखता। इसलिए नतीजे सुफल नहीं देते। यही वे कुछ कारण हैं जिनके चलते विकास और सामाजिक संकेतक प्रभावित होते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

## निधियों का उपयोग

जैसा कि ज्ञात है, सभी गैर मुक्त केंद्रीय मंत्रालयों को अपने वार्षिक सकल बजटीय आबंटन (जीबीए) की 10% राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र को अनिवार्य रूप से देना होता है। जितनी राशि खर्च नहीं होती, वह नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर) में चली जाती है। कुछ परियोजनाएं तो समय पर पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ लंबित हो जाती हैं। इनकी वजह यह है कि कई परियोजनाओं के लिए धन समय पर नहीं मिलता, इसके अलावा राज्यों की उपभोग क्षमता कम है और कार्य करने का मौसम भी अल्प अवधि का है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 2000 से 2010 तक एनएलसीपीआर में संचयी संग्रहण 17,213 करोड़ रुपये था, लेकिन 2011 तक केवल 8,796 करोड़ रुपए जारी किए गए जो केवल 50% राशि है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि राज्यों ने मंत्रालय को अच्छे प्रस्ताव नहीं भेजे। 2016-17 के दौरान नरेगा के अंतर्गत असम और मणिपुर (पूर्वोत्तर के दो सबसे गरीब राज्य) में एक औसत ग्रामीण गरीब पर केवल 1630 और 4953 रुपए क्रमशः खर्च किए जा रहे थे, जबकि केरल में यह राशि 15,657 रुपये और आंध्र प्रदेश में 11,942 (तेलंगाना सहित) थी।

पूर्वोत्तर राज्यों में एडीबी और विश्व बैंक की कई परियोजनाएं अधर में सिर्फ इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं। इसीलिए इन परियोजनाओं का व्यय में भी गति नहीं आई है। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे की परियोजनाओं का भी है। इन परियोजनाओं के लिए राज्यों ने या तो जमीन मंजूर नहीं की है या वन मंजूरी नहीं दी गई है। 22 जुलाई, 2015 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 287 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि परियोजनाओं के लंबित होने के कई कारण हैं, जैसे धनराशि जारी करने और परियोजनाओं को मंजूरी के बीच लंबा समय, राज्य सरकारों द्वारा समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा न करना, भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरियों से संबंधित समस्याएं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक न होना और भारी बारिश के कारण कार्य का मौसम सीमित होना है।

**नगालैंड पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रगति से संबंधित 10वें सामान्य समीक्षा मिशन (2017) का कहना था कि राज्य में स्वास्थ्य पर केंद्रित आईटी ढांचा बहुत कमजोर था। वहां टेलीमेडिसिन या एम-हेल्थ कार्यक्रम शुरू भी नहीं किए गए थे। आरसीएच (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य) रजिस्टरों पर आधारित वर्कप्लान जनरेट नहीं किए गए थे। इनवेंटरी मैनेजमेंट को कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया**

मणिपुर में स्वच्छता कार्यक्रम पर कैग रिपोर्ट (2015 का 1) का कहना था कि योजना तैयार करते समय ग्रामीण लाभार्थियों की आवश्यकताओं का सही तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया। विश्वसनीय आधारभूत डेटा भी उपलब्ध नहीं था। पीआईपी (परियोजना कार्यान्वयन योजना) की तैयारी में कोई भी सामुदायिक भागीदारी नहीं थी। वित्तीय प्रबंधन अक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप धन जारी करने में देरी हुई, राज्य का योगदान अल्प रहा और शेष बड़ी राशि में बची रही। गलत तरीके से भुगतान किए गए और ऐसे व्यय किए गए जिनसे बचा जा सकता था। इससे सुपात्र लोगों को लाभ नहीं मिला। ऐसे मानदंड भी नहीं बनाए गए जिससे लाभार्थियों का मूल्यांकन या उनकी पहचान की जा सके, साथ ही कार्यक्रम के दौरान निर्मित शौचालयों की स्थिति का आने वाले वर्षों में जायजा लिया जा सके।

## एमएंडई तंत्र में सुधार

वर्तमान में सभी स्तरों के अधिकारी सूचनाएं एकत्र करने और उन्हें जमा करने में काफी समय लगाते हैं, लेकिन इनका उपयोग सुधारात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई या विश्लेषण के लिए नहीं किया जाता। इन सूचनाओं को केवल उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेज दिया जाता है या फिर विधानसभा में सवालों के जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन आंकड़ों को जमा करने के बाद नियमित रूप से जांचा भी नहीं जाता। विभाग इनके सत्यापन में पूरी तरह से असफल है और किसी भी स्तर पर कोई जवाबदेही नहीं है।

उदाहरण के लिए राज्य सरकारों का दावा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे 1% से भी कम हैं, जबकि 2014 में यूनिसेफ की स्वतंत्र रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थितियां हैं। मणिपुर में कुपोषित बच्चे लगभग 3.5% हैं और मेघालय एवं त्रिपुरा में करीब 16%।

सरकारी आंकड़े (मार्च 2014) बनाम यूनिसेफ के निष्कर्ष इन आंकड़ों से जुड़े विरोधाभासों को हल करने की जरूरत है। इसके लिए प्रक्रियागत सुधारों की जरूरत होगी ताकि फील्ड डेटा सही, विश्वसनीय और मूल्यांकन किए गए डेटा से मेल खाता

हो। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें जिला प्रशासन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि वे बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़े दर्ज करें। इसकी वजह से निरीक्षण अप्रभावी और जवाबदेही अर्थहीन हो जाती है।

### ई-गवर्नेंस को बढ़ावा

ई-गवर्नेंस का अर्थ है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके सरकार को अधिक सुलभ, प्रभावी और जवाबदेह बनाना। ई-गवर्नेंस में तकनीक का प्रयोग करते हुए पारदर्शिता को पोषित किया जाता है ताकि दूरियों को कम किया जा सके और लोगों को सशक्त बनाया जाए। इसी के जरिए वे उन राजनैतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा ले सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। ई-गवर्नेंस में सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने की क्षमता है लेकिन उसकी जानकारी केवल शिक्षित और पेशेवर लोगों तक सीमित है। अधिकतर नागरिक अब भी इसके संभावित लाभों से अनभिज्ञ हैं।

असम से संबंधित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट (संख्या : एसीएस 2740) ने 2014 में यह गौर किया कि व्यापक आईसीटी योजना का अभाव है और मजबूत एवं सहयोगी आईसीटी अवसंचरना सहित सेवा सुपुर्दगी के लिए कोई सामान्य ढांचा नहीं है। एक सामान्य आईसीटी योजना को विकसित किया जा सकता है, अगर कानूनी मसलों को सुलझा लिया जाए, बुनियादी बाधाओं को पार कर लिया जाए, हॉरिजोंटल कनेक्टिविटी, व्यापक क्षेत्र के नेटवर्क्स और डेटा केंद्रों की उपलब्धता हो, आईसीटी को मजबूत किया जाए, मानदंडों एवं इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जाए और तकनीक तथा उपयोग के लिहाज से भविष्य का विकास और *स्केलेबिलिटी मॉडल* तैयार किया जाए। प्रत्येक विभाग को ऐसी आईसीटी योजना बनानी चाहिए जिसमें सेवाओं, बैकएंड की जरूरतों और हॉरिजोंटल नेटवर्क्स एवं क्षमताओं को शामिल किया जाए। विभागों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाएं। इससे प्रभावपरकता में सुधार होगा और जवाबदेही बढ़ेगी।

**पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी प्रशासन में बहुत से कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। वास्तव में ऐसे कर्मचारी प्रशासन को अक्षम बनाते हैं। इन कर्मचारियों में बहुत से कर्मचारी सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड तय नहीं है और उनकी तनख्वाह का भारी दबाव रहता है। संख्या के अतिरिक्त दक्षता का भी सवाल है।**

इसी प्रकार नगालैंड पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की प्रगति से संबंधित 10वें सामान्य समीक्षा मिशन (2017) का कहना था कि राज्य में स्वास्थ्य पर केंद्रित आईटी ढांचा बहुत कमजोर था। वहां टेलीमेडिसिन या एम-हेल्थ कार्यक्रम शुरू भी नहीं किए गए थे। आरसीएच (प्रजनन और बाल स्वास्थ्य) रजिस्टरों पर आधारित वर्कप्लान जनरेट नहीं किए गए थे। *इनवेंटरी मैनेजमेंट* को कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया था और एएनएम द्वारा लाभार्थियों की ट्रैकिंग की स्थिति खराब थी। राज्य में कई क्षेत्र दुर्गम हैं जहां कनेक्टिविटी का अभाव है और फोन, इंटरनेट का नेटवर्क अच्छा नहीं है। इसलिए उपलब्ध आईटी ढांचे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। चूंकि एकाउंट्स को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत नहीं किया जा सका, इसलिए त्रिपुरा के धलाई जिले में आशा कार्यकर्ताओं को कमीशन का भुगतान किए एक वर्ष से ज्यादा हो गया था।

देश के कई राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण का एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। मंत्रालय द्वारा छह राज्यों, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में टीपीडीएस के तुलनात्मक अध्ययन (चुने हुए राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन अध्ययन, एनसीएईआर सितंबर, 2015) में निम्नलिखित तथ्य सामने आए :

- छत्तीसगढ़ में लाभों के लिए सुपात्र सभी परिवारों में 2% की सबसे कम अपवर्जन त्रुटि थी, जबकि असम में सबसे अधिक 71 प्रतिशत अपवर्जन त्रुटि थी।
- लीकेज (सुपात्र को लाभ न मिलना) छत्तीसगढ़ में सबसे कम पाया जाता है, उसके बाद बिहार का स्थान है। असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह अपेक्षाकृत अधिक है।
- असम में सतर्कता और निगरानी काफी कम है। असम में बीपीएल कार्ड पाने के लिए लोगों को 3,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता।
- कछार और बोंगाईगांव कार्डधारकों में कभी भी अपना पूरा अनाज नहीं मिलता क्योंकि एफपीएस डीलर प्रति कार्ड 3-4 किलोग्राम अनाज कम कर देते हैं। डीलरों ने स्वीकार किया कि यह सच था। उन्होंने इस कटौती को उचित ठहराया क्योंकि परिवहन की लागत की भरपाई सरकार द्वारा नहीं की गई थी।

### निरर्थक नौकरशाही

हालांकि अनेक राज्यों में ऊपरलिखित कमियां हैं, दो विशेष समस्याएं पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हैं। इन राज्यों में गैर योजनागत व्यय बहुत अधिक है क्योंकि यहां ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी बहुत अधिक संख्या में हैं, जैसे क्लर्क, चपरासी वगैरह जिनकी अब जरूरत नहीं है। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों में योजनागत व्यय के लिए पर्याप्त

तालिका 3: असम बनाम छत्तीसगढ़

| | असम | छत्तीसगढ़ |
|---|---|---|
| क्षेत्र (1000 वर्ग किलोमीटर) | 135 | 78.4 |
| जनसंख्या (करोड़ में) | 3.12 | 2.55 |
| % गरीबी रेखा से नीचे (2011-12) | 32% | 40% |
| 2015-16 में वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण, करोड़ रुपए में | 17,401 | 13,490 |
| योजना परिव्यय 2014-15, करोड़ रुपए में | 18,000 | 32,710 |
| 2014-15 के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय | 5,775 | 12,807 |
| सरकारी कर्मचारियों की संख्या हजार में | 316 | 122 |

धनराशि नहीं बचती, इसके बावजूद केंद्रीय हस्तांतरण उदारता से किया जाता है। उदाहरण के लिए 2014-15 में असम का प्रति व्यक्ति योजनागत परिव्यय 5,775 रुपये था, जबकि इसी के समान निर्धन गरीब जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ का योजनागत परिव्यय 12,807 रुपये था। इसका कारण यह था कि असम में वेतन का भारी बोझ था। यहां हम दोनों राज्यों की तुलना कर रहे हैं।

इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी प्रशासन में बहुत से कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। वास्तव में ऐसे कर्मचारी प्रशासन को अक्षम बनाते हैं। इन कर्मचारियों में बहुत से कर्मचारी सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड तय नहीं है और उनकी तनख्वाह का भारी दबाव रहता है। संख्या के अतिरिक्त दक्षता का भी सवाल है। प्रशासन अनुत्पादक और अप्रासंगिक कर्मचारियों से भरा पड़ा है, जहां क्लर्कों, चपरासियों और वाहन चालकों की बड़ी संख्या है। दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में अग्रणी पंक्ति के कर्मचारियों का अभाव है जैसे नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, न्यायाधीश और यहां तक कि पुलिसकर्मी। इन राज्यों में गैर योजनाबद्ध तरीके से संगठनात्मक संरचनाएं तैयार की गई हैं जहां विभिन्न विभाग एक जैसे कार्य करते हैं। इनकी कार्य प्रणालियां और प्रक्रियाएं अच्छी तरह से नहीं बनाई गई हैं, मानव संसाधन प्रबंधन खराब है और प्रोत्साहनों की कमी है। इन कारणों से सरकार की प्रशासनिक क्षमता कम हो गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक अन्य बड़ी समस्या असम, मणिपुर और नगालैंड में व्यापक रूप से प्रचलित 'बंद' (राज्य बंद) की संस्कृति है जो व्यक्तिगत अधिकारों की धारणा के खिलाफ है। यह स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं की प्रभावशीलता पर एक कलंक है और पूरी तरह से असंवैधानिक है। असम में 'बंद' का असर पूरे पूर्वोत्तर पर पड़ता है, चूंकि चावल, दालों, दवाइयां, सब्जियों, पोल्ट्री जैसी बुनियादी वस्तुएं अन्य राज्यों में असम के रास्ते-सड़क या रेल से पहुंचती हैं। इसलिए समय आ चुका है, जब असम, मणिपुर और नगालैंड के नागरिक अपनी भावी पीढ़ियों को प्रगतिशील और शांतिपूर्ण जीवन देने के लिए बंद की नकारात्मक संस्कृति के खिलाफ खड़े हों। ये बंद ऐसे सशस्त्र समूहों द्वारा कराए जाते हैं जो किसी नागरिक समूह का नहीं, बल्कि केवल खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य सरकारों को खराब प्रशासन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।

## निष्कर्ष

हमें देश में विकास की भिन्न-भिन्न दरों के बीच अंतराल को आने वाले दशक में समाप्त करना होगा। पूर्वोत्तर में ऐसा करने के लिए प्रशासन और उनके कामकाज में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। चूंकि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का प्रश्न नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर के संस्थानों और व्यक्तियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी प्रयोग कर सकें- यही विकास के मार्ग की एक बड़ी बाधा है। इसे काबू में करने के लिए देश के प्रत्येक भाग, पूर्वोत्तर में सरकार के सभी स्तरों पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। संस्थागत निर्माण राज्य सरकार के विभागों एवं एजेंसियों को मजबूत करने और नागरिक एवं राज्य सरकारों के बीच फलदायी सहभागिता का आह्वान करता है। स्थानीय स्वशासन से जुड़े संस्थानों को मजबूत करना खास तौर से महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार ध्यान केंद्रित कर सकती है।

निर्धारित लक्ष्यों, स्पष्ट परिणामों, रणनीतियों और क्षेत्र के लिए समन्वित योजना के साथ पूर्वोत्तर को तेजी से आत्मनिर्भर बनाना होगा ताकि वह देश के खजाने और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रूप से योगदान करे। इस प्रक्रिया को शुरू करना एक अनिवार्यता है। सुशासन विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है। यह नैतिकता और प्रशासनिक प्रणाली, दोनों का मामला है। ऐसा हस्तांतरण, जिसकी सामाजिक स्तर पर समीक्षा की जाए, जमीनी स्तर पर निरीक्षण और सतर्कता को मजबूती देगा। इससे प्रशासन के उच्च स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह क्षमता निर्माण और संस्था-निर्माण, दोनों महत्वपूर्ण हैं, उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। ❑

## मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने 16 मार्च 2018 को मणिपुर में 750 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, 1000 आंगनवाड़ी केंद्र व कई अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने लुवांगपोकपा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रानी गाइदिंलियु पार्क व अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वोत्तर के युवाओं में निहित खेल संभावनाओं व क्षमताओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने साबित किया है कि कैसे खेल महिल सशक्तीकरण का माध्यम बन सकता है। उन्होंने मीराबाई चानू व सरिता देवी समेत राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सराहना की। ❑

# अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) का लक्ष्य और मिशन सौर संसाधनों से समृद्ध देशों के बीच सहयोग के लिए मंच मुहैया कराना है। इस मंच के जरिये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय इकाइयों, कॉरपोरेट, उद्योग और अन्य संबंधित पक्षों समेत वैश्विक समुदाय को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है, ताकि सतत, सुरक्षित और सस्ते तरीके से ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इससे पहले, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच मौजूद सौर समृद्ध देशों की सौर तकनीक संबंधी जरूरतों के लिए अलग से कोई संस्था नहीं थी। इनमें से ज्यादातर देश सूरज की किरणों के अधिकतम अवशोषण से जुड़े ठिकाने पर मौजूद हैं। इन देशों में पूरे वर्ष तेज सूरज की किरणें देखने को मिलती हैं, जिससे सस्ती सौर ऊर्जा के लिए गुंजाइश बनती है।

ऐसे ज्यादातर देशों में बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। कई देशों को संभावित सौर ऊर्जा विनिर्माण इको-सिस्टम में दिक्कतों और कमियों का का सामना करना पड़ता है। सभी जगहों पर ऊर्जा की पहुंच की कमी, ऊर्जा समानता और इसकी सस्ती कीमत ज्यादातर सौर समृद्ध देशों में आम मुद्दे हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के जरिये सौर संसाधनों के लिहाज से अमीर देशों का गठबंधन बनाया गया है, ताकि उनकी खास ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह गठबंधन इस संबंध में कमियों की पहचान कर उससे निपटने के लिए मिलकर काम करने की खातिर भी प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। साथ ही, यह प्लेटफॉर्म उन मकसदों या कोशिशों के लिए काम नहीं करेगा, जिसके लिए अन्य संस्थाएं मसलन अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पार्टनरशिप (आरईईईपी), अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईएए), 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क (आरईएन 21), संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं और अन्य द्विपक्षीय संस्थान फिलहाल काम कर रहे हैं। हालांकि, मंच इन संस्थानों के साथ नेटवर्क स्थापित कर उनके साथ मिलकर काम करेगा और उनकी कोशिशों में लगातार पूरक के तौर पर काम करता रहेगा।

भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वां ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनावरण किया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 2030 तक 1 टेरावॉट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैन्युअल मैक्रों का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 1 खरब डॉलर की जरूरत होगी।

भारत इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। गठबंधन में इसकी अहम भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसका भारत में सचिवालय होगा। भारत ने 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है और यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लक्ष्य का 10वां हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 संभावित सदस्य देशों को लेकर खुला है और इसमें से ज्यादातर कर्क से मकर रेखा के बीच मौजूद हैं। दरअसल, दुनिया के इस हिस्से में वर्षों के अधिकांश में सूरज की तेज किरणें नजर आती हैं।

अब तक 56 देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़े समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेनिन, ब्राजील, बुरकीनो फासो, काबो वर्दे, कंबोडिया चिली, कोमोरोस, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमनिकन रिपब्लिक, डी. आर. कॉन्गो, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, गुयाना, भारत, किरीबाती, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मोजांबिक, नाउरु, नाइजर, नाइजीरिया, पेरू, रवांडा, साओ तोमे, सेनेगल, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, श्रीलंका, सूरीनाम, तोगो, तोंगा, यूएई, यूगांडा, वेंजुएला और यमन आदि शामिल हैं।

## आईएसए का उद्देश्य

गठबंधन के सदस्य देश सामूहिक रूप से अपनी जरूरतों के मुताबिक सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों से निपटेंगे। सदस्य स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई गतिविधियों और अभियानों के जरिये समन्वित कार्रवाई करते हैं, जिसका मकसद सौर वित्त, सौर तकनीक, नवोन्मेष, शोध व विकास और क्षमता निर्माण के लिए काम करना है।

इस अभियान में सदस्य देश एक-दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करते हैं और संबंधित संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों और गैर-सदस्य देशों के साथ पारस्परिक तौर पर फायदेमंद रिश्तों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं।

हर सदस्य देश सौर संबंधी नई-नई जानकारी साझा करते हैं। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मकसद सामूहिक कार्रवाई के जरिये संबंधित दिशा में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। सहयोग से जुड़ी संभावनाओं को प्रमुखता से पेश करने के लिए सचिवालय इन गतिविधियों का डेटाबेस रखता है।

## कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां

सदस्य देशों द्वारा समन्वित तरीके से काम, परियोजनाओं और गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा और उनके पास आसान, हासिल करने योग्य लक्ष्य होंगे। गठबंधन के दो सदस्यों या कई सदस्यों के समूह या सचिवालय द्वारा किसी कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया जा सकता है। सचिवालय गठबंधन के सभी कार्यक्रमों के बीच सुसंगति सुनिश्चित करता है।

## अब तक हुई प्रगति

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने सौर ऊर्जा के वित्त पोषण के लिए काम तेज करने के मकसद से 30 जून 2016 को विश्व बैंक के साथ समझौता किया। इस सिलसिले में निवेश के तौर पर 1,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा इकट्ठा करने में बैंक का अहम रोल होगा। किफायती दर और बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए वर्षों 2030 तक इतनी रकम की जरूरत होगी। जनवरी 2018 में अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट (डब्ल्यूएफईएस) में भारत सरकार ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 35 करोड़ डॉलर का कोष बनाने का ऐलान किया था। ❑

IAS THE COUNCIL™ PCS

Since 2003

एक विश्वसनीय संस्थान

*Our Identity is Quality, Quality & Quality*

# सामान्य अध्ययन

**हमारी टीम**

कुमार गौरव, अनुज सिंह, शरद त्रिपाठी, धर्मेन्द्र, अनिल केशरी, हामिद खान, बी.के. सिंह, संजय भारद्वाज, निशान्त श्रीवास्तव, मु. सलीम एवं अन्य

**फाउंडेशन कोर्स**

बैच प्रारम्भ ( अप्रैल द्वितीय सप्ताह )

प्रथम बैच-8 AM, द्वितीय बैच-5.30 PM

**मुख्य परीक्षा विशेष**

प्रथम बैच - 10.30 AM

द्वितीय बैच - 5.30 PM

**वैकल्पिक विषय**

भूगोल द्वारा कुमार गौरव

समाजशास्त्र द्वारा Dharmendra Sociology, Delhi

Mumfordganj Branch : 573, Mumfordganj (Nigam Chauraha), Allahabad
Civil Lines Branch : Ganpati Tower, 56 Sardar Patel Marg, Allahabad
Contact : 09415217610, 07068696890, 0532-2642349

YH-804/2017

# नया भारत और नया रेलवे : बजट और नजरिया

शशिकला पुष्पा
बी रामास्वामी

**भारतीय रेलवे के कामकाज का मामला इसे आत्मनिर्भर इकाई बनाने और गरीबों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर इसके काम करने के बीच फंसा है। नतीजतन, यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं होती और रूटों का निर्धारण गैर-व्यावसायिक वजहों के आधार पर किया जाता है।**

**आम तौर पर यात्री किराया वर्षों तक एक जैसा रहता है और इससे सरकार के बजट पर बोझ बढ़ता है। वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए इससे पहले फ्रेट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ऐसा लगता है कि फ्रेट शुल्क और यात्री किराए के बीच अनियमितता ने रेलवे का प्रदर्शन खराब कर दिया है**

डेढ़ सौ से भी ज्यादा पुरानी संपत्ति भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। यह 19,000 से भी ज्यादा ट्रेनों और 7,112 स्टेशनों का संचालन करता है। रेलवे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। भौगोलिक संपर्क, नागरिकों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों में मदद करने के अलावा रेलवे विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स और यातायात से जुड़ी अवसंरचना भी मुहैया कराता है।

केंद्र सरकार रेलवे के ढांचे को फिर से दुरुस्त कर इसे ज्यादा दक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। कोचों की गुणवत्ता को बेहतर करने, वाईफाई लगाने, सुपर लग्जरी तेजस जैसी ट्रेन चलाने, लागत कम करने के लिए आधुनिक दीन दयालु योजना, परियोजनाओं पर अमल तेज करने से लेकर फंड जुटाने के नए तौर-तरीकों के बारे में सोचने तक, भारतीय रेलवे के पास अब भी काफी चुनौतियां हैं।

### रेलवे के लिए बजट आवंटन

सरकार ने 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ के पूंजीगत खर्च का आवंटन किया। अब सभी ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा होगी और सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा, उन्हें अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा। जिन स्टेशनों पर 25,000 से ज्यादा लोगों की आवाजाही है, वहां स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी; 12,000 वैगन, 5,160 कोच और 700 लोकोमोटिव तैयार किए जा रहे हैं और फोकस सुरक्षा, रेलवे पटरियों के रखरखाव, तकनीक के इस्तेमाल में बढ़ोतरी और कुहासा सुरक्षा उपकरणों पर होगा।

बजट में 600 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास की बात कही गई है; बेंगलुरु मेट्रो के लिए 17,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए 11,000 करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। हाई स्पीड रेलवे परियोजनाओं के लिए संबंधित लोगों को प्रशिक्षण मुहैया कराने की खातिर वड़ोदरा में एक संस्थान बन रहा है; आने वाले साल में 36,000 किलोमीटर की रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य का तैयार किया गया है। सरकार 2 साल में बड़ी लाइन के दायरे में 4,267 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करेगी; 2017-18 के दौरान 4,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिक नेटवर्क चालू हो जाना है। साथ ही, पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरीडोर पर काम पूरी रफ्तार से चल रहा है।

### रेलवे की चुनौतियां

बेशक हमारे देश में रेलवे का विकास तेजी से होता है, मगर विकास की इस राह में अब भी कई समस्याएं हैं। मुख्य समस्याएं कुछ इस तरह हैं:

### रेलवे में विस्तार और आधुनिकीकरण की सुस्त रफ्तार

रेलवे के मुसाफिरों की संख्या और रूटों की संख्या में इसकी शुरुआत के मुकाबले काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस अनुपात में अवसंरचना में बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह काफी कम है। दरअसल, रेलवे ने आजादी के बाद सिर्फ 10,000 रूट-किलोमीटर जोड़े हैं, जबकि इसी अवधि में चीन 50,000 रूट किलोमीटर से भी ज्यादा जोड़ चुका है। इसके अलावा, पिछले 3 दशकों में कुल रूट किलोमीटर में दोहरे या इससे ज्यादा वाले ट्रैक की हिस्सेदारी में सिर्फ 52 फीसदी की

शशिकला पुष्पा राज्यसभा सांसद हैं। ईमेल: sasikalapushpamprs@gmail.com
बी रामास्वामी एपीजी शिमला विश्वविद्यालय में उप कुलपति हैं और उक्त सांसद के विधिक सलाहकार हैं।

बढ़ोतरी हुई है और आज भी रूट किलोमीटर के 30.32 हिस्से पर ही दोहरा/इससे ज्यादा लाइन वाली पटरियां हैं। विस्तार की सुस्त रफ्तार के कारण मौजूदा अवसंरचना पर बोझ काफी ज्यादा है और रेलवे द्वारा संचालित किए जा रहे 1,219 खंडों में से तकरीबन 40 फीसदी लाइन की क्षमता का उपयोग 100 फीसदी से भी ज्यादा है।

### रेलवे दुर्घटनाएं

हमारे देश में रेल दुर्घटनाओं के मामले दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा हैं। दुर्घटनाएं कर्मचारियों की गलती और लापरवाही के कारण होती हैं।

### बिना टिकट यात्रा

भारतीय रेलवे की एक और समस्या बड़ी संख्या में मुसाफिरों द्वारा बिना टिकट खरीदे चलना है। बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों के कारण रेलवे को हर साल 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान वहन करना पड़ता है।

### राजस्व संबंधी समस्याएं

भारतीय रेलवे के कामकाज का मामला इसे आत्मनिर्भर इकाई बनाने और गरीबों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर इसके काम करने के बीच फंसा है। नतीजतन, यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं होती और रूटों का निर्धारण गैर-व्यावसायिक वजहों के आधार पर किया जाता है।

आम तौर पर यात्री किराया वर्षों तक एक जैसा रहता है और इससे सरकार के बजट पर बोझ बढ़ता है। वित्तीय चुनौती से निपटने के लिए इससे पहले फ्रेट शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ऐसा लगता है कि फ्रेट शुल्क और यात्री किराए के बीच अनियमितता ने रेलवे का प्रदर्शन खराब कर दिया है।

प्रीमियम ट्रेनों में सर्ज प्राइसिंग का हालिया फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, रेलवे के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द अपने फ्रेट बास्केट का विस्तार है।

### संचालन संबंधी कार्यक्षमता

भारत रेलवे के पास 13 लाख कर्मचारी हैं। साथ ही, कर्मचारियों की ताकतवर यूनियन भी है। दरअसल, यह केंद्रीकृत संस्थान बन चुका है जहां पदों के क्रम के हिसाब से फैसले लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। नतीजतन, साधारण फैसलों को निपटाने में भी वर्षों लग जाते हैं।

रेलवे की लागत बढ़ने से उसका परिचालन अनुपात और खराब हो सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के कारण रेलवे पर रिटायर और मौजूदा कर्मचारियों के मद में इस साल तकरीबन 28,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

### वित्त और लेखा प्रणाली

रेलवे आयगत खर्च पर बड़ी रकम खर्च करता है, लिहाजा पूंजीगत खर्च के लिए काफी कम रकम बचती है। उसे पूंजीगत खर्च के लिए खुद से फंड पैदा करने की जरूरत है और उल्लेखनीय बदलाव के लिए फंडिंग का नया और गैर-सरकारी साधन भी ढूंढ़ना होगा।

हालांकि, यह काम तभी हो सकता है, जब रेलवे को मजबूत बैलेंस शीट के साथ एक दक्ष इकाई के तौर चलाया जाए और इसके सहारे कर्ज जुटाया जाए। रेल मंत्रालय 2019 तक रेलवे में निवेश को बढ़ाकर 8.56 लाख करने की भी तैयारी में है।

**भारतीय रेलवे की एक और समस्या बड़ी संख्या में मुसाफिरों द्वारा बिना टिकट खरीदे चलना है। बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों के कारण रेलवे को हर साल 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान वहन करना पड़ता है।**

### पुरानी पटरियां और रेल के डिब्बों व इंजन की खराब हालत

भारतीय रेलवे के साथ बड़ी दिक्कत यह है कि पटरियां पुरानी पड़ चुकी हैं। पुरानी पटरियों के कारण रेलवे को गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण ट्रेनों की रफ्तार भी सीमित है। हर नई समय-सारणी में सभी ट्रेनों के सफर का वक्त बढ़ाया जाता है, जबकि बाकी देशों में यह समय तेजी से कम होता जा रहा है।

### आधुनिक प्रबंधन की कमी

रेलवे में आधुनिक प्रबंधन की भी कमी है। यह उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने और पर्याप्त इंसेंटिव देने में नाकाम रहा है। इसके अलावा, रेलवे शुल्क संबंधी योजनाओं को लेकर आर्थिक विश्लेषण नहीं कर सका।

### पुरानी पड़ चुकी है तकनीक

रेलवे के इंजन, कोच, मालगाड़ी के डिब्बे आदि पूरी तरह से पुराने पड़ चुके हैं। इसके सिस्टम में स्टाफ की संख्या काफी ज्यादा है और इसमें तकनीकी बेहतरी के साथ जरूरी बदलाव नहीं किया जा सका है। ऐसे में रेलवे ट्रांसपोर्ट की बढ़ती मांग से निपटने और कम लागत पर ट्रैफिक वॉल्यूम सुधारने में सक्षम नहीं है।

### बदलाव की समस्या

पुराने रेलवे के पुराने इंजनों, मालगाड़ी के डिब्बों और बाकी उपकरणों में बदलाव भारत में बड़ी समस्या बन चुका है।

### दोहरी लाइन बिछाने की समस्या

ज्यादातर रेलवे लाइन सिंगल लाइन हैं, जिससे रेलवे इकाइयों और मुसाफिरों को काफी दिक्कत होती है।

### अपर्याप्त निवेश

अपर्याप्त निवेश के कारण रेलवे ट्रांसपोर्ट अपनी जरूरतों के मामले में पिछड़ गया है। इन कमियों का अलग-अलग समितियों ने जिक्र किया है। मसलन राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट नीति समिति, रेल शुल्क अनुसंधान समिति और रेलवे सुधार समिति ने ये बातें कहीं।

### सड़क परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा

सड़क परिवहन के साथ रेलवे की प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। मुसाफिर और सामानों की ढुलाई दोनों मामलों में ऐसा हो रहा है। रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट के बीच तालमेल की कमी से रेलवे की कमाई क्षमता कम हुई है। इससे यातायात गतिविधियों में देरी होती है और मुसाफिरों को असुविधा होती है।

### बाजार का आकार

अप्रैल-नवंबर 2017 के दौरान भारतीय रेलवे के मुसाफिरों की संख्या में 0.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 55.43 करोड़ रहा। इसी अवधि में रेलवे की कुल आमदनी में सालाना आधार पर 5.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 1,09,209.15 करोड़ रुपये रहा। मुसाफिरों से आमदनी में 5.24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 32,370 करोड़ रुपये रहा, जबकि फ्रेट संबंधी आमदनी 8.01 फीसदी बढ़कर 71,168 करोड़ रुपये हो गया।

### निवेश/विकास

अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 के दौरान रेलवे से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश (एफडीआई) 89.69 करोड़ डॉलर रहा। रेलवे के क्षेत्र में कुछ अहम निवेश और विकास इस तरह हैं:

सूरत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए योजना का जल्द ऐलान किया जाएगा। इसके लिए कुल 4,650 करोड़ (71.51 करोड़ डॉलर) की जरूरत होगी। रेलवे अपने 100 में से 40 यार्ड को छोटे यार्ड में बदलने और मैन्युअल निगरानी को खत्म करने के लिए तकरीबन 3,000 करोड़ (46.10) का निवेश करने की तैयारी में है।

भारतीय रेलवे का नेटवर्क अच्छी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। अगले पांच साल में भारतीय रेलवे का मार्केट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऐसा मार्केट होगा और इसमें वैश्विक बाजार की 10 फीसदी हिस्सेदारी होगी। रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, रेलवे 10 लाख रोजगार पैदा कर सकता है।

देश के विभिन्न हिस्सों में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (डीएफसी) की तीन नई इकाइयों को विकसित करने के लिए भारत सरकार 3,30,000 करोड़ (50.98 अरब डॉलर) निवेश करने की तैयारी में है।

साथ ही, यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (ईटीसीएस) को अपनाने के लिए भी रेलवे निवेश करने पर विचार कर रहा है। इससे अवसंरचना सुविधाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी।

## सुझाव और जरूरी सुधार

रेल की परिहवन व्यवस्था को आकर्षक बनाने और इस मामले में रेलवे की घटती हिस्सेदारी के चलन को रोकने के लिए वित्त वर्ष 2017 में कई कदम उठाए गए। इसमें माल भाड़े को तर्कसंगत बनाया जाना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के रेट के लिए नीति संबंधी नए दिशा-निर्देश, लौह अयस्क के निर्यात और कोयला संबंधी भाड़े को तर्कसंगत बनाने के लिए दोहरी फ्रेट नीति की वापसी जैसे उपाय शामिल हैं।

रेल माल भाड़े को आकर्षित बनाने के लिए रेलवे ने ये उपाय किए हैं:

नई कमोडिटी का वर्गीकरण; माल भाड़े को तर्कसंगत बनाना; कोयला संबंधी भाड़े को तर्कसंगत बनाना; कंटेनर की व्यवस्था के जरिये फ्रेट बास्केट का विस्तार; एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के रेट के लिए नए दिशा-निर्देश; अपेक्षाकृत खाली रूटों पर माल लादने पर ऑटोमेटिक फ्रेट छूट योजना; आयरन ओर के निर्यात के लिए दोहरी फ्रेट नीति की वापसी; मालगाड़ी के खुले डिब्बों में सामान की डिलीवरी का नया मॉडल; रोल-ऑन-रोल ऑफ सेवाओं जैसे नए डिलीवरी मॉडल; छोटी दूर में छूट की व्यवस्था को फिर से शुरू करना; फ्रेट बिजनेस के लिए डिजिटल भुगतान और भाड़े के लिए लंबी अवधि की संविदा नीति (इससे भाड़े में स्थिरता आती है और ग्राहकों को फ्रेट में आकर्षक छूट मिलती है।)

## स्टेशनों का पुनर्विकास

आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास की परियोजना 'सबसे ज्यादा गैर-किराया राजस्व' हासिल करने वाली है। साथ ही, स्टेशनों के पास किए गए व्यावसायिक विकास भी उस शहर का अहम केंद्र बन जाएंगे और इससे खुदरा क्षेत्र, व्यावसायिक और आतिथ्य को फायदा होगा।

**सर्वे के मुताबिक, नए सिरे से विकसित स्टेशन डिजिटल सुविधाओं, स्वचालित सीढ़ियों, खुद से टिकट लेने वाले काउंटर, एग्जिक्यूटिव लाउंड, सामानों की जांच करने वाली मशीनों, यात्रियों के बैठने या खड़े होने के लिए जगह, विशिष्ट फ्लोर और छत और भुगतान वाले वाईफाई आदि सुविधाओं से लैस होंगे।**

सर्वे के मुताबिक, नए सिरे से विकसित स्टेशन डिजिटल सुविधाओं, स्वचालित सीढ़ियों, खुद से टिकट लेने वाले काउंटर, एग्जिक्यूटिव लाउंड, सामानों की जांच करने वाली मशीनों, यात्रियों के बैठने या खड़े होने के लिए जगह, विशिष्ट फ्लोर और छत और भुगतान वाले वाईफाई आदि सुविधाओं से लैस होंगे।

## सुरक्षा-सुरक्षा पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

पिछले कुछ समय में देश में रेल दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों से चिंतित विश्व बैंक ने रेलवे को दिशा-निर्देशों की सिफारिश की है। इससे रेलवे को भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं-आपदाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय के तौर पर ट्रेनों को 'डिच लाइट' से लैस किया जाएगा और चमकीले पीले रंग से पेंट किया जाएगा। इससे अंधेरे में भी ज्यादा चीजें दिखेंगी।

रेल कर्मचारियों को काफी 'बेहतर दृश्यता' वाले कपड़ों में होना चाहिए, जिसे सालभर पहना जा सकता है। इस बात को पक्का करना चाहिए कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ऐसे कपड़े ही पहनें। कर्मचारियों को अपने भत्ते की सीमा में रहते हुए और संबंधित मकसद को ध्यान में रखते हुए जूते-चप्पल और हेलमेट का चुनाव करना चाहिए; हर ट्रेन में आगे बुझाने वाले उपकरण होने चाहिए और स्टाफ आग रोकने संबंधी उपायों के बारे में ठीक ढंग से प्रशिक्षित हो।

फाटकों और रास्तों को वैसे चिन्हों के जरिये पेंट करना चाहिए, ताकि लोगों को इलाके में खतरे के बारे में तय समय पर आगाह किया जा सके; जिन जांचकर्ताओं को अभी दुर्घटनाओं की मूल वजह जानने के लिए तैनात किया जाता है, उन्हें बेहतर विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा, सक्षम अधिकारियों को समय सारणी की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है, ताकि सभी मुख्य लाइनों पर साप्ताहिक आधार पर चार घंटे का मेंटेनेंस ब्लॉक लगाया जाए और मौजूदा जोखिमों की पहचान के मकसद से परिचालन व्यवस्था में सुरक्षा की समीक्षा की जाए।

रेलवे सुरक्षा कमिश्नर के अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र रेल सुरक्षा नियामक बनाना होगा और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अगुवाई में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तैयार करनी होगी; गाड़ियों के पटरी पर से उतरने की समस्या, आग और किसी अन्य संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय संबंधी योजना तैयार करनी होगी।

## रेलवे सुरक्षा पर काकोडकर रिपोर्ट

समिति ने 106 सुझाव दिए थे और इसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था। मसलन सामान्य सुरक्षा से जुड़े मामले, सांगठनिक ढांचा, कामकाज के स्तर पर सशक्तीकरण, सुरक्षा संबंधी काम और मुद्दे,

# बजट 2018 पर खास नजर

# पूर्वोत्तर राज्यों का विकास - समग्र समीक्षा

## कुल आवंटन

इस क्षेत्र के लिए 2018-19 में कुल बजटीय आवंटन 47,994.88 करोड़ रुपये है। 2017-18 में इस संबंध में आवंटित रकम 40,971.69 करोड़ रुपये थी यानि इसमें पिछले साल के मुकाबले 7,023.19 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का बजट 2,737 करोड़ (2017-18) से बढ़ाकर 3,060 करोड़ (2018-19) कर दिया गया है।

गुवाहाटी-नाहरलागुन शताब्दी एक्सप्रेस

इस बजट में पूर्वोत्तर राज्यों को सीधा अनुदान भी 1,449.83 करोड़ से बढ़ाकर 1,638.27 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इस क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च 420 करोड़ रुपये बढ़कर 700 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए बड़ा बजटीय आवंटन मिला है। इससे इस क्षेत्र से संपर्क को बढ़ावा मिलेगा और इसकी आर्थिक संभावनाएं खुलेंगी।

## रेलवे

कुल 20 बड़ी नई रेल परियोजनाएं शुरू करने की बात है। इसमें 13 नई रेल लाइनें बिछाना, छोटी से बड़ी लाइन में परिवर्तन, रेल पटरियों का दोहरीकरण और नए स्टेशन बनाने व मौजूदा स्टेशनों का विस्तार शामिल हैं।

तीन नई रेल लाइनों के साथ अरुणाचल प्रदेश इसका अहम लाभार्थी होगा। इन रेल लाइनों को भारत-चीन सीमा के पास ऊंची पहाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में बढ़ाया जा रहा है।

सभी राज्यों को जल्द रेल लाइनों से जोड़ा जाएगा, 2014 तक इस बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

सरकार ने इस क्षेत्र में रेल संपर्क के लिए बड़ी रकम यानी 5,886 करोड़ रुपये देने का वादा किया है और यह आंकड़ा 2019 तक बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये (जापान और अन्य खिलाड़ियों द्वारा निवेश समेत) हो जाने का अनुमान है।

पूर्वोत्तर में पिछले तीन साल में 970 किलोमीटर की पटरियों का चौड़ीकरण किया गया। लिहाजा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी चालू छोटी लाइन (मीटर गेज) को बड़ी लाइन (ब्रॉड गेज) में बदला जा चुका है।

अगरत्तला-अखूरा (बांग्लादेश) रेल लिंक के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

## बांस

बांस मुख्य तौर पर एक तरह की घास है, लेकिन 90 साल से इसे पेड़ के तौर पर माने जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र चीन की तरह इसका व्यावसायिक फायदा उठाने में नाकाम रहा। देश के कुल बांस उत्पादन में पूर्वोत्तर का हिस्सा 67 फीसदी है। चीन एकमात्र देश है, जो बांस आनुवांशिकी के तौर पर काफी समृद्ध है।

अब बजट 2018 ने इस घास से उम्मीदें जगा दी हैं, जिससे कभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्रोह पनपा था।

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए 1,290 करोड़ रुपये के आवंटन ने बांस आधारित उद्योगों मसलन खाद्य प्रसंस्करण से निर्माण तक उम्मीदें पैदा की हैं।

बजटीय प्रावधान बांस के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना के लिए बेहतरीन पहल में से एक है।

## उड्डयन

आम बजट 2018-19 में पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क बढ़ाने पर केंद्र सरकार का फोकस जारी है।

वित्त मंत्रालय ने 50 हवाई अड्डों के पुनर्विकास और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत इन इलाकों में उड्डयन अवसंरचना को सुधारने के मकसद से आगामी वित्त वर्ष के लिए 1,014 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। यह 2017-18 के संशोधित अनुमान संबंधी 200.11 करोड़ के आवंटन का तकरीबन 5 गुना है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना के दूसरे चरण के तहत विकास कार्यों के लिए 325 हवाई मार्गों में से 129 यानी 40 फीसदी उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों को दिए गए। इनमें जम्मू-कश्मीर में कारगिल जैसे हवाई अड्डे, सिक्किम में पकयोन्ग और अरुणाचल प्रदेश में तेजू जैसे सामरिक हवाई अड्डे शामिल हैं, जहां पहली बार इन हवाई अड्डों के जरिये नागरिकों के लिए संपर्क मुहैया कराया जाएगा।

पूर्वोत्तर के दूर-दराज के इलाकों का हवाई संपर्क होने से इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसके अलावा, व्यापार और वाणिज्य में भी बढ़ोतरी होगी।

गुवाहाटी हवाई अड्डा

## सड़क

सरकार द्वारा सड़क संपर्क पर भी जोर दिए जाने से 2014 से 2019 तक इस क्षेत्र में 10,500 किलोमीटर की नई सड़क बनेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, पूर्वोत्तर में 2014-2019 के दौरान नई सड़कों, पुलों आदि के निर्माण और मौजूदा के विस्तार पर 2 लाख करोड़ का निवेश होगा।

इसमें ब्रह्मपुत्र के साथ 40,000 करोड़ रुपये की लागत वाला 1,300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाइवे और 55,000 करोड़ की ट्रांस-अरुणाचल (के पार) राजमार्ग परियोजना शामिल है। भारतमाला परियोजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5,301 किलोमीटर लंबी सड़कों में बेहतरी को मंजूरी मिल गई है।

असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले और किसी नदी पर बने सबसे लंबे पुल ढोला-सदिया पुल (9.15 किलोमीटर) का उद्घाटन किया गया। दिसंबर में सौंपा गया भारत-म्यांमार-थाइलैंड तीनतरफा राजमार्ग का काम तेज हो गया है।

## ऊर्जा क्षेत्र

पूर्वोत्तर में मौजूदा बिजली परियोजनाओं के लिए 1,292 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 267.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यह इस इलाके में विभिन्न जल-विद्युत परियोजनाओं (खासतौर पर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में) में तकरीबन 54,000 करोड़ रुपये के निवेश के अतिरिक्त है।

पिछले दो साल में इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए 234 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

## जहाजरानी/अंतर्देशी जलमार्ग

जहाजों की आवाजाही और नेविगेशन के मकसद के लिए दो चरणों में बराक नदी के विकास का काम किया जा रहा है। पहले चरण में भंगा-सिलचर (71 किलोमीटर) क्षेत्र के विकास की बात है और करीमगंज और बदरपुर में मौजूद टर्मिनलों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

पहले चरण में बराक नदी से कीचड़ निकालने का काम नवंबर 2017 में शुरू हुआ है। दूसरे चरण में सिलचर-लखीपुर (50 किलोमीटर) को विकसित करने की बात है और सिलचर और लखीमपुर में नए टर्मिनल का प्रस्ताव है।

## निष्कर्ष

बजट 2018 में 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत पर्याप्त गुंजाइश है। पूर्वोत्तर को खोलने के लिए यातायात का संपर्क अहम है और इस पर काम हो रहा है। इस क्षेत्र में निवेश कभी सिर्फ सपना था, लेकिन अब यह ठोस रूप में धीरे-धीरे पहुंचने लगा है और कुछ साल में निवेश की धार तेज होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर और बाकी भारत व पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क में बढ़ोतरी इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगी।

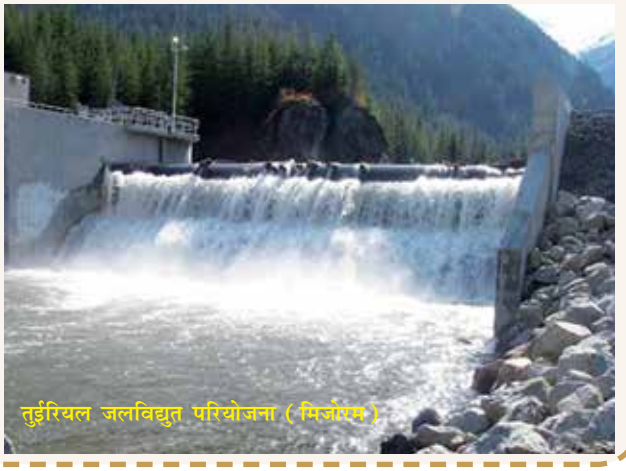
तुईरियल जलविद्युत परियोजना (मिजोरम)

अहम सुरक्षा वर्ग और मानवशक्ति योजना संबंधी मुद्दे, अहम सुरक्षा संबंधी खामियों को दूर करना, अतिक्रमण और जानबूझकर की जाने वाली तोड़फोड़ और गड़बडी को खत्म करना, सिग्नल सिस्टम, दूरसंचार और रेल सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना, रेल इंजनों, कोचों और मालगाड़ियों और पुलों का सिस्टम अच्छा करना, शिक्षा और रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों पर जोर के साथ मानव संसाधन विकास और भारतीय रेलवे का इको-सिस्टम और सुरक्षा ढांचा बेहतर करना।

कुल 106 सुझावों में 68 को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया है, जबकि 19 को आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया और 19 को रेल मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया। अब तक समिति की 22 सुझावों को लागू किया गया है। 20 सुझाव अमल के अंतिम चरण में हैं।

### रेलवे का भविष्य को लेकर नजरिया

फंड की कमी पर सरकारी सहयोग; एलएचबी कोच, अल्ट्रासाउंड धारित रेल टेस्टिंग आदि जैसी रेल सुरक्षा के उपायों का सख्ती से पालन। जापान के शिन्कासेन जैसे अन्य सफल मॉडलों का अध्ययन किया जा सकता है; रेल और आम बजट का विलय स्वागत योग्य कदम है।

मौजूदा पीएसयू के बीच फिर से चमकीले सितारा बनने के लिए रेलवे को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अफसरशाही के ढांचे को और खुला और

**बिबेक देबरॉय समिति ने बताया है कि आपूर्ति संबंधी सुधार पूर्ति जरूरतों के अनुपात में नहीं हुए हैं, जिससे यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ी और इसके आधुनिकीकरण और विस्तार में भी देरी हुई। लिहाजा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और रेलवे की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने, फैसले लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय अहमियत वाली परियोजनाओं पर काम तेज करने, एकसमान लेखा प्रणाली को अपनाना और सेवाओं को बेहतर तरीके से अंजाम देने की जरूरत है।**

समग्र बनाने से रेलवे की विभिन्न कोशिशों के तुरंत परिणाम देखने को मिलेंगे; रेलवे को डेविएशन की ऑनलाइन जानकारी देने का सिस्टम विकसित करना चाहिए। साथ ही, सुरक्षा में किए गए निवेश का समय-समय पर विश्लेषण किया जाना चाहिए; बड़ी दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल के सार और इसके बाद की गई कार्रवाई को सार्वजनिक दायरे में पेश करना चाहिए।

रेल मंत्री ने मौजूदा शौचालयों की जगह बायो-टॉयलेट लगाने का भी सुझाव दिया है। ट्रेनों में फिलहाल शौचालय का सिस्टम है, उसकी हालत खराब है। बिबेक देबरॉय, अनिल काकोडकर, सैम पित्रोदा की अलग-अलग अगुवाई वाली विभिन्न समितियों ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ को हटाने, सिग्नल सिस्टम और इंजन, बोगियों, पटरियों में सुधार और मानवरहित फाटकों को हटाना जैसे सुझावों पर विचार कर इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

### निष्कर्ष

रेलवे ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और जनता को सस्ती लोक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा, पिछले दो दशकों में यह देश के मुख्य प्रवर्तक की हैसियत बनाए रखने में सक्षम नहीं रहा है और देश के यात्रियों और फ्रेट को सस्ती और प्रतिस्पर्धी सेवाएं मुहैया कराने की इसकी क्षमताओं को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।

जैसा कि बिबेक देबरॉय समिति ने बताया है कि आपूर्ति संबंधी सुधार पूर्ति जरूरतों के अनुपात में नहीं हुए हैं, जिससे यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ी और इसके आधुनिकीकरण और विस्तार में भी देरी हुई।

लिहाजा, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और रेलवे की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने, फैसले लेने की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय अहमियत वाली परियोजनाओं पर काम तेज करने, एकसमान लेखा प्रणाली को अपनाना और सेवाओं को बेहतर तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। हाल और अतीत में विभिन्न समितियों की पेश रिपोर्ट में भी यह सुझाव दिया गया है। ❑

## पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समर्पित उद्यम निधि

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु मंत्रालय ने रु. 100 करोड़ के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समर्पित उद्यम निधि के गठन के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्तीयन निगम लिमिटेड (एनईडीएफआइ) को सहयोग दिया है। यह सूचना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 7 मार्च 2018 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब के रूप में दी गई। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, व्यय, वाणिज्य, कौशल विकास व उद्यम, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई), टेक्सटाइल्स, पर्यटन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, पावर व औद्योगिक नीति व प्रमोशन विभाग/मंत्रालय शामिल हैं, ने हितधारकों से परामर्श के बाद पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति के लिए रोडमैप सुझाया है। कुछ मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाओं/प्रोत्साहनों का भी कार्यान्वयन कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संपदा (कृषि समुद्री प्रसंस्करण व कृषि प्रसंसकरण विकास हेतु योजना) नामक नई योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत, मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन व मूल्य संवर्द्धित आधारभूत संरचना आदि के गठन के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु अधिक रियायती शर्तों पर अनुदान दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निवेश को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर बीपीओ प्रमोशन योजना (एनईबीपीएस) नामक विशेष योजना शुरू की गई है। ❑

# बांस मिशन : आर्थिक समृद्धि का जरिया

नीरेन्द्र देव

**सरकार ने नवंबर 2017 में बांस को 'पेड़ों' की सूची से हटा दिया और बांस को काटने, इसकी आवाजाही और इसके इस्तेमाल संबंधी नियमों में ढील दे दी गई है। इसके साथ ही बांस पर से 90 वर्षों पुरानी पाबंदियां हट गई व बांस से जुड़े उत्पादों के बेरोकटोक निर्यात को बढ़ावा मिला और इस बाबत नये मौके पैदा हुए। इस बीच, मणिपुर और अरुणचाल प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी की आगामी बायो-रिफाइनरी के लिए बांस की सप्लाई करने पर सहमति जताई है। इस संबंध में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है**

पूर्वोत्तर भारत की कोई भी कहानी चुनौतियों से उबरने और लचीलेपन की इसकी अंतर्निहित ताकत के जिक्र के बिना अधूरी है। कृषि प्रबंधन और खेती की पारंपरिक प्रणालियां इस ताकत के मुख्य हिस्सा हैं। चाहे पहाड़ी हो या घाटी, यहां के सभी इलाकों में कृषि से जुड़े लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। इस इलाके में खेती का अहम सकारात्मक पहलू यह है कि इससे जुड़ी पारंपरिक व्यवस्था पर्यावरण व चावल, मोटे अनाज और अन्य फसल उगाने वाले देसी समुदाय के पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी हुई है। इन वजहों से पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों ने इस इलाके में जरूरी पारिस्थितिकी संबंधी संतुलन बनाए रखा है।

जनजातीय समुदाय समेत यहां के मूल निवासियों ने खेती की पारंपरिक प्रणाली, कृषि-जैव विविधता और इससे जुड़े ज्ञान को बरकरार रखा है। किसान आमतौर पर झूम परंपरा का पालन करते हैं या खेती के तौर-तरीकों में बदलाव करते हैं। जनजातीय समुदाय और अन्य समुदायों द्वारा जैव-संसाधनों का उपयोग देसी और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है, जो इन चीजों के इस्तेमाल में मदद करता है।

यहां के स्थानीय किसान खेती की अपनी व्यवस्था में स्थानीय स्तर के लिहाज से तैयार अहम और गैर-अहम फसलों पर काम करते रहे हैं। इससे उन्हें जोखिम और मुश्किल परिस्थितियों से बचाव में मदद मिलती है। खेती की अलग-अलग प्रणालियों की उपज और ऊर्जा दक्षता फसलों से जुड़ी खेती के तौर-तरीके पर निर्भर करती है। मिसाल के तौर पर इस इलाके में पारंपरिक किसानों का तजुर्बा यह कहता है कि मक्का या बाजरे के साथ चावल की खेती करने पर प्रदर्शन बेहतर रहता है। आमतौर पर विभिन्न समुदाय के लोग अलग-अलग तरीके से खेती करते हैं। मसलन झूम खेती और दूसरी प्रणाली सीढ़ीनुमा खेती की है। सीढ़ीनुमा खेती को घाटियों और पहाड़ियों में अंजाम दिया जाता है, जबकि जंगल और आसपास के इलाकों में शिफ्टिंग या झूम सिस्टम के जरिये खेती की जाती है। यह खेती की बेहद पुरानी परंपरा है। इसके तहत पहाड़ियों की ढलानों पर मौजूद जमीन पर मौजूद जंगल को हटाकर सुखाया जाता है और मॉनसून के आगमन से पहले इस जंगल को जला दिया जाता है। इसके बाद इस जमीन पर फसल लगाई जाती है।

झूम चक्र का मामला मूल रूप से बेहद सफल रहा है। हालांकि, जनसंख्या में बढ़ोतरी और जमीन पर बढ़ते दबाव के कारण झूम चक्र की अवधि काफी घट गई। इससे जमीन की गुणवत्ता को लेकर भी समस्या पैदा हुई और इस इलाके की पारिस्थितकी को लेकर भी खतरा पैदा हो गया।

### नवोन्मेष बेहद अहम

बहरहाल, पूर्वोत्तर के आदिवासी किसान कौशल और काबिलियत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नतीजतन, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की एक प्रणाली है: सीढ़ीनुमा खेती की सिंचाई का चलन। यहां सीढ़ी को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव की समस्या को रोकने के लिए देसी तरीके से पत्थर और टाट के बोरे का

लेखक युनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया में विशेष संवाददाता हैं और कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास व पूर्वोत्तर भारत पर लिखते रहे हैं। ईमेल: nirendev1@gmail.com

इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ों की धाराओं को नियंत्रित कर सीढ़ियों में पानी के लिए गुंजाइश बनाई जाती है। इस सिस्टम में पानी लगातार ऊपर से नीचे की सीढ़ियों की ओर बहता है। सिंचाई की यह व्यवस्था गैर-उपजाऊ जमीन में बेहद कारगर रही है। खासतौर पर चावल की खेती के मामले में। विशेषज्ञों की मानें तो इस चलन का एक अहम सकारात्मक पहलू यह है कि ढलान के ऊपरी हिस्से से तेज बहाव वाले पानी में भरपूर पौष्टिक तत्व होते हैं। सीढ़ी बनाकर की जाने वाली खेती मुख्य तौर पर चावल की फसल के लिए की जाती है। इसके अलावा ऊपरी ढलान पर मक्का, बीन और आलू जैसी फसलों की भी बुआई की जाती है। लिहाजा, जाहिर तौर पर ज्यादा पानी की खपत करने वाले फसलों मसलन चावल और जूट की खेती निचली ढलानों पर की जाती है।

जहां तक खेती के चलन से जुड़ी कड़ी मेहनत की बात है, तो पूर्वोत्तर के किसान, खासतौर पर नगालैंड, मेघालय और मणिपुर के किसानों को लंबे समय से 'आर्थिक लाभ' की अहमियत की समझ रही है। ऐसे में देसी लोगों के बीच 'पेड़ आधारित खेती की प्रणाली' को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत फसल के उत्पादन की प्रक्रिया में पेड़ों को बड़े पैमाने पर फसलों से जोड़ा जाता है। खेती संबंधी जलवायु हालातों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके तहत भोजन, फाइबर, दवा और अन्य छोटे कृषि उत्पाद के लिए पेड़ों की प्रजातियों को तैयार किया जाता है।

जमीन का इस्तेमाल सब्जियों, फल, जंगल और जंगली पेड़ों की प्रजातियों, पौधारोपण वाली और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। यह पाया गया है कि खेती की पारंपरिक व्यवस्था में बहुद्देशीय पेड़ों और झाड़ियों की अहमियत का आकलन इस्तेमाल और आर्थिक लाभ के आधार पर किया गया है। जहां तक टिकाऊ व्यवस्था और आर्थिक सुधार की बात है, तो पूर्वोत्तर के लोग लंबे समय से बांस पर निर्भर रहे हैं।

बांस जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है। पूर्वोत्तर इलाके में बांस की खेती का मामला काफी व्यापक है। इस इलाके के जनजातीय समुदाय और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जीवनशैली में बांस पर निर्भरता काफी ज्यादा है। ये लोग विभिन्न जरूरतों में बांस का उपयोग करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास बांस का अहम योगदान है। पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल बांस की फसल में इस इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास को बेहतर करने और मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने की संभावना है।

**यहां इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि किसानों के लिए अनाज रखने की खातिर डिब्बा तैयार करने में भी बांस बेहद उपयोगी है। अलग-अलग साइज के बांस के डिब्बे या धानी में धान रखा जाता है। बीज को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीज के लिए धान को बांस से बने खास डिब्बे (कंटेनर) में रखा जाता है।**

### हरा सोना

केंद्रीय बजट 2018-19 में बांस को 'हरा सोना' बताया गया है। यह बिल्कुल सही है। 'बांस' मुख्य तौर पर घास की एक किस्म है, लेकिन एक सदी पहले पेड़ के तौर पर इसका वर्गीकरण कर दिए जाने से पूर्वोत्तर के लोग इस कमोडिटी का अधिकतम इस्तेमाल करने से वंचित हो गए। देश के कुल बांस उत्पादन में पूर्वोत्तर भारत की हिस्सेदारी तकरीबन 68 फीसदी है। अनुमानों के मुताबिक, दुनिया के कुल बांस संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी 30 फीसदी है, लेकिन वैश्विक बाजार में इसका योगदान सिर्फ 4 फीसदी है। असली दिक्कत इसके कम उत्पादन को लेकर है और ऐसे में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बांस मिशन काफी अहम है। यह केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है।

इसकी 100 फीसदी फंडिंग भारत सरकार करेगी और इसका मकसद राज्यों के साथ मिलकर खास मकसद हासिल करना है। मसलन बांस और बांस आधारित हस्तकला को बढ़ावा देना और कौशल वाले और बिना कौशल वाले लोगों (खासतौर पर बेरोजगार युवाओं) के लिए रोजगार के मौके पैदा करना।

पूर्वोत्तर में बांस उगाने वाले पारंपरिक किसानों और अन्य लोगों ने कई पीढ़ियों से तमाम ग्रामीण-शहरी फायदों के लिए बांस का इस्तेमाल किया है। लोगों ने बांस का पर्याप्त व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। बांस को वर्षों ना कटाई के साथ बिना खेती वाली जमीन पर भी उगाया जा सकता है।

औद्योगिक फायदों के अलावा बांस की शाखाओं का इस्तेमाल पौष्टिक आहार के तौर पर भी किया जा रहा है। इसमें औषधीय गुण भी हैं। मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड जैसे राज्यों में बांस उत्पादकों के बीच यह बात भी मशहूर है कि बांस जमीन की सुरक्षा में भी काम आता है और इससे

मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। इससे मिट्टी की पानी संचय की क्षमता भी बेहतर होती है।

सरकार ने नवंबर 2017 में बांस को 'पेड़ों' की सूची से हटा दिया और बांस को काटने, इसकी आवाजाही और इसके संसाधन के इस्तेमाल संबंधी नियमों में ढील दे दी गई। इसके साथ ही बांस पर से 90 वर्षों पुरानी पाबंदियां हट गईं व बांस से जुड़े उत्पादों के बेरोकटोक निर्यात को बढ़ावा मिला और इस बाबत नये मौके पैदा हुए। इस बीच, मणिपुर और अरुणचाल प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी की आगामी बायो-रिफाइनरी के लिए बांस की सप्लाई करने पर सहमति जताई है। इस संबंध में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है।

हालांकि, इन गतिविधियों से सरकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उसने नई रणनीति पर काम करने का फैसला किया है, ताकि बांस की खेती से जुड़े किसानों के लिए यह 'आमदनी पैदा करने का स्थायी साधन' बन सके। कई राज्यों में बांस के काम से जुड़े देसी समूहों को इससे फायदा होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन पर फोकस कर नए सिरे से काम करने के लिए इसके लिए 1,290 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। एक आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, त्रिपुरा जैसे राज्य में बांस सेगमेंट को आजीविका के मुख्य साधन के तौर पर विकसित किया जा सकता है और इसकी खेती से जुड़े कम से कम 20,000 किसाानों को सम्मानजनक रोजगार के मौके मुहैया कराए जा सकते हैं।

इस इलाके में बांस के कई उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ इस तरह हैं: बांस का अचार, बांस सिरका, फूलदान, अगरबत्ती की छड़ी, मोबाइल कवर, टूथ पिक, कलम रखने वाला स्टैंड, फर्नीचर, जेवर, खाने वाली शाखाएं, ताबूत, झाड़ू, फोटो फ्रेम, हैंगर, एश ट्रे, सीढ़ी और यहां तक कि पानी के बोतल का कवर भी।

अपनी पारंपरिक कला से लैस स्थानीय कारीगर बांस से बनी खूबसूरत टोपी बनाते हैं। बांस और बेत से बनी टोपी और अन्य उत्पादों के निर्यात की जबरदस्त संभावना है, लेकिन इसके बाजार का पूरी तरह से

फायदा नहीं उठाया गया है। इस सिलसिले में निजी खिलाड़ियों और कॉरपोरेट घरानों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना पूर्वोत्तर के लिए काफी फायदेमंद होगा।

यहां इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि किसानों के लिए अनाज रखने की खातिर डिब्बा तैयार करने में भी बांस बेहद उपयोगी है। अलग-अलग साइज के बांस के डिब्बे या धानी में धान रखा जाता है। बीज को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीज के लिए धान को बांस से बने खास डिब्बे (कंटेनर) में रखा जाता है। मेघालय में इस डिब्बे को थियार के नाम से जाना जाता है। थियार को बांस के पतले-पतले टुकड़ों से बुना जाता है। साथ ही, इसके अंदर धान के पुआल की मोटी परत लगाई जाती है। इसी तरह, मेघालय की खासी जनजाति द्वारा बनाई गई लकड़ी की धानी को दुली कहा जाता है। यह दोहरी परत वाला बांस का बास्केट होता है और इसके दोनों तरफ गोबर और कीचड़ से पोत दिया जाता है। यह धानी अनाज को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था है। साथ ही, इस इलाके के कुछ हिस्से में ऐसे डिब्बों में मक्का रखा जाता है। कभी-कभी चूहों को भगाने के लिए इसमें ऊपर में शंकु के आकार का बांस का बक्सा भी लगाया जाता है।

**बांस जंगल के पारिस्थितिक तंत्र का अहम हिस्सा है। पूर्वोत्तर इलाके में बांस की खेती का मामला काफी व्यापक है। इस इलाके के जनजातीय समुदाय और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की जीवनशैली में बांस पर निर्भरता काफी ज्यादा है। ये लोग विभिन्न जरूरतों में बांस का उपयोग करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास बांस का अहम योगदान है। पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल बांस की फसल में इस इलाके की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास को बेहतर करने और मजबूत आर्थिक आधार तैयार करने की संभावना है।**

## निष्कर्ष

तमाम विश्लेषणों के बाद आखिर में इस बात को रेखांकित करना जरूरी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की खेती संबंधी गतिविधियों को जैविक खेती के नाम से भी जाना जाता है। 8 जनवरी को प्रधानमंत्री ने सिक्किम को जैविक राज्य घोषित कर दिया। इसके बाद इस क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डिवेलपमेंट मिशन शुरू किया गया। दरअसल, 2015-2018 के दौरान इस संबंध में 400 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई। भारत सरकार ने भी *परंपरागत कृषि विकास योजना* नामक अभियान के तहत देश में जैविक खेती के रकबे में बढ़ोतरी पर ध्यान दिया है। ❑

# महिला विकास से आगे बढ़कर आज भारत का मंत्र है – महिलाओं के नेतृत्व में विकास"

– नरेन्द्र मोदी

नए भारत के निर्माण में अग्रसर नारी शक्ति।

## राष्ट्रीय पोषण मिशन

### सही पोषण, देश रोशन

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुपोषण मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ हो रहा है।

### बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

लिंगभेद को लेकर बदल रही है समाज की मानसिकता। 167 जिलों में सफल क्रियान्वयन के बाद 640 जिलों में योजना का विस्तार।

### सुकन्या समृद्धि योजना

बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बल। 1.26 करोड़ बैंक खाते खोले गए।

### प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

'सुरक्षित गर्भावस्था' बन रहा है जन-आंदोलन। 1 करोड़ से अधिक गर्भावस्था जांच संपन्न।

### प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

माँ और बच्चे का उचित पोषण सुनिश्चित। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ₹6000 की वित्तीय मदद।

### किलकारी

देशभर में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, शिशु जन्म और देखभाल से जुड़े 5.82 करोड़ ऑडियो संदेश भेजे गए।

### मातृत्व अवकाश

कामकाजी महिलाओं के कार्य-जीवन संतुलन में सहयोगी। मातृत्व अवकाश 12 हफ्तों से बढ़कर 26 हफ्तों का हुआ।

### उज्ज्वला योजना

3.5 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन से गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आज़ादी। लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़कर अब 8 करोड़ हुआ।

### बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान

माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़ी अनेकों छात्रवृत्ति।

### प्रधानमंत्री जन धन योजना

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच। 16.42 करोड़ महिलाओं के खुले बैंक खाते।

### मुद्रा योजना

7.88 करोड़ महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं को मिला मुद्रा लोन का साथ।

### स्टैंड अप इंडिया

₹ 6895 करोड़ का लोन महिला उद्यमियों को दिया गया।

### राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई ऋण राशि में 37% की वृद्धि।

### तीन तलाक बिल

मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाता बिल लोकसभा से पास।

### मेहरम बिना हज

मुस्लिम महिलाएं अब पुरुष संबंधी के बिना हज के लिए जा सकती हैं।

### महिलाओं को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता। एकल माताओं के लिए सरल हुए पासपोर्ट नियम।

"नया भारत - नारी शक्ति के दम पर बढ़ता भारत। जहां नारी सशक्त, सबल और देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो।"
– नरेन्द्र मोदी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

# कौशल विकास को प्रोत्साहन

इबू संजीब गर्ग

**हाल में पूर्वोत्तर भारत को रेल के जरिये पड़ोस के पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने का प्लान सामने आया है, ऐसे में इस तरह का बिजनेस मॉडल रफ्तार पकड़ सकता है। लिहाजा, रबड़ इंडस्ट्री के लिए कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूत कौशल विकास तंत्र विकसित करने की जरूरत है। नगालैंड हॉर्नबिल त्योहार पर केंद्रित पर्यटन पर फोकस कर सकता है। यह त्योहार आजकल पूरे देश में चर्चित हो गया है। दरअसल, पर्यटन का आइडिया सामान्य से एक लक्ष्य केंद्रित मॉडल की तरफ बढ़ना है**

21वीं सदी की आर्थिक व्यवस्था ने नए आर्थिक मायने पेश किए हैं। इसी के साथ व्यवस्था ने आर्थिक पूंजी और राष्ट्र की ताकत को पारिभाषित करने के लिए नया मापदंड भी तैयार किया है। इस आर्थिक ताकत का एक अहम पहलू *जनांकिकी लाभ* है। किसी देश के *जनांकिकी लाभ* को उस देश की ग्रोथ की संभावना के तौर पर बताया जाता है। दरअसल, यह वृद्धि देश की कुल आबादी की तुलना में कामकाजी आबादी (15-64 वर्षों) में तेज बढ़ोतरी के कारण मुमकिन हो सकती है। पिछले दो दशकों से जहां अन्य देशों की कामकाजी आबादी के प्रतिशत में गिरावट आई है, वहीं भारत में इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने इसे भारत का 'जनांकिकी लाभ' बताया है। यह भारत को अगले दशक तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अहम पहलू है।

इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि भारत अपनी कामकाजी आबादी को बेहतर तरीके से तैयार करे, ताकि जनांकिकी लाभ हासिल करने के लिए अनुकूल माहौल बन सके। ऐसे में कौशल विकास जैसे अहम स्वरूप की भूमिका सामने आती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास योजनाओं से जुड़े आम नियमों को ध्यान में रखते हुए एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कौशल विकास की परिभाषा इस तरह दी गई है- 'किसी भी सरकारी योजना के मकसद से या किसी भी क्षेत्र आधारित मांग से जुड़ा कौशल संबंधी प्रशिक्षण, जिससे रोजगार मिलता हो या ऐसी गतिविधि जो सहभागी को कौशल हासिल करने में मदद करती हो और कोई निष्पक्ष थर्ड पार्टी एजेंसी इसका आकलन कर इसे मान्यता देती हो। साथ ही, जिस प्रशिक्षण से किसी शख्स को मजदूरी/स्वरोजगार मिलता हो और इससे कमाई में बढ़ोतरी होती हो और कामकाजी हालत में सुधार होता हो। मसलन किसी कौशल के लिए औपचारिक मान्यता, असंगठित से संगठित क्षेत्र संबंधी रोजगार की तरफ बढ़ना या उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण हासिल करना।' कौशल विकास के तहत किसी शख्स को किसी खास क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कोई महिला/पुरुष अपने ज्ञान और कौशल के स्तर के हिसाब से रोजगार बाजार में प्रवेश कर सके।

पिछले 10 वर्षों में विभिन्न सरकारों ने कौशल विकास को आर्थिक विकास का अहम पहलू मानते हुए इसे प्राथमिकता दी। आज कौशल विकास और उद्यमिता का पूर्णकालिक मंत्रालय देश में कौशल विकास की रफ्तार और दिशा को नियंत्रित करता है, जबकि राज्य स्तर पर भी इस तरह का नोडल ढांचा तैयार किया गया है। इसके अलावा, राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) के रूप में भी यह सिस्टम काम कर रहा है।

चूंकि कौशल विकास का काम देशभर में तेज हो रहा है, लिहाजा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी स्थिति को देखना दिलचस्प है। पिछले 10 वर्षों में देश के शासन मॉडल में पूर्वोत्तर भारत काफी अहम हो गया है। पूर्वोत्तर को 'नए भारत के नए इंजन' के तौर पर पेश किया जाना मौजूदा समय में उसकी अहमियत का गवाह है।

लेखक भारतीय राजस्व सेवाओं में अधिकारी हैं और वर्तमान में आयकर, दिल्ली में सहायक आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पूर्वोत्तर से संबंधित विकास व नीतिगत मसलों में विशेष रुचि है। ईमेल: pabloo8690@gmail.com

अरुणाचल प्रदेश में सरकार ने हाल में पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) के साथ मिलकर अध्ययन किया। यह अध्ययन राज्य में कौशल विकास की बुनियाद मजबूत करने के लिए आधार का काम करेगा।

प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत 87,000 युवाओं को रोजगार देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है। इसके अलावा, 2018-19 में 4 नए आईटीआई बनाने का लक्ष्य है। कौशल विकास और उद्यमिता विभाग ने पूरे राज्य में सरकारी-निजी साझीदारी (पीपीपी) सिस्टम के तहत 'ग्रामीण कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र' की घोषणा की है। अपनी तरफ की संस्था- कौशल विकास विश्वविद्यालय तैयार होने की प्रक्रिया में है, जबकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का पहला 'घरेलू कौशल विकास अभियान' तवांग में शुरू किया गया।

असम में कौशल विकास को असम राज्य आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अलावा रोजगार उत्पादन मिशन (ईजीएम) के जरिये अंजाम दिया जाता है। इन स्कीमों ने पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त सफलता हासिल की है। वर्ष 2017 के आखिर में यह घोषणा की गई कि राज्यभर के रोजगार केंद्रों को कौशल विकास केंद्रों में बदला जाएगा। हाल में असम में कौशल विकास विभाग भी स्थापित किया गया है, जिसका मकसद असम में कौशल विकास को फैलाना है। असम सरकार ने अगले कुछ वर्षों में 3 लाख नए सदस्यों के प्रशिक्षण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार किया है। असम देश के उन शुरुआती राज्यों में है, जिसने 'करागार पैरा कारीगर' जैसी अनोखी स्कीम पेश की है, जिसके तहत जेल में बंद लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जब वे समाज की मुख्यधारा में लौटें, तो समाज में सार्थक योगदान कर सकें। इसके अलावा, सरकार ने सेक्टर आधारित कौशल विकास अभियानों के लिए सिस्को और डाबर जैसी कंपनियों के साथ साझीदारी की है। इससे निश्चित तौर पर काफी लाभ होंगे।

मणिपुर ने वैसी कई कमेटियों का गठन किया है, जो कौशल विकास के आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मणिपुर सरकार ने हाल में 1.5 लाख नौकरियां देने और हर घर में एक रोजगार देने के लक्ष्य का ऐलान किया है। राज्य के तमाम 40 कॉलेजों में व्यावसायिक (वोकेशनल) कौशल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है। सरकार ने कौशल विकास का प्रशिक्षण देने में महिला और आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों पर खास ध्यान दिया है।

मेघालय राज्य कौशल विकास सोसायटी ने कौशल विकास में पहले चरण के तहत 7,700 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। साथ ही, अलग-अलग उद्योगों और क्षेत्रों में उनके लिए नौकरी भी सुनिश्चित की है। डीडीयू-जीकेयू (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना) का मकसद ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार बाजार में लाना है। इस संबंध में काम करने के लिए मेघालय सरकार ने भी कुछ अहम क्षेत्रों की पहचान की है। योजना के तहत पहचान किए गए क्षेत्रों में पर्यटन, ऑटोमोबाइल मेकेनिक, हाउसकीपिंग आदि शामिल हैं।

**जापान और कोरिया जैसे देशों में उम्रदराज लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा इन देशों में कौशल से लैस कामगारों की जरूरत होगी। भारत इस जरूरत की भरपाई कर सकता है और उसका पूर्वोत्तर इलाका इन देशों की जरूरत पूरी करने के लिहाज से सबसे उपयुक्त है।**

मिजोरम और नगालैंड दोनों राज्यों ने कौशल विकास की अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को देश के कौशल विकास के व्यापक लक्ष्यों के दायरे में रखा है। त्रिपुरा ने राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के मकसद से अलग राज्य कौशल विकास मिशन स्थापित किया है। सिक्किम ने आजीविका स्कूलों का उद्घाटन किया है, जहां युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े कौशल सिखाए जाते हैं। इनमें कला और शिल्प का प्रशिक्षण भी शामिल है।

सिक्किम के आजीविका स्कूल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। द *एडुकेयर जापान सेंटर ऑफ एक्सिलेंस* ने सिक्किम में अपना पहला कौशल विकास केंद्र खोला है। जाहिर है कि पूर्वोत्तर में कौशल विकास ने वाकई में तेज रफ्तार पकड़ी है। हालांकि, इसमें अब भी कई चुनौतियां हैं। लिहाजा, कौशल विकास मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार को आगे भी बनाए रखने के लिए नए उपाय ढूंढने की जरूरत है। इसके तहत पहला कदम हर राज्य के कौशल का व्यापक तौर पर आकलन किया जा सकता है। इससे किसी खास क्षेत्र के पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल कर इसे ऐसे कौशल के रूप में विकसित करना, जिसे रोजगार के साधन के तौर पर फिर से तैयार किया जा सकता है। दूर-दराज के इलाकों की जरूरतों पर फोकस करने वाले कौशल संबंधी इस अभियान से शहरी इलाकों में तेज पलायन के बजाय स्थानीय युवाओं के लिए उसी इलाके में रोजगार पक्का हो सकेगा।

असम सरकार इस सिलसिले में पहले ही ढांचा और नक्शा पेश कर चुकी है। मिसाल के तौर पर असम में बारपेटा जिले में आईटीआई और बाकी संस्थान हैं, जो स्थानीय आतिशबाजी और हस्तकला के क्षेत्र में प्रशिक्षण मुहैया कराता है। यह जिला पारंपरिक तौर पर भी आतिशबाजी उद्योग और हस्तकला के लिए जाना जाता है। पारंपरिक क्षेत्रों के ज्ञान को कौशल में शामिल करने के लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जा सकता है और इसे नए सिरे से इस तरह

तैयार किया जा सकता है कि प्रशिक्षित युवा बाजार की जरूरतों के मुताबिक तैयार हो सकें। साथ ही, क्लस्टर सिस्टम में मौजूद छोटे एमएसएमई उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इकोसिस्टम यह पक्का करेगा कि कौशल विकास रोजगार हासिल करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इसी तरह का मॉडल कछार जिले में भी विकसित किया जा सकता है, जो मिट्टी के बरतन और शीतल पाटी जैसे कामों के लिए मशहूर है। सोनितपुर जिले को चावल मिल के अहम केंद्र के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इस जिले की अनुभव और विशेषज्ञता इसी क्षेत्र में है।

पूर्वोत्तर के बाकी राज्य भी उन खास क्षेत्रों की पहचान के लिए कौशल के आकलन का अभियान चला सकते हैं, जहां पारंपरिक ज्ञान या ऐतिहासिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि के जरिये मजबूत केंद्र बनाया जा सकता है। त्रिपुरा रबड़ का बड़ा उत्पादक बनने की अपनी जबरदस्त संभावना को लेकर काम कर सकता है। त्रिपुरा में तैयार किए रबड़ को पड़ोसी देशों में भी निर्यात किया जा सकता है।

हाल में पूर्वोत्तर भारत को रेल के जरिये पड़ोस के पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने का प्लान सामने आया है, ऐसे में इस तरह का बिजनेस मॉडल रफ्तार पकड़ सकता है। लिहाजा, रबड़ इंडस्ट्री के लिए कामगारों को प्रशिक्षित करने के लिए मजबूत कौशल विकास तंत्र विकसित करने की जरूरत है। नगालैंड *हॉर्नबिल* त्योहार पर केंद्रित पर्यटन पर फोकस कर सकता है। यह त्योहार आजकल पूरे देश में चर्चित हो गया है। दरअसल, पर्यटन का आइडिया सामान्य से एक लक्ष्य केंद्रित मॉडल की तरफ बढ़ना है। मिसाल के तौर पर मेघालय सोहरा, दॉकी और कम मशहूर जैनितिया पहाड़ी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर पर्यटन के बेहतरीन केंद्र स्थापित कर सकता है, जो केंद्र बेहतरीन खान-पान, एडवेंचर स्पोर्ट और मेहमानदारी से लैस हो।

कौशल विकास को और बढ़ावा देने वाला दूसरा उपाय इसे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से जोड़ना है। यह काम वैसे नए क्षेत्रों की पहचान कर किया जा सकता है, जहां संबंधित क्षेत्रों के पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में कुछ खास उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने में किया जा सकता है। इस मॉडल को बांग्लादेश में प्राण फूड्स ने दोहराया है। बांग्लादेश की इस खाद्य प्रसंस्करण कंपनी ने लीची जूस उत्पाद पेश कर पूर्वोत्तर में खुद के लिए खास बाजार तैयार किया है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने पूर्वोत्तर के इलाके में बड़ी संख्या में पकड़ मजबूत की है। पूर्वोत्तर राज्यों को इस सीमा पार व्यापार का फायदा उठाना चाहिए और ऐसे उद्योगों पर नजर रखनी चाहिए, जो पड़ोसी देशों को उनकी जरूरत वाले उत्पाद मुहैया करा सकें। मिसाल के तौर पर पूर्वोत्तर में गमछा और शॉल के रूप में हस्तकला की समृद्ध परंपरा का इस्तेमाल कर पड़ोसी देशों के बाजार में नए उत्पादों का विकल्प पेश किया जा सकता है। बांग्लादेश के प्राण फूड मॉडल का इस्तेमाल वैसे क्षेत्रों की पहचान में किया जाना चाहिए, जहां पूर्वोत्तर के राज्य मेहनत कर सकते हैं। इन राज्यों को पूर्वी एशियाई देशों के करीब होने का फायदा उठाना चाहिए और इसके जरिये आर्थिक समृद्धि हासिल करना चाहिए।

तीसरे उपाय के तौर पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के मानकों को अपनाकर नतीजा आधारित सिस्टम की तरफ बढ़ना हो सकता है। इस मॉडल को अपनाने के बाद हर राज्य की प्रगति और गड़बड़ियों का नियमित तौर पर आकलन संभव हो सकेगा। साथ ही, गड़बड़ियों को दूर भी किया जा सकता है। महत्वाकांक्षी युवाओं को भी कम उम्र में चिन्हित करने की जरूरत है, ताकि प्रशिक्षण छोड़कर जाने वालों को रोका जा सके। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यावसायिक स्वरूप देना इस सिलसिले में स्वागतयोग्य कदम है। पूर्वोत्तर के युवाओं में उद्यमी क्षमता तैयार करने के लिए स्कूली स्तर पर उद्यमियों की सफलता की प्रेरणादायी कहानियां पढ़ाई जानी चाहिए।

यह भी याद रखा जाना चाहिए कि कौशल विकास का काम बड़ा है, जबकि उपलब्ध *इंफ्रास्ट्रक्चर* सीमित है। पूर्वोत्तर राज्यों को कौशल विकास के लिए बिना इस्तेमाल वाले सरकारी अवसंरचना का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वे राज्य अवसंरचना संबंधी चुनौतियों से असरदार तरीके से निपट पाएंगे। कौशल विकास पर संशोधित राष्ट्रीय नीति मौजूदा अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के अधिकतम इस्तेमाल के सवाल पर दिशा-निर्देश मुहैया कराती है। इस इलाके में निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं की मौजूदगी भी बढ़नी चाहिए। इसके मद्देनजर इस इलाके में मौजूद कंपनियों को सीएसआर से जोड़ने और संबंधित क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण प्रदाता के तौर पर काम करने के उपाय भी सामने आ सकते हैं।

असम को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में प्रशिक्षण और प्रशिक्षु के लिए संस्थान नहीं है और इस पहलू पर राज्यों को तत्काल ध्यान देना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इन राज्यों में कौशल विकास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इससे रोजगार भी पैदा हुआ है। हालांकि, हाल में बढ़ी पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक अहमियत के कारण इस इलाके में कौशल विकास को और मजबूत करने की जरूरत है।

जापान और कोरिया जैसे देशों में उम्रदराज लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा इन देशों में कौशल से लैस कामगारों की जरूरत होगी। भारत इस जरूरत की भरपाई कर सकता है और उसका पूर्वोत्तर इलाका इन देशों की जरूरत पूरी करने के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। इन बातों के मद्देनजर कौशल विकास और उसके बाद पूर्वोत्तर में कौशल से लैस युवाओं के रोजगार का भविष्य उज्ज्वल नजर आता है, बशर्ते पहल की रफ्तार कायम रहे और नई चुनौतियों से निपटने के लिए नई नीतियां लाई जाएं। ❑

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
Give the best
Take the best
निर्माण IAS
सफलता का पर्याय कमल देव (K.D.)
गुणवत्ता, विश्वसनीयता व सफलता हेतु प्रतिबद्ध
K. D. Sir
(Ist, IInd, IIIrd, IVth Paper)
इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व एथिक्स
Rameshwar Sir
IIIrd Paper
अर्थव्यवस्था
V.K. Tripathi Sir
IInd Paper
राजव्यवस्था
DR. KHURSHID ALAM
IVth Paper
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि
Dr. Adarsh Sir
IInd & IIIrd Paper
गवर्नेंस
आंतरिक सुरक्षा
Dr. Raheesh Singh Sir
IInd Paper
इतिहास, कला एवं संस्कृति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध
AJIT SIR
Ist Paper
भूगोल
Amit Jain
IIIrd Paper
पर्यावरण व समसामयिकी
Gautam Anand
Ist & IInd Paper
भारतीय समाज व सामाजिक न्याय
एवं अन्य...
सा. अध्ययन
(PRE CUM MAINS)
साक्षात्कार कार्यक्रम
(INTERVIEW PROGRAMME)
वैकल्पिक विषय
◆ इतिहास
एवं
◆ भूगोल
प्रत्येक रविवार
समसामयिकी विश्लेषित कक्षाएं
The Hindu, Indian Express, PIB, BBC व अन्य महत्वपूर्ण स्रोत
समसामयिकी मासिक पत्रिका उपलब्ध
TEST SERIES
( प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा )
(विश्लेषण - विशेषज्ञों के द्वारा)
UPSC, UPPSC, MPPSC, RAS, BPSC... etc
पत्राचार अध्ययन सामग्री की सुविधा उपलब्ध ( सम्पर्क सूत्र: 011-47058219 )
You can also visit our digital platform
You Tube
NIRMAN IAS APP
Website : www.nirmanias.com
E-mail : nirmanias07@gmail.com
DELHI (HEAD OFFICE)
996, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh), Delhi - 110009
PH.: 011-47058219, 9911581653, 9717767797
ALLAHABAD
10/14, Elgin Road, Civil Lines, Allahabad - 211001 (U.P.) # 09984474888
GWALIOR
2/3 Aziz Complex, New Khera Pati Colony Phool Bagh Gwalior (MP), Ph. : 09753002277
JAIPUR
M-85, JP Phatak Under Pass Jaipur Ph. : 7580856503
YH-791/2/2017

# पूर्वोत्तर : सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव का भ्रम

सरोज कुमार रथ
अरुण कुमार आचार्य

**1905-1911 में बंगाल के विभाजन के दौरान असम को पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत के अंदर रखा गया। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद असम अलग प्रांत बन गया। असम की शानदार घाटियों और पहाड़ियों ने मुसलमान किसानों और उपनिवेशियों को अपनी तरह आकर्षित किया। इस वजह से इस प्रांत में इस्लाम का दायरा बढ़ा। उसके बाद असम में मुसलमानों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। कालांतर में यह सत्ता परिवर्तन से लेकर जनांकिकीय परिवर्तन तक पहुंच गया**

ब्रिटिश नौकरशाह अलेक्जेंडर मैकेंजी ने समकालीन दौर में 'पूर्वोत्तर सीमांत' शब्द गढ़ा था। इसमें भारतीय राज्य शामिल थे- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा। अलेक्जेंडर मैकेंजी ने असम, इससे जुड़े पहाड़ी इलाकों और मणिपुर व त्रिपुरा की रियासतों की पहचान के लिए सबसे पहले 1884 ईस्वी में अपनी किताब *नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया* में 'पूर्वोत्तर सीमांत' शब्द का इस्तेमाल किया था।

मैंकेंजी के मुताबिक, 'बंगाल की पूर्वोत्तर सीमा, शब्द का इस्तेमाल कभी-कभी सीमा को बताने के लिए किया जाता है और आमतौर पर इसके माध्यम से निश्चित भूभाग का भी जिक्र किया जाता है। जहां तक निश्चित भूभाग के संदर्भ की बात है, तो इसमें तमाम पहाड़ी इलाके-असम घाटी के उत्तर, पूरब और दक्षिणी हिस्से और बंगाल और बर्मा के बीच मौजूद बड़े पर्वत के पश्चिमी ढलान और अन्य चोटियां शामिल हैं।'

असम के कुछ इतिहासकार इस इलाके के पश्चिमी दुनिया से 'शानदार अलगाव' की बात करते हैं। उनकी दलील है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के साथ ही यह अलगाव खत्म हुआ। पूर्वोत्तर के 'अलगाव, दूरी, भेदभाव और अंतर' का मामला 'छपाई की पश्चिमी संस्कृति की शुरुआत' के असर से तैयार हुआ है। हालांकि, पुराने असमिया राजवंशों का इतिहासबोध जबरदस्त था और वे काफी अच्छी तरह से कालखंडों का रिकॉर्ड रखते थे। हजारों वर्षों का काफी मौखिक इतिहास था। मौखिक से लिखित संस्कृति में बदलाव के कारण पूर्वोत्तर इलाके का काफी इतिहास और उसकी परंपरा नष्ट हो गई। पढ़ने-लिखने की शुरुआत के साथ पूर्वोत्तर के निवासियों को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि मौखिक कहानियां सीधे तौर पर 'अप्रासंगिक, असंगत और मनगढ़ंत कहानियां' हैं।

लिहाजा, अपने इतिहास से वंचित पूर्वोत्तर के लोग यह मानने को मजबूर हो गए कि इस इलाके का इतिहास वही है, जो अमेरिकी मिशन वालों और ब्रिटिश औपनिवेशक हमलावर बताते हैं। औपनिवेशिक सिस्टम द्वारा प्रमाणित तथ्य और पश्चिमी लोगों के लिखित रिकॉर्ड से परे जो भी है, वह सुनी-सुनाई और अतीत की मनगढ़ंत कहानियां हैं। यही वजह है कि कई लोग पूर्वोत्तर को बाकी भारत से नस्लीय, धार्मिक और राजनीतिक-सामाजिक रूप से अलग मानते हैं। यह समझ पूरी तरह से गलत तथ्यों, इस इलाके को लेकर समझ की कमी और 'औपनिवेशिक राजशाही' की साजिश पर आधारित है। असम के बारे में सामान्य इतिहास मध्य भारत के साथ इसके अटूट जुड़ाव के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर आजादी से पहले त्रिपुरा की आखिरी शासक महारानी कंचन प्रभा देवी मध्य प्रदेश की रीवा रियासत की राजकुमारी थीं और उनकी शादी त्रिपुरा के शासक से हुई थी। कंचन प्रभा देवी ने अपने रियासत के भारत के साथ विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। प्राचीन काल से लेकर आज तक दक्षिण भारत सहित बिहार,

सरोज कुमार रथ दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और नई दिल्ली स्थित *पूर्वोत्तर केंद्र* से संबद्ध हैं। ईमेल: saroj1saroj@gmail.com
अरुण कुमार आचार्य मेक्सिको के *इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस* रिसर्च के प्रोफेसर हैं। ईमेल: acharya_77@yahoo.com

INSTRUMENT OF ACCESSION OF TRIPURA STATE

WHEREAS the Indian Independence Act, 1947, provides that as from the fifteenth day of August, 1947, there shall be set up an independent Dominion known as INDIA, and that the Government of India Act, 1935, shall, with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor-General may by order specify be applicable to the Dominion of India;

AND WHEREAS the Government of India Act, 1935, as so adapted by the Governor-General provides that an Indian State may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof:

NOW THEREFORE

I Maharani Kanchan Prabha Devi, President of the Council of Regency, on behalf of His Highness the Minor Ruler of TRIPURA

~~Ruler of~~

in the exercise of my sovereignty in and over my said State Do hereby execute this my Instrument of Accession and

1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession, but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion, exercise in relation to the State of TRIPURA (hereinafter referred to as "this State") such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947 (which Act as so in force is hereinafter referred to as "the Act").

2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.

3. I accept the matters specified in the Schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.

4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of this State whereby any functions in relation to the administration in this State of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.

5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act, 1947 unless such amendment is accepted by me by an Instrument supplementary to this Instrument.

6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expense or if the land belongs to me transfer it to them on such terms as may be agreed, or, in default of agreement, determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the Government of India under any such future constitution.

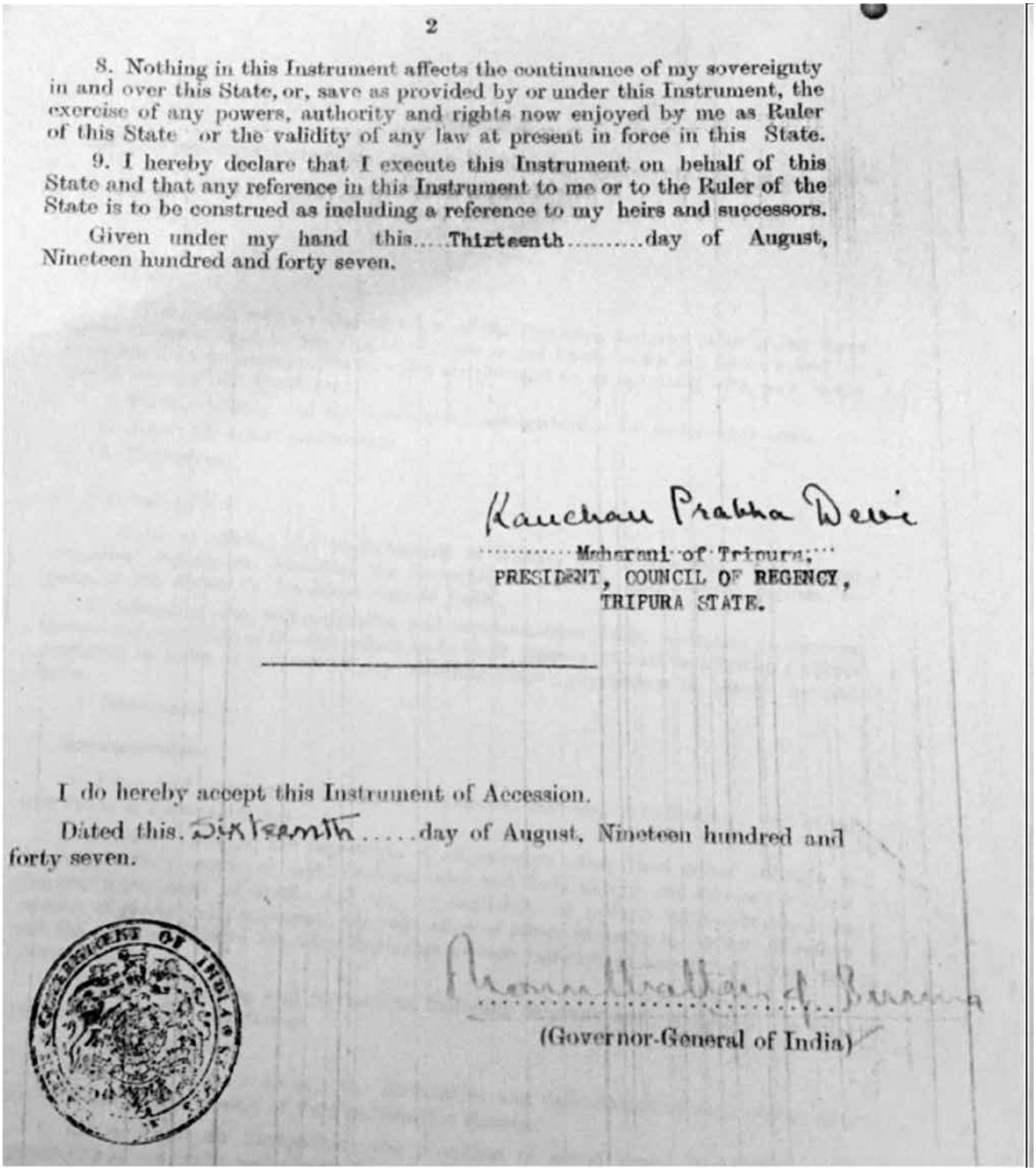

2

8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this State, or, save as provided by or under this Instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this State.

9. I hereby declare that I execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.

Given under my hand this.....Thirteenth..........day of August, Nineteen hundred and forty seven.

Kanchan Prabha Devi

Maharani of Tripura;
PRESIDENT, COUNCIL OF REGENCY,
TRIPURA STATE.

I do hereby accept this Instrument of Accession.

Dated this. Sixteenth.....day of August, Nineteen hundred and forty seven.

(Governor-General of India)

ओडिशा और मध्य भारत के साथ पूर्वोत्तर के कारोबारी और व्यापारिक रिश्ते चलते रहे हैं। विचित्र भौगोलिक स्थिति के कारण इस इलाके की सीमा पांच देशों यानि चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से मिलती है। इन पांच देशों ने पूर्वोत्तर के पूरे इलाके को घेर रखा है और जमीन के एक छोटे से टुकड़े के जरिये भारत के साथ इसका आदान-प्रदान होता है। ऐतिहासिक तौर पर इस इलाके की पहचान प्राग्ज्योतिषपुर, कामरूप और असम जैसे नामों से रही है और हजारों वर्षों से यह सनातन धर्म के दर्शन और हिंदू जीवन पद्धति से जुड़ा रहा है।

**पूर्वोत्तर भारतः एक ऐतिहासिक व्याख्या**

भारत का पूर्वोत्तर इलाका ऐतिहासिक तौर पर तीन नामों से जाना जाता है- प्राग्ज्योतिषपुर, असम और कामरूप। मौखिक इतिहास के अलावा असम का शुरुआती जिक्र कलिका पुराण, विष्णु पुराण और जोगिनी तंत्र में मिलता है। पुराण और तंत्र असम को कामरूप के तौर पर बताते हैं, जबकि महाभारत में इसका वर्णन प्राग्ज्योतिषपुर के रूप में किया गया है। असम का अभिलिखित इतिहास निधानपुर ताम्र पत्र और दूबी पत्रों

की गुत्थी सुलझाने के साथ शुरू होता है। निधानपुर ताम्र पत्र असम के इतिहास को पुराण कथाओं से लिखित इतिहास में ले जाते हैं। निधानपुर ताम्र पत्र में सील के साथ सात ताम्र पत्र हैं और इसकी खोज सिलहट (अब बांग्लादेश में) के पनसखंडा परगना के निधानपुर गांव के एक किसान ने 1912 में की थी। बाद में इस किसान ने इन पत्रों को अलग-अलग लोगों को बेच दिया, लेकिन सौभाग्य से पद्मनाथ भट्टाचार्य ने पहले, दूसरे, तीसरे, छठे और सातवें और एक अन्य को (चौथे या पांचवे) हासिल कर लिया और इसकी चर्चा विभिन्न लेखों और पत्रों में की। आखिरकार उन्होंने कामरूपशासनावली को संपादित किया। निधानपुर ताम्र पत्र बर्मन वंश की वंशावली के बारे में बताता है, की शुरुआत चौथी सदी से हुई और यह शासन सातवीं सदी तक जारी रहा। बाणभट्ट की कृति 'हर्ष चरित' और ह्वेनसांग की सी-यू-की में सातवीं सदी तक असम के इतिहास का वर्णन किया गया है। कोच वंशावली के साथ रतन पाल और धरम पाल के ताम्र पत्र के अभिलेखों ने 13वीं सदी तक के शासकों के बारे में ऐतिहासिक खालीपन को भर दिया। 1228 ईस्वी में जब अहोम राजाओं ने कोच राजाओं से इस इलाके को छीनकर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इस इलाके को असम कहना शुरू किया। अहोम इतिहास को लेकर काफी जागरूक राजवंश था। उसके पास इतिहास को दर्ज करने के लिए उच्च स्तर के लोग थे। अहोम पुजारी और उससे जुड़े प्रमुख परिवार के पास वंशावली थी और समय-समय इसमें ताजा जानकारी जोड़ी जाती थी। इसे छाल के आयताकार ढांचे में लिखकर इसे सुरक्षित रखा जाता था। इस जानकारी को पिता अपने बेटे को सौंपते थे।

**मुसलमानों ने जिस बारीकी के साथ स्थानीय संस्कृति को स्वीकार किया, उसके कारण मीर जुमला के आधिकारिक इतिहासकार शिहाबुद्दीन तलिश को कहना पड़ा कि असम में स्थानीय मुसलमान सिर्फ नाम के इस्लाम से जुड़े हैं। उनका झुकाव मुसलमानों से जुड़ाव के बजाय असमिया लोगों के साथ मेलजोल को लेकर है।**

मौखिक इतिहास के मुताबिक, असम शब्द संस्कृत शब्द 'अस्म' का तद्भव रूप है, जिसका मतलब ऊंचा-नीचा या ऊबड़-खाबड़ होता है। प्रमुख संत और असम के सामाजिक-धार्मिक सुधारक शंकरदेव ने असमिया भाषा के भागवत पुराण में लिखा है कि 16वीं सदी के शुरू में असम नाम लोकप्रिय हुआ। लंबे समय से हिंदू जीवन पद्धति का अटूट हिस्सा रहा असम देश का एकमात्र प्रांत है, जिसने हमलावर के सामने कभी समर्पण नहीं किया। 13वीं सदी के शुरू में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने असम को नियंत्रण में लेने की कोशिश की, लेकिन उसे कोच राजा के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। बख्तियार खिलजी की सेनाएं मारी गईं और चंद सिपाहियों के साथ खिलजी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और बंगाल के मैदानी इलाकों में सुरक्षित वापस आ गया।

इसके बाद मुगलों के सेनापति मीर जुमला ने जब 1663 ईस्वी में मुसलमानों पर हमला किया, जो उसे भी खिलजी जैसे हाल का ही सामना करना पड़ा। मीर जुमला को न सिर्फ अहोम राजा जयाध्वज सिंह के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे अहोम राजा के साथ अपमानजक संधि करने पर भी मजबूर होना पड़ा। मीर के आधिकारिक इतिहासकार ने लिखा है कि 'दिल्ली के इतिहास में इस तरह का मामला कभी नहीं हुआ था।' असम मुसलमानों और उनके सह-धर्मावलंबियों के लिए पहुंच से बाहर ही रहा। यह प्रांत प्राचीन भारत के अहम मूल्यों से करीबी तौर पर जुड़ा था और इसने 'अफगानिस्तान और मध्य एशिया के चंद इस्लामी शासकों के हाथों उत्तर भारत के समर्पण और दासता स्वीकार करने की प्रवृत्ति' को अस्वीकार किया। मिसाल के तौर पर दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वी राज चौहन ने 12वीं सदी के दौरान दो बार मोहम्मद गोरी को हराया और दोनों मौकों पर उनको माफ भी कर दिया। जब तीसरी बार गोरी ने जीत हासिल की, उसने तुरंत पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अपनी मजबूत ताकत और युद्ध की तैयारी के बावजूद उत्तर भारत की प्रवृत्ति इस्लामी शासकों के सामने समर्पण करने की थी।

1205 ईस्वी में असम पर हमले के वक्त मुहम्मद बख्तियार खिलजी के साथ जो मुसलमान थे, उन्हें स्थानीय कबीलाई लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा और खिलजी की सेना को पीछे हटना पड़ा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, खिलजी के इस नाकाम हमले के बाद मीर जुमला समेत कई अन्य हमलावरों के हमले की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। मीर जुमला मुगल शासक औरंगजेब का सेनापति था। हालांकि, इस दौरान कुछ मुसलमान सैनिकों ने हारे हुए अपने शासकों के साथ वापस जाने के बजाय असम में बसना पसंद किया। इन लोगों ने असम की स्थानीय लड़कियों के साथ शादी की, जिनमें से कुछ के रिश्तेदारों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।

मुसलमानों ने जिस बारीकी के साथ स्थानीय संस्कृति को स्वीकार किया, उसके कारण मीर जुमला के आधिकारिक इतिहासकार शिहाबुद्दीन तलिश को कहना पड़ा कि असम में स्थानीय मुसलमान सिर्फ नाम के इस्लाम से जुड़े हैं। उनका झुकाव मुसलमानों से जुड़ाव के बजाय असमिया लोगों के साथ मेलजोल को लेकर है। इसके बाद 17वीं सदी के मध्य में मुसलमान संत हजरत शाह मिलोन (अजान फकीर के नाम से मशहूर) असम आए। कहा

**बाणभट्ट की कृति 'हर्ष चरित' और ह्वेनसांग की सी-यू-की में सातवीं सदी तक असम के इतिहास का वर्णन किया गया है। कोच वंशावली के साथ रतन पाल और धरम पाल के ताम्र पत्र के अभिलेखों ने 13वीं सदी तक के शासकों के बारे में ऐतिहासिक खालीपन को भर दिया। 1228 ईस्वी में जब अहोम राजाओं ने कोच राजाओं से इस इलाके को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इस इलाके को असम कहना शुरू किया। अहोम इतिहास को लेकर काफी जागरूक राजवंश था।**

जाता है कि फकीर और सूफी संत होने के कारण वह असम में इस्लाम को स्थापित करने में सफल रहे।

मुगल-ब्रिटिश काल में असम को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया था- सिलहट, मणिपुर और असम। ये तीनों क्षेत्र अलग-अलग विदेशी शासनों मसलन मुगल, बर्मी और ब्रिटिश से अलग-अलग संवाद करते थे। सिलहट 1765 ईस्वी में बंगाल के बाकी हिस्सों के साथ ब्रिटिश के हाथों चला गया। मुगल शासन के दौरान खासतौर पर 1700 के शुरू में इस क्षेत्र का मुसलमानों के साथ पहली बार आदान-प्रदान हुआ। अबुल फजल के आइन-ए-अकबरी में साफ किया गया है कि सिलहट एक स्वतंत्र क्षेत्र था। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन काल (1648-1707 ईस्वी) में सिलहट के राजा गोबिंद को दिल्ली बुलाया गया और वहां वह मुसलमान बन गए। राम गोबिंद के धर्मांतरण के बाद से कुछ मुसलमान सिलहट में बस गए और यह असम और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी मौजूदगी की शुरुआत थी।

**मुगल-ब्रिटिश काल में असम को तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया था- सिलहट, मणिपुर और असम। ये तीनों क्षेत्र अलग-अलग विदेशी शासनों मसलन मुगल, बर्मी और ब्रिटिश से अलग-अलग संवाद करते थे। सिलहट 1765 ईस्वी में बंगाल के बाकी हिस्सों के साथ ब्रिटिश के हाथों चला गया।**

1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया और 1826 में यंदाबू की संधि के बाद असम कंपनी के संरक्षण में आ गया। इसके बाद दोनों प्रांतों के मुसलमानों का एक-दूसरे से नियमित तौर पर संवाद हुआ। बंगाल से कई मुसलमान असम में पलायन कर इस प्रांत में बस गए। असम में बसने वाले मुसलमानों ने बंगाल के अपने भाई-बंधुओं को अपनी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए असम आने को प्रोत्साहित किया।

1755 से लेकर 1826 ईस्वी तक मणिपुर और असम पर लगातार बर्मा के हमले का खतरा बना रहा। अहोम राजवंश के पुरंदर सिंह को सन् 1824 में बर्मा की सेना के हमले का सामना करना पड़ा। अहोम राजा ने असम को बर्मा के हमले से बचाने के लिए ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी डेविड स्कॉट से बातचीत शुरू की। हालांकि, वे अपनी आजादी से समझौता करने को तैयार नहीं थे। असम के लिए ब्रिटिश के असर से बचना संभव नहीं था और ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद और यंदाबू समझौते पर 24 फरवरी 1826 को हुए हस्ताक्षर के साथ अंग्रेज-बर्मी युद्ध खत्म हुआ। संधि के मुताबिक, बर्मा ने असम के मामलों में दखल नहीं देने पर सहमति जताई और मणिपुर के राजा गंभीर सिंह को मान्यता दी।

बहरहाल, ब्रिटिश के साथ बातचीत और समझौते की वजह से असम ने अपनी क्षेत्रीय सीमा को बर्मा के हमले से बचा दिया। यंदाबू की संधि ने ईसाई समुदाय की अगुवाई वाली एक और विदेशी ताकत ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ स्थापित की। कंपनी ने पश्चिमी असम का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। हालांकि, कंपनी ने अहोम राजा को शासन बनाए रखने की इजाजत दी, लेकिन अहोम राजधानी पर एक राजनीतिक एजेंट बिठाने के साथ ही उसका इस भूभाग पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू हो गया। गोबिंद चंद्र को फिर से कचर का राजा नियुक्त कर दिया गया है, जिन्होंने 6 मार्च 1824 को हुई बदरपुर की संधि के जरिये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति राजभक्ति को स्वीकार किया था और 10,000 रुपये सालाना भुगतान करने पर भी सहमति जताई थी। कंपनी ने 1832 में पुरंदर सिंह को फिर से ऊपरी असम का राजा बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का असम पर धीरे-धीरे नियंत्रण बढ़ने लगा। 1838 ईस्वी तक ऊपरी असम, खासी पहाड़ियों, जैंतिया राजशाही, कचर, गारो हिल्स समेत पूरा इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था। इसी वर्ष इस प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया गया। 1874 तक असम को बंगाल से अलग कर दिया गया और 'पूर्वोत्तर सीमांत गैर-नियमन प्रांत' या असम चीफ-कमिश्नरशिप बनाया गया।

ब्रिटिश राज प्रेसिडेंसी को सरकार का केंद्र बनाने के जरिये काम कर रही थी। 1834 तक हर गर्वनर और काउंसिल के जरिये हर प्रेसिडेंसी को अपनी सरकार के

लिए कथित 'नियमन' के लिए कोड तैयार करने का अधिकार था। लिहाजा, लड़ाई में जीत या संधि द्वारा प्रेसिडेंसी के तहत किसी भी क्षेत्र और प्रांत को जोड़ने पर वह इलाका संबंधित प्रेसिडेंसी के तत्कालीन नियमों के तहत आता था। हालांकि, वैसे प्रांतों जिन्हें हासिल किया गया था, लेकिन उन्हें तीन प्रेसिडेंसी में से किसी में नहीं जोड़ा गया था, वे बंगाल, मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तत्कालीन नियमों से संचालित नहीं होते थे। इन प्रांतों के आधिकारिक स्टाफ को गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता था। इस तरह के प्रांत 'गैर-नियमन वाले प्रांत' के तौर पर जाने गए और 1833 तक इन जगहों में विधायी अधिकार के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

1905-1911 में बंगाल के विभाजन के दौरान असम को पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत के अंदर रखा गया। 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद असम अलग प्रांत बन गया। असम की शानदार घाटियों और पहाड़ियों ने मुसलमान किसानों और उपनिवेशियों को अपनी तरह आकर्षित किया। इस वजह से इस प्रांत में इस्लाम का दायरा बढ़ा। उसके बाद असम में मुसलमानों की संख्या में इस कदर बढ़ोतरी हुई कि 1937 के विधानसभा के चुनावों में यहां मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मद सादुल्लाह की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। सादुल्लाह 1 अप्रैल 1937 से 10 सितंबर 1938; 17 नवंबर 1939 से 25 दिसंबर 1941 और 24 अगस्त 1942 से 11 फरवरी 1946 तक मुख्यमंत्री रहे। वह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। उनके सदस्य रहते हुए लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में अपनी सालाना बैठक में 'पाकिस्तान प्रस्ताव' पास किया था।

**चौथी सदी से लेकर भारत की आजादी तक असम में मुख्य तौर पर चार मुख्य राजवंशों का शासन रहा। बिना जमीन से जुड़े और स्थानीय आबादी, पहाड़ी जनजातीय समुदाय और पड़ोसी प्रातों के भरपूर समर्थन के बगैर इतने लंबे समय तक शासन करना असंभव है।**

सर मुहम्मद सादुल्लाह के मुस्लिम लीग शासन के दौरान राजनीतिक वजहों से मुसलमानों को बंगाल से असम में पलायन के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर एकजुट कोशिशें की गईं। दिसंबर 1943 में असम के एक दौरे के बाद वायसराय लॉर्ड वेवेल ने वायसराय जर्नल में लिखा था, 'यहां की मुख्य राजनीतिक समस्या 'अधिक अनाज उपजाओ' के नारे के तहत खाली पड़ी सरकारी जमीन पर मुसलमानों को पलायन कराने की मंत्रियों की इच्छा है।'

बंटवारे के बाद सादुल्लाह ने असम में रहने का फैसला किया। वह देश की संविधान सभा की मसौदा समिति में चुने जाने वाले पूर्वोत्तर के एकमात्र सदस्य थे। 6-7 जुलाई 1947 के दौरान भारत सरकार ने सिलहट का भविष्य तय करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनमत संग्रह के तहत वोटरों को दो विकल्प दिए गए-भारत या पाकिस्तान में रहने के विकल्प। मुस्लिम बहुल जिला सिलहट ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया। इस बाबत कुल 4,23,660 वैध वोटों में 56.56 फीसदी वोट पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में पड़े, जबकि 43.44 फीसदी वोट भारत में रहने के लिए दिए गए। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 'हालांकि, असम मुख्य तौर पर गैर-मुस्लिम प्रांत है, लेकिन बंगाल से सटे सिलहट जिले में ज्यादातर मुसलमान हैं। बाकी असम भारत के साथ बना रहेगा।'

सिलहट के जनमत संग्रह की विचित्र पृष्ठभूमि थी। यह न सिर्फ हिंदू बहुल असम में मुस्लिम बहुल जिला था, बल्कि यहां के मुसलमान निवासी सिलहटी भाषा बोलते थे। जानकारों का कहना है कि चूंकि सिलहट के मुसलमान मुस्लिम लीग के समर्थक थे, लिहाजा असम में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश के तहत कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम बहुल सिलहट को पूर्वी पाकिस्तान के सामने समर्पित कर दिया। कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता गोपीनाथ बोरदोलोई ने 'पूर्वी बंगाल को सिलहट सौंपने' की इच्छा जताई थी।

चौथी सदी से लेकर भारत की आजादी तक असम में मुख्य तौर पर चार मुख्य राजवंशों का शासन रहा। बिना जमीन से जुड़े और स्थानीय आबादी, पहाड़ी जनजातीय समुदाय और पड़ोसी प्रातों के भरपूर समर्थन के बगैर इतने लंबे समय तक शासन करना असंभव है।

**तालिका 1: खासी राज्यों का विवरण**

| रियासतें | दस्तावेजों का विवरण |
|---|---|
| असम | असम |
| | मणिपुर |
| | सिक्किम |
| बंगाल | त्रिपुरा |
| | कूच बिहार |
| खासी पहाड़ी राज्य | भोवाल रियासत |
| | चेरा रियासत |
| | द्वाका नांग्टीनमेन रियासत |
| | जिरांग रियासत |
| | खीरियम रियासत |
| | लैंग्रिन रियासत |
| | लिनियोन्ग रियासत |
| | महरम रियासत |
| | मलाईसोहमल रियासत |
| | मवदान रियासत |
| | मविंग रियासत |
| | मावलांग रियासत |
| | मौफलांग रियासत |
| | मौसिनराम रियासत |
| | मिल्लिएम रियासत |
| | मीरियन रियासत |
| | नांगखलव रियासत |
| | नांगलवाई रियासत |
| | नोबोसोहोफोह रियासत |
| | नान्गस्पन्ग रियासत |
| | नोंग्सिटीन रियासत |
| | पामसनुगुत रियासत |
| | रामब्रै रियासत |
| | शेला कनफेडरेसी रियासत |
| | सोहियान्ग रियासत |

*स्रोत: राष्ट्रीय अभिलेखागार*

आजादी के वक्त 'पूर्वोत्तर' का बुनियादी तौर पर मतलब असम और मणिपुर और त्रिपुरा की रियासतें थीं। आजादी मिलने के साथ 25 खासी राज्यों ने 1946 में खुद का खासियों का संघ बना लिया। (तालिका 1

देखें) भारत की आजादी के वक्त और उसके बाद पूर्वोत्तर रियासतों के भारत के साथ विलय के दौरान अलगाव या अंतर की कोई बात नहीं थी।

पूर्वोत्तर राज्य देश के बेहतरीन इलाकों में शामिल थे। इन राज्यों ने बिना किसी दिक्कत या दुविधा के भारत सरकार के साथ विलय के लिए संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। अलगाववादी लहर या स्वतंत्र रहने का कोई भाव नहीं था। त्रिपुरा ने 13 अगस्त 1947 को विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए और तीन दिनों के बाद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 16 अगस्त 1947 को विलय को मंजूरी दे दी।

खासी राज्यों के संघ ने भारतीय संघ में विलय के लिए 8 अगस्त 1947 को रक्षा/संचार और विदेश नीति की तीन शर्तों को लेकर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। 25 राज्यों में से 20 ने भारत के पक्ष में विलय के संधि पत्र पर 15 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किए। नोबोसोफोह ने 11 जून 1948, मावलॉन्ग ने 10 मार्च 1948, रामब्रै ने 17 मार्च 1948 और नोंगिस्टन ने 19 मार्च 1948 को हस्ताक्षर किए। महाराजा बुद्धचंद्र ने अपनी रियासत के भारत में विलय के लिए 21 सितंबर 1949 को संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। खासी हिल्स राज्यों के विलय के पत्र को वायसराय ने 17 अगस्त 1948 को स्वीकार कर लिया।

राजनीति, औपनिवेशिक मान्यता, निजी हितों और ऐतिहासिक रूप से अनदेखी ने इस क्षेत्र के अलग-थलग पड़ने की बहस को जन्म दिया। पूर्वोत्तर भारत के अलग-थलग होने की बात ठोस अनुभव आधारित दलील पर आधारित होने के बजाय खास मकसद से प्रेरित राजनीतिक-बौद्धिक विषय का मामला ज्यादा है। ❑

## संदर्भ


- **अलक्जेंडर मैंकेंजी**, 'हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट विद द हिल ट्राइब्स ऑ द नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ऑफ बंगाल', कलकत्ता: होम डिपार्टमेंट प्रेस, 1884, पृष्ठ-1.
- वही, पृष्ठ-1.
- **एच के बरपुजारी ( संपादित ):** 'पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम', वॉल्यूम 1, 1826-1919, असम सरकार, कलकत्ता: के. जी. पाल नबजीवन प्रेस, 1977, पृष्ठ-125.
- **तेजेनलो थॉन्ग,** 'प्रोग्रेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द नागाज', न्यूयॉर्क: असघाटे पब्लिकेशन, 2017, पृष्ठ-41
- वही, पृष्ठ-41
- वही, पृष्ठ-42
- **भारतीय अभिलेखागार,** 'पेमेंट ऑफ प्रिवी पर्स टू त्रिपुरा किंग', मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट : पॉलिटिकल: मणिपुर, त्रिपुरा, कूच-बिहार, फाइल नंबर : 15(73) पृ.49, 1949.
- **भारतीय अभिलेखागार**, 'एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ त्रिपुरा स्टेट (1943-1944)', मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट: पॉलिटिकल: त्रिपुरा स्टेट, फाइल नंबर: 15, पृ.49, 1949
- **स्टेन नोड, इपिग्राफिया इंडिका**, वॉल्यूम XII (1913-14), कलकत्ता: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1982; राव बहादुर एच शास्त्री, वॉल्यूम XIX, (1927-28), कलकत्ता: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1983; प्रताप चंद्र चौधरी, **द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम टू द ट्वेल्थ सेंचुरी**
- **महाभारत:** भाग-6, भीष्म पर्व, गोरखपुर: गीता प्रेस, 1997
- **पी. एन. भट्टाचार्य:** ई. आई. , वॉल्यूम XII, छव. 13; वॉल्यूम XIX, छव. 19; वॉल्यूम XIX, नंबर 40; कामरूपशासनवाली, गौहाटी: पब्लिकेशन बोर्ड, असम पृष्ठ-1-43
- **आर. पी. शास्त्री, ई. पी. कॉवेल एंड पी. डब्ल्यू. थॉमस:** 'बाणभट्ट का हर्षचरित', नई दिल्ली: ग्लोबल विजन पब्लिशिंग हाउस, 2017
- **ह्वेनसांग:** 'सी-यू-की: बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड', अनुवादक- सैम्युअल बील, वॉल्यूम I, पृष्ठ-404
- **पी. सी. चौधरी:** 'हिस्टोरिकल मैटिरियल्स इन द कोराटबारी कॉपरप्लेट ग्रांट ऑफ रत्नपलवर्मादेव', वॉल्यूम I, भाग I - II, 1977, पृष्ठ-61-69.
- **एडवर्ड गेट:** 'अ हिस्ट्री ऑफ असम ', गुवाहाटी: ईबीएच पब्लिशर्स, 2008, पृष्ठ-III
- **द भागवत ऑफ शंकरदेव:** असमी भाषा में मूल कॉपी
- **मेजर एच. रेवर्टी:** 'मिनहाज-ए-सिराज्स तबाकत-ए-नासिरी', वॉल्यूम 1, लंदन: गिलबर्ट एंड रिविंग्टन, 1980, पृष्ठ-561-69
- **असम का प्रांतीय गजट:** दिल्ली: सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-15-16
- **जदुनाथ सरकार:** 'शिहाबुद्दीन तलीश फतहिया-आई इब्रिया', जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल, वॉल्यूम ससस, न्यू सीरीज, नंबर 6, जून 1907
- एफैसोइज माइन
- **असम राज्य का गजट:** वॉल्यूम 1, अमलान बरुआ द्वारा संपादित, असम सरकार, गुवाहाटी: 1999, पृष्ठ-278
- **जदुनाथ सरकार:** 'शिहाबुद्दीन तलीश फतहिया-आई इब्रिया', जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल , वॉल्यूम ससस, न्यू सीरीज, नंबर 6, जून 1907, पृष्ठ-420
- **असम राज्य का गजट:** वॉल्यूम 1, अमलान बरुआ द्वारा संपादित, असम सरकार, , गुवाहाटी: 1999, पृष्ठ-278
- **शिहाबुद्दीन तलीश:** फतहिया- आई इब्रिया... जैसा कि एडवर्ड गेट ने ए हिस्ट्री ऑफ असम में उद्धरण पेश किया है: ईबीएच पब्लिशर्स, 2013, पृष्ठ -153
- **अमलान बरुआ:** 'असम राज्य का गजट', वॉल्यूम 1, गुवाहटी: असम सरकार, 1999, पृष्ठ-279
- **एलिग्जेंडर क्रॉफोर्ड लिंड्से:** 'लाइव्स ऑफ द लिंड्से', वॉल्यूम III, लंदन: जे. मुर्रे, 1849, पृष्ठ-163
- **अबुल फजल अलामी:** 'आइन-ए-अकबरी', वॉल्यूम II, मूल फारसी से कर्नल एच. एस. जर्रेट का अनुवाद, प्रकाशक- एशिएटैकि सोसायटी ऑफ बंगाल, कलकत्ता, 1938, पृष्ठ-125
- **एडवर्ड गेट:** ए हिस्ट्री ऑफ असम, गुवाहाटी: ईबीएच पब्लिशर्स, 2008, पृष्ठ-329
- **जयश्री रॉय:** 'डीसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ कर्बी अनलॉन्ग-असम', नेशनल इंस्टीट्यू ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 2003, पृष्ठ-10
- **मेजर जे. जे. स्नूदग्रास:** 'नैरेटिव ऑफ द बर्मीज वॉर,' दूसरा संस्करण, लंदन: जॉन मुर्रे, 1827.
- कलकत्ता: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिकेशन ब्रांच, 1931, पृष्ठ-230-233.
- **एफ. जेनकिन्स:** 'रिपोर्ट ऑन द नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया: ए डॉक्युमेंट्री स्टडी, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, XXXIII, 1995, पृष्ठ-177
- **स्टीफन बी. रोमन:** 'लैंड-सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वॉल्यूम I, ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1892, पृष्ठ-89.
- **विलियम कूक टेलर:** 'ए पॉपुलर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया', लंदन: जेम्स मैडेन एंड कंपनी, 1842, पृष्ठ-505-507
- **हुसैन अशफाक:** 'द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ असम बंगाल बोर्डर्स एंड द सिलहट रेफरेंडम', मॉडर्न एशियन स्टडीज; जनवरी 2013, वॉल्यूम 47, इश्यू 1, पृष्ठ-250-287
- **जमाल-उद-दिन अहमद:** 'जिन्ना के भाषण और लेख', संपादित, वॉल्यूम स, पृष्ठ-116-118
- **लॉर्ड वेवेल:** 'वायसरायज जर्नल', लंदन पब्लिकेशन, 22 दिसंबर 1943
- **द लंदन गजट:** ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड, लंदन: 4 जून 1946, पृष्ठ-2762
- **असम के गवर्नर द्वारा वायसराय को भेजा गया टेलीग्राम:** सिलहट में जनमत संग्रह, 10आर, आर/3/1/158, फाइल नंबर 1446/20/जीजी/143-12 जुलाई 1947
- **इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड:** आर/3/1/158, 3 जून स्टेटमेंट 1947, लंदन
- **पी मून:** डिवाइड एंड क्विट, नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998, पृष्ठ-234
- **बी. बी. कुमार:** 'पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी-घाटी कनेक्शन पर राष्ट्रीय सेमिनार में अहम भाषण, सेमिनार का आयोजन पूर्वोत्तर केंद्र, नई दिल्ली ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 5 जनवरी 2018 को किया था।

# You Deserve the Best...

IAS PCS — GS WORLD — Committed To Excellence

ISO 9001 Certified

IAS-2016 में चयनित GS World के छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं...

Ganga Singh (Roll No. 0078265) Rank 33rd

Hemant Sati (Roll No. 0441143) Rank 88th

Dhawal Jaiswal (Roll No. 0807519) Rank 445th

Ashutosh Kr. Rai (Roll No. 0576755) Rank 500th

And Many More...

Niraj Singh (M.D.) | दिल्ली केन्द्र | Divyasen Singh (Co-ordinator)

## सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

Open Seminar **5 APRIL** 11:45 am

### इलाहाबाद केन्द्र

## सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

हिन्दी & English Medium

**10 APRIL** 8:00 am

### लखनऊ केन्द्र

## सामान्य अध्ययन

Complete Prepration For IAS/PCS

Open Seminar **25 APRIL** 8:30 am/6:00 pm

हिन्दी & English Medium

### जयपुर केन्द्र

Complete Preparation for RAS

New Foundation Batch

**17 APRIL** 8:00 am/5:00 pm

## IAS INTEGRATED MAINS TEST SERIES-2018

Complete 52 Tests only 15000/-

At all GS World Center

**NCERT** Mains Test Series — Total Test - 10

**Magazine & TV Debate** Test Series — Total Test - 20

**IAS-2018 Specific** Mains Test Series — Total Test - 12

**ESSAY** Test Series — Total Test - 10

**DELHI CENTRE**
629, Ground Floor, Main Road
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09
Ph.:7042772062/63, 9868365322

**ALLAHABAD CENTRE**
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

**LUCKNOW CENTRE**
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

**JAIPUR CENTRE**
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr,
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. :9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902

YH-792/2/2017

# कृत्रिम मेधा के लाभों का दोहन

अविक सरकार

**तर्क, सोच, बोली, धारणा, प्रतिक्रिया और संवाद जैसी मानवीय समझ की बराबरी करने वाली मशीन विकसित करना लंबे समय से शोधकर्ताओं का मकसद रहा है। इंटेलिजेंट मशीन की थीम शोधकर्ताओं और विज्ञान गल्पकथाओं पर आधारित फिल्में बनाने वालों के लिए अहम आइडिया रही है। आईबीएम के कंप्यूटर 'डीप ब्लू' ने 1996-97 के दौरान शतरंज के खेल में तत्कालीन चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी और 'डीप ब्लू' मशीन का प्रदर्शन स्वभाव से पूरी तरह तर्कसंगत था और इसमें नजर और भाषा से संबंधित गहरा मानवीय बोध शामिल नहीं था**

ज्ञान या जानकारी संबंधी मामलों में किसी मशीन के मानवीय दिमाग की तरह काम करने की क्षमता को कृत्रिम मेधा (एआई) कहा जाता है। मसलन महसूस करने या समझने, तर्कसंगत ढंग से सोचने, सीखने, समस्याओं को हल करने और यहां तक रचनात्मकता का इस्तेमाल इसके दायरे में आते हैं। कृत्रिम मेधा को लेकर वैश्विक स्तर पर अलग-अलग राय है। कुछ विद्वान इसे ऐसी बदलावकारी तकनीक मानते हैं, जो ग्रोथ और उत्पादकता की रफ्तार तेज करेगी, जबकि कुछ अन्य लोगों की राय में इसके नकारात्मक मायने हैं और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार को नुकसान होगा। प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के अनुमानों के मुताबिक, कृत्रिम मेधा का 15.7 खरब डॉलर का अतिरिक्त बाजार है और यह तेजी से बदल रही अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा व्यावसायिक मौका है। यह आलेख कृत्रिम मेधा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी मुहैया कराकर मोटे तौर पर इसकी पड़ताल कर रहा है, जबकि इस विषय के विकास से संबंधित पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएगा।

लेख में हालिया बजट के दौरान इस संबंध में की गई घोषणाओं की भी समीक्षा की जाएगी। मसलन किस तरह से भारत को आने वाले वक्त में कृत्रिम मेधा और इसके असर से फायदा हो सकता है।

कृत्रिम मेधा की बुनियादी अवधारणा और अन्य सहयोगी तकनीक को समझने के लिए हम 2009 की लोकप्रिय फिल्म '3 इडियट्स' के चरमोत्कर्ष पर विचार करते हैं। फिल्म के चरमोत्कर्ष वाले दृश्य में नायक रैंचो (आमिर खान ने इसकी भूमिका निभाई है) को एक गर्भवती महिला को आपातकालीन अवस्था में बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ती है, जबकि वह इंजीनियरिंग का छात्र है और उसके पास मेडिकल की कोई ट्रेनिंग नहीं है। गांवों (खास तौर पर दूर-दराज और आदिवासियों के गांव में) में इस तरह की हालत काफी आम है, जहां मेडिकल सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। इस फिल्म में समस्या को हल करने में तकनीक अहम भूमिका निभाती है, जहां गर्भवती महिला की बहन पिया (यह किरदार करीना कपूर ने निभाया है) बच्चे की डिलीवरी में वीडियो कॉल के जरिये रैंचो को मदद करती है और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। *भारतनेट* (गांवों में तेज स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन), *आरईसीएल* (ग्रामीण विद्युतीकरण) और *डिजिटल इंडिया* अभियान जैसी सरकार की अहम योजनाओं के जरिये अब भारत के विभिन्न हिस्सों में टेली-मेडिसिन के जरिये इस तरह का काम मुमकिन है।

इस फिल्म में पिया (प्रशिक्षित डॉक्टर) डिलीवरी के दौरान पूरे वक्त रैंचो की मदद के लिए उपलब्ध रहीं। हमें गांवों में ऐसी स्थिति में हर नर्स पर एक प्रशिक्षित डॉक्टर की जरूरत होगी। वास्तव में देश के सभी गांवों में इस तरह की स्थितियों से निपटना बड़ी चुनौती है। कृत्रिम मेधा आधारित सिस्टम यहां कारगर हो सकता है और इससे नर्स को रोग के इलाज बारे में जरूरी निर्देश दिया जा सकता है। कृत्रिम मेधा सिस्टम बड़ी मात्रा में मौजूद ऐतिहासिक डेटा से

लेखक नीति आयोग के *डेटा एनालिटिक्स सेल* में विशेष कार्य अधिकारी हैं और हाल में *एनालिटिक्स इंडिया* पत्रिका ने उन्हें 'भारत के 10 प्रमुख डेटा वैज्ञानिक-2017' की सूची में शामिल किया है। लेखक ने कॉरपोरेट क्षेत्र में अपने करियर के रूप में 15 वर्षों से भी ज्यादा तक बिग डेटा आधारित कृत्रिम मेधा एप्लिकेशन विकसित किया है। यहां प्रस्तुत विचार निजी हैं। ईमेल: avik.sarkar@gov.in

सीख सकता है। मसलन एक तरह के रोग और लक्षणों की सूरत में डॉक्टरों द्वारा दी गई दवा के मामले। कृत्रिम मेधा डिजिटल तकनीक के साथ मिलकर ज्ञान और इंटेलिजेंस के जरिये लोगों को सशक्त बनाने में अहम रोल अदा करता है। उदाहरणस्वरूप गांव के स्वास्थ्य केंद्र में नर्स को सशक्त बनाना कृत्रिम मेधा द्वारा सशक्तीकरण का एक नमूना है।

### कृत्रिम मेधा का इतिहास

कृत्रिम मेधा 1950 के दशक के मध्य से कंप्यूटर साइंस में शोध का विषय रहा है। इसकी नींव काफी पहले ही पड़ चुकी थी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए 1958 में पर्सेपट्रॉन एलॉगरिद्म के आविष्कार के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई थी। उसी दौरान 1950 के दशक में एलन ट्यूरिंग ने 'कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस' शीर्षक से शोध पत्र छापा।

इसका मकसद ऐसी मशीन तैयार करना था, जो मानवीय बुद्धि और व्यवहार की नकल कर सके। तर्क, सोच, बोली, धारणा, प्रतिक्रिया और संवाद जैसी मानवीय समझ की बराबरी करने वाली मशीन विकसित करना लंबे समय से शोधकर्ताओं का मकसद रहा है। इंटेलिजेंट मशीन की थीम शोधकर्ताओं और विज्ञान गल्पकथाओं पर आधारित फिल्में बनाने वालों के लिए अहम आइडिया रही है। आईबीएम के कंप्यूटर 'डीप ब्लू' ने 1996-97 के दौरान शतरंज के खेल में तत्कालीन चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी और 'डीप ब्लू' मशीन का प्रदर्शन स्वभाव से पूरी तरह तर्कसंगत था और इसमें नजर और भाषा से संबंधित गहरा मानवीय बोध शामिल नहीं था। पिछले कुछ दशकों में डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में कई तरह के बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे कृत्रिम मेधा की प्रासंगिकता की वापसी हो गई है। इसके साथ बिग डेटा भी कदम में कदम मिलाकर चल रहा है।

1960-70 के दौरान दुनिया भर में तेजी से डिजिटाइजेशन हुआ और बैंकिंग, बीमा से लेकर रिटेल तक तमाम तरह के बिजनेस का कामकाज कागज से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पहुंच गया। ऐसे में बड़े पैमाने पर डेटा तैयार हुआ। इसके साथ ही उचित लागत पर बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग पावर और डेटा स्टोरेज की सुविधा भी हासिल की गई। ऐसे में 'बिग डेटा' का विकास हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा की प्रोसेसिंग और एनालिसिस की राह आसान हुई। कंप्यूटेशन के क्षेत्र में बढ़ोतरी और सस्ती स्टोरेज सुविधा ने कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में नई जान फूंक दी है।

**मरीज की देखभाल करने वक्त नर्स कृत्रिम मेधा से लैस उपकरण के जरिये बीमारी के लक्षणों की पड़ताल कर सकती हैं। यह उपकरण मरीज के लक्षणों के बारे में जानकारी और माप के आधार पर संभावित इलाज और उचित दवा का सुझाव देता है। इस तरह से नर्स द्वारा अनुभवी डॉक्टर की तरह ही इलाज किया जा सकता है।**

कइयों का मानना है कि 'डीप लर्निंग' एलॉगरिद्म आविष्कार के कारण ही कृत्रिम मेधा का नए सिरे से उभार हुआ। 'डीप लर्निंग' एलॉगरिद्म के सैद्धांतिक आधार पर 1965 में मल्टीलेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क (एनएनएन) को खोजा गया। उस वक्त कृत्रिम मेधा प्रणाली को प्रशिक्षित करने के लिए गीगाबाइट या टेराबाइट जैसी डेटा की आकलन करने वाली व्यापक प्रणाली नहीं थी। मानवों की भाषा से संबंधित पहलू मसलन इंसानों की बातचीत को समझने और उसके उचित जवाब को इस सिस्टम के जरिये अंजाम देने को काफी जटिल काम माना गया।

आईबीएम का सवाल-जवाब वाला सिस्टम, 'वॉट्सन' 2011 में दो बड़े गेम प्लेयर्स- 'जेपर्डी!' को पीछे छोड़ देता है। 'जेपर्डी!' अलग तरह का शानदार गेम शो है, जिसमें जवाब पहले दिए जाते हैं और इसके भागीदारों को दिए गए सुराग के आधार पर सवाल तैयार करने पड़ते हैं। इंसानों द्वारा जिस दूसरे जटिल काम को अंजाम दिया जाता है, उसमें चीजों को पहचानना, समझना और महसूस किया जाना शामिल है। कृत्रिम मेधा आधारित एक प्रणाली ने 2012 में बड़े अंतर से इमेज नेट की तस्वीरों के वर्गीकरण की प्रतियोगिता जीती थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का कृत्रिम मेधा सूचकांक इंसानों की तुलना में कृत्रिम मेधा के प्रदर्शन की तुलना करता है। इसके तहत भाषा और बोली को पहचानने/समझने और वस्तुओं/चीजों के जरिये तस्वीर को पहचानने जैसे काम बेहतरीन कृत्रिम मेधा के प्रदर्शन के स्तर तक पहुंच गए हैं।

### किस तरह से मददगार है कृत्रिम मेधा

हम एक बार फिर स्वास्थ्य क्षेत्र के उसी उदाहरण की बात करते हैं- भारत में प्रति हजार लोगों पर एक से भी कम (0.75) डॉक्टर है और अगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें, तो यह आंकड़ा और खराब है। जिस रफ्तार से नए फिजिशियन या डॉक्टर सिस्टम में आ रहे हैं, उसके मद्देनजर निकट भविष्य में इस आंकड़े में बदलाव के आसार नहीं दिखते। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की दिक्कत है और ऐसे कई केंद्र जमीनी स्तर पर सिर्फ एक नर्स के भरोसे चलते हैं। दूर-दराज

और आदिवासी क्षेत्रों में हालात और खराब हो सकते हैं। रेडियोलॉजी या पैथोलॉजी से जुड़े स्पेशल क्लीनिक में प्रशिक्षित मेडिकल कर्मी की और कमी है-ऐसे पेशेवर मरीजों की बीमारी के बारे में पक्की जानकारी देने के लिए अधिकांश वक्त तस्वीरें देखने में गुजारते हैं। हम तस्वीरों की पहचान में कृत्रिम मेधा का बेहतरीन प्रदर्शन देख चुके हैं। यहां पर बिग डेटा आधारित कृत्रिम मेधा कौशल और काबिलियत के अंतर को पाटने में मदद कर सकता है। इससे जमीनी स्तर पर मेडिकल स्टाफ का भी सशक्तीकरण होगा। कृत्रिम मेधा आधारित सिस्टम तस्वीरों के आधार पर सुझाव मुहैया कराकर रेडियोलॉजी/पैथोलॉजी के विशेषज्ञों का वक्त बचा सकता है। वे विस्तृत जांच करने के बजाय काफी कम समय में सीधा मामले की पड़ताल कर सकते हैं। साथ ही, क्लीनिकल विशेषज्ञ जमीनी स्तर पर वैसे जटिल मामलों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसमें विशेषज्ञ के दखल की जरूरत होती है।

मरीज की देखभाल करने वक्त नर्स कृत्रिम मेधा से लैस उपकरण के जरिये बीमारी के लक्षणों की पड़ताल कर सकती है। मरीज के लक्षणों के बारे में जानकारी और माप के आधार पर उपकरण संभावित इलाज और उचित दवा का सुझाव देता है। इस तरह से नर्स द्वारा अनुभवी डॉक्टर की तरह ही इलाज किया जा सकता है। साथ ही, अगर नर्स को लगता है कि कोई सुझाव मरीज की मौजूदा हालत में ज्यादा उपयुक्त नहीं है, तो उसके पास इस सुझाव को नहीं मानने का भी विकल्प होगा। ये सभी सुझाव बिग डेटा आधारित कृत्रिम मेधा एलॉगरिद्म के आधार पर मुहैया कराए जाते हैं, जो बड़ी संख्या में ऐसे ही लक्षण वाले गुमनाम मरीजों के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर दवाओं के लिए सलाह देता है।

भारत में स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कौशल का अभाव है और इस तरह की कृत्रिम मेधा आधारित तकनीक इस कमी की भरपाई कर सकती है और लोगों का सशक्तीकरण कर उन्हें रोजाना के कामकाज में ज्यादा कारगर बनाया जा सकता है।

स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर और कोर्सेरा के सह-संस्थापक एंड्रयू एनजी ने अपने मशहूर कथन में कृत्रिम मेधा को नई बिजली बताया है। उनके मुताबिक, 'जिस तरह से बिजली ने 100 वर्षों पहले तकरीबन सब कुछ बदल कर रख दिया, मुझे लगता है कि कृत्रिम मेधा अगले कुछ वर्षों में कुछ वैसा ही कर सकता है।' भारतीय संदर्भ में कृत्रिम मेधा के असीमित उपयोग हैं। न्यायपालिका अदालतों में लंबित पड़े मामलों की संख्या घटाने में इसका इस्तेमाल कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी मदद से सीखने का सिस्टम विकसित किया जा सकता है या कृषि आर्टफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपग्रह की तस्वीरों के विश्लेषण के जरिये काफी पहले फसलों की उपज का अनुमान पेश किया जा सकेगा।

**भारत में विश्वविद्यालय और शोध प्रयोगशालाएं पिछले 40 वर्षों से कृत्रिम मेधा से जुड़े अत्याधुनिक शोध में सक्रिय हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का ठिकाना है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोध और विकास केंद्र पहले ही भारत में बन चुके हैं। भारत के पास स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम है। यहां बड़ी संख्या में वेंचर कैपिटल फंड भी हैं और स्टार्टअप संबंधी पहल को लेकर सरकार का रवैया काफी सहयोगात्मक है।**

अहम बदलाव वाली बाकी तकनीक की तरह कृत्रिम मेधा लोगों के जीवन जीने और काम करने के वर्तमान तौर-तरीकों में बुनियादी बदलाव लाएगा। पिछला बड़ा बदलाव उस वक्त हुआ था, जब देश के बैंकों और बाकी संस्थानों में पहली बार कंप्यूटर लगाए गए। हालांकि, बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी हुआ।

कंप्यूटरों ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्रांति लाई और इससे भारत आईटी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बना। भारत की घरेलू कंपनियां वैश्विक स्तर पर दुनिया की बेहतरीन आईटी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और भारत से सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात (वॉल्यूम के लिहाज से) होता है। भारत में जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो उस वक्त देश में सूचना प्रौद्योगिकी के जानकार लोग नहीं थे और अब यहां काफी बड़ी संख्या में आईटी पेशेवर मौजूद हैं। इसी तरह, कृत्रिम मेधा जैसी अहम बदलाव वाली तकनीक रोजगार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल मचाएगी। नए तरह के कौशल उभरकर सामने आएंगे और इन लोगों को फिर से नए कौशल के साथ लैस करने में सरकार को अहम भूमिका निभानी होगी। विनिर्माण के क्षेत्र में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन की राह खोल सकता है और लोग कम उत्पादकता वाले रोजगार से उच्च उत्पादकता वाले काम की तरफ बढ़ सकते हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र (जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है) में नर्स को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित बिग डेटा के इस्तेमाल समेत किसी भी नई तकनीक को अपनाने में बदलाव प्रबंधन का मामला अहम होता है। यह प्रबंधन किसी भी नई तकनीक को अपनाने से जुड़े अभियान का अहम पहलू है और यह बदलाव के

लिए पहल की सफलता और असफलता के बीच की बारीक लाइन हो सकती है। नर्स को खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है, जिसका मकसद उसे सशक्त बनाना है। इसमें थोड़े से नए कौशल विकास की बात हो सकती है। नई तकनीक को अपनाने में उचित कौशल की कमी अक्सर ऐसे अभियानों और नई तकनीक की नाकामी का सबब बन जाती है। ऐसे में नए कौशल की कमी के कारण रोजगार गंवाने की बात सामने आती है। मिसाल के तौर पर कोई नर्स मरीज की देखभाल और उस पर नजर रखने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो सकती है, लेकिन मुमकिन है कि वह किसी उपकरण और इसके विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल करने में कुशल नहीं हो। ऐसी स्थिति में मेडिकल क्षेत्र की विशेषज्ञ नर्स को उचित डिजिटल कौशल को सीखने की जरूरत होगी। इससे नर्स को कृत्रिम मेधा की मदद से बेहतर तरीके से अपना काम करने में मदद मिलेगी।

### कृत्रिम मेधा का इकोसिस्टम

मौजूदा बजट में इस बारे में यह ऐलान किया गया: 'वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल क्षेत्र में नई-नई तकनीक के विकास के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रही है। मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग और ऐसी अन्य चीजों के कारण ऐसा हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से भारत को ज्ञान और डिजिटल आधारित समाज बनाने में मदद मिलेगी। नीति आयोग शोध और एप्लिकेशन के विकास समेत कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में हमारी कोशिशों को दिशा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा।'

आज कृत्रिम मेधा को रणनीतिक तकनीक के रूप में देखा जाता है, जिससे आर्थिक वृद्धि और देश के विकास की रफ्तार तेज होगी। कुछ देश पहले ही कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में तेज बढ़ोतरी के लिए नीति पेश कर चुके हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कृत्रिम मेधा का असर कॉरपोरेट इकाइयों से इतर भी हो सकता है। आईटी सेवाओं और कृत्रिम मेधा/बिग डेटा के इर्दगिर्द सेवाओं में अग्रणी देश की हैसियत होने के बावजूद फिलहाल भारत को कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में अगुआ नहीं माना जाता है। शोध प्रयोगशालाओं, अकादमिक हलकों, स्टार्टअप और प्राइवेट खिलाड़ियों के दायरे में कृत्रिम मेधा शोध और शुरुआती प्रदर्शन के कई बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं। साथ ही, जमीन पर काम कर रहे लोगों के पास कृत्रिम मेधा को अपनाने के बारे में काफी कम जानकारी है। कृत्रिम मेधा को तेजी से अपनाने में एक बड़ी बाधा इन खिलाड़ियों के बीच लंबे समय तक लगातार सहयोग की कमी है।

कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत के अग्रणी बनने के लिए क्या अहम शर्तें हैं?

एक्सेंचर रिसर्च के मुताबिक, मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के अहम स्तंभों में विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, बड़ी कंपनियां, नीति निर्माता और बहु-पक्षीय साझीदारी शामिल हैं। इनमें से कई स्तंभों के मामले में भारत के पास मजबूत संभावना है।

**मौजूदा बजट में इस बारे में यह ऐलान किया गया: 'वैश्विक अर्थव्यवस्था डिजिटल क्षेत्र में नई-नई तकनीक के विकास के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदल रही है। मशीन लर्निंग, कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग और ऐसी अन्य चीजों के कारण ऐसा हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से भारत को ज्ञान और डिजिटल आधारित समाज बनाने में मदद मिलेगी।**

भारत में विश्वविद्यालय और शोध प्रयोगशालाएं पिछले 40 वर्षों से कृत्रिम मेधा से जुड़े अत्याधुनिक शोध में सक्रिय हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का ठिकाना है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोध और विकास केंद्र पहले ही भारत में बन चुके हैं। भारत के पास स्टार्टअप का मजबूत इकोसिस्टम है। यहां बड़ी संख्या में वेंचर कैपिटल फंड भी हैं और स्टार्टअप संबंधी पहल को लेकर सरकार का रवैया काफी सहयोगात्मक है।

नीति आयोग पहले ही भारत में नवोन्मेष से जुड़े इकोसिस्टम को रफ्तार देने के मिशन पर काम शुरू कर चुका है। आयोग स्टार्टअप की मदद के लिए अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) कार्यक्रम के जरिये स्कूलों में प्रयोगशालाओं और इनक्यूबेशन सेंटर को बढ़ावा देता है। स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड के बीच काफी हद तक साझीदारी है। हालांकि, इस बारे में सूचना टुकड़ों में बंटी है।

भारत में साझेदारी और सहयोग के जरिये कृत्रिम मेधा इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। स्टार्टअप्स नए सॉल्यूशन विकसित करने की दिशा में तेज और केंद्रित रवैया अपनाते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास गहन शोध के लिए पर्याप्त बैंडविथ नहीं होता। ऐसे में शोधकर्ताओं के लिए उस डोमेन में पहुंच वाकई में मददगार होगी। सरकार को विभिन्न स्तरों पर इन साझेदारियों को अंजाम देने में अहम भूमिका अदा करनी होगी। कृत्रिम मेधा में शोध को अकादमिक जगत/शोधकर्ताओं और इंडस्ट्री व स्टार्टअप के बीच साझेदारी के जरिये बढ़ावा दिया जा सकता है।

इसी तरह, कृत्रिम मेधा को तेजी से अपनाने का काम उद्योग और अकादमिक जगत के साथ विभिन्न क्षेत्रों- स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि की साझेदारी के जरिये हो सकता है। कृत्रिम मेधा आधारित तकनीक को सेवाओं, उपयोग और अंदर में मौजूद हार्डवेयर के तौर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। उद्योग जगत के खिलाड़ियों को वेंचर कैपिटल और व्यापार संस्थाओं के साथ जोड़कर ऐसा मुमकिन हो सकता है।

कृत्रिम मेधा ऐसी तकनीक है, जिसमें अगले कुछ दशकों में भारत के विकास को संचालित करने की संभावना है। यह विकास मुख्य तौर पर कृत्रिम मेधा इकोसिस्टम में निजी खिलाड़ियों से संचालित होगा और सरकार इस इकोसिस्टम में साझेदारी की राह आसान करने में अहम रोल अदा करेगी। चूंकि तकनीक में उथल-पुथल मचने से मौजूदा नौकरियों के बदले नई नौकरियां पैदा होंगी, लिहाजा लोगों को नए कौशल से लैस करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ❑

# पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता

धीप्रज्ञ द्विवेदी

**पूर्वोत्तर भारत के जीवों के बारे में अन्वेषण और शोध की कमी दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र की दूरी, मुश्किल इलाके और साथ ही कई हिस्सों में आसपास के लोगों द्वारा किए गए गंभीर शिकार दबावों से इस क्षेत्र के जीवों का अध्ययन कठिन हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहां 3,624 प्रकार के कीट-पतंगे, 236 प्रकार की मछलियां, 64 तरह के उभयचर, 137 किस्म के सरीसृप, 600 प्रकार के पक्षी तथा 160 किस्म के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कई प्रजातियां अन्यत्र दुर्लभ हैं**

अथर्व वेद में कहा गया है *''अख्यं प्रविथि स्योनमस्तुते''* अर्थात् हे! धरती तुम्हारे ऊपर लहराते हुये हरे-भरे जंगल सुखदायक हों।

जंगलों की उपस्थिति सुखदायक होती है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जंगलों से आच्छादित है। इसे हम भारत की हरित भूमि भी कह सकते हैं। यह अनछुए जंगलों और जनजातियों की बहुलता का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत अद्भुत पारिस्थितिकी का क्षेत्र है जिसके कारण यहां की जैव विविधता भी अनुपम है। यह क्षेत्र सात भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अक्सर इन सात पूर्वोत्तर राज्यों को सात बहनों के रूप में जाना जाता रहा है, जिसमें अब आठवें राज्य के रूप में सिक्किम भी शामिल है। इन सबकी अपनी विशेषतायें हैं। ये क्षेत्र भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश आदि देशों की सीमाओं से जुड़े हैं। यहां की पारिस्थितिकी का कारण यहां की भौतिक संरचनाएं एवं भौगोलिक स्थितियां हैं। भौतिक संरचनाओं में पूर्वी हिमालय, पटकाई-नागा, लुसाई एवं मेघालय पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र एवम् बराक नदी घाटी के मैदान इत्यादि सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र व्यापक भौगोलिक अंतर दिखाता है जो असम के बाढ़ के मैदानों से अलग होकर सिक्किम में कंचनजंघा (8586 मीटर) के उच्चतम पर्वत शिखर भी हैं। इसके अतिरिक्त अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह स्थान उच्च वर्षा क्षेत्र में आता है, (विश्व में सर्वाधिक वृष्टि के स्थान मौसिनराम तथा चेरापूंजी यहीं अवस्थित हैं।) यहां की जलवायु मुख्यत: नम उप उष्णकटिबंधीय है, कुछ क्षेत्रों में पर्वतीय जलवायु भी मिलती है। यही भौतिक एवम् भौगोलिक स्थितियां इस स्थान की अद्भुत पारिस्थितिकी का निर्माण करती हैं। यह पारिस्थितिकी अतुलनीय जैव विविधता का स्रोत है। यहां बाघ, हाथी, गैंडा, विभिन्न प्रकार के हिरण, विश्व के सबसे छोटे शूकरों में से एक पिग्मी हॉग, विभिन्न प्रकार के पक्षी और पौधे भी पाये जाते हैं। यह क्षेत्र अपने फूल वाले पौधों के लिये प्रसिद्ध है। उदाहरण स्वरूप भारत में पाये जाने वाले ऑर्किड की 1300 प्रजातियों में से पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 800 प्रजातियां पायी जाती हैं, जिनमें से कई संकटापन्न श्रेणी में आते हैं जैसे पाफीओपिडीलियम प्रजाति, वांडा प्रजाति, रेनेन्थेरा प्रजाति, सिम्बिडियम प्रजाति, थूनिया मार्शलियाना आदि शामिल हैं। यहां पाये जाने वाले कुछ आदिम फूलों के पौधे जैसे, मैगनोलिया पिलियाना, एम कस्टावी, मिरीका एस्कलेंटा; मांसाहारी पौधे जैसे नेपेन्थिस ख्यासियाना, लिलिअम मॅकलिनिया इत्यादि वन्यजीव और पादपों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौते के अनुबंध 1 में सूचीबद्ध हैं। यहां हमेशा नई-नई प्रजातियों की खोज होती रहती है। उदाहरणस्वरूप इसी मार्च में नगालैंड के पेरेन जिले में नये जल स्ट्राइडर टिलमोरा नागालैंडा, जेहमलार एण्ड चन्द्रा की खोज हुई। इस स्थान की जैव विविधता की जानकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसका महत्व भी उतना ही अधिक होता जा रहा है। इस आलेख में

लेखक पर्यावरण विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। ऊर्जा तथा पर्यावरणीय संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच यह विषय पढ़ाते भी हैं। स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य करने वाली संस्था *स्वस्थ भारत* के संस्थापक सदस्य भी हैं। समावेशी चिंतन पर कार्यरत संस्था *सभ्यता अध्ययन केंद्र* के साथ शोध कार्यों में जुड़े हुए हैं। ईमेल: dhimesh.dubey@outlook.com

पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता, उसके लाभ, उसकी समस्याओं और संरक्षण की चर्चा करेंगे।

## जैव विविधता

हमारा जैवमण्डल विभिन्न प्रकार के जीवों का विशाल संग्रहण है। जंतुओं में विशालकाय नीली व्हेल से लेकर अति सूक्ष्म जीवाणुओं तक शामिल हैं जबकि पौधों में भी 100 मीटर की ऊंचाई वाले रेडवुड से लेकर विशालकाय पीपल और बरगद जैसे पेड़ हैं तो सूक्ष्म शैवाल भी हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच की यही विविधता, विभिन्नता एवं परिवर्तनशीलता जैव विविधता कहलाती है।

वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित करते हुये कहा गया कि "धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित अथवा उससे सम्बंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विविधता जैव विविधता है।" साथ ही यह तय किया गया कि धरती पर उपस्थित सभी प्रजातियों का पता लगा कर उनका वैज्ञानिक नामाकरण किया जाये। अब तक लगभग 1.5 लाख प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है और एक अनुमान के अनुसार यह भाग कुल संख्या के 2 से 15 प्रतिशत तक हो सकता है। यह माना जाता है कि सभी प्रजातियों के बारे में पता करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि कई प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण असमय समाप्त हो रही हैं। इसमें सबसे प्रमुख योगदान जंगलों की कटाई एवं प्रदूषण तथा वैश्विक वातावरण में आ रहा परिवर्तन है। लेकिन इन सबके बाद भी अभी भी लगभग करोड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। विशेषज्ञों के अनुसार अनुमानत: विश्व में जीव-जातियों की संख्या 1 से 10 करोड़ तक हो सकती है। प्रजातियों की यह विविधता विश्व में एक समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ देशों में यह अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा है। ऐसे देशों को उच्च विविधता वाले देश कहते हैं। कॉनजर्वेशन डॉट ऑर्ग ने ऐसे 17 देशों को सूचीबद्ध किया है जिनमें भारत भी है। केवल 2.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व के लगभग 6 प्रतिशत जैव विविधता का घर है। जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास बहुत लम्बे समय से किये जा रहे हैं, प्राचीन काल में भी इसके लिये प्रयास किये जाते रहे हैं उदाहरण स्वरूप यजुर्वेद में कहा गया है "मापो मौषधीय सीर्धाम्नो: धाम्नो राजॅस्ततो वरुण नो मुंच् (6/22)" अर्थात् हे राजन, आप अपने राज्य के स्थानों में जल और वनस्पतियों को हानि मत पहुंचायें, ऐसा उद्यम करो जिससे हम सभी को जल एवं वनस्पतियां सतत् मिलती रहें। आधुनिक काल में भी इस प्रकार के प्रयास होते रहे हैं। वर्ष 1798 में वेदानथंगल पक्षी विहार की स्थापना हुयी, जिसे 1858 में चेंगलपट्टू के कलेक्टर ने मान्यता प्रदान की।

आधुनिक काल में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं उनमें दो महत्वपूर्ण प्रयास हैं रेड डेटा बुक का प्रकाशन (1966) और पूरे विश्व में

**तालिका 1: पूर्वोत्तर के राज्यों के वन क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल के अनुपात में)**

| राज्य | प्रतिशत क्षेत्र |
|---|---|
| मिजोरम | 86.27 प्रतिशत |
| अरुणाचल प्रदेश | 79.96 |
| मणिपुर | 77.69 |
| मेघालय | 76.45 |
| नागालैंड | 75.33 |
| त्रिपुरा | 73.68 |
| सिक्किम | 47.13 |
| असम | 35.83 |

स्रोत: *State of Forest Report 2017*

जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र (बायो-स्फेयर रिजर्व) की स्थापना (1976)। रेड डेटा बुक में दर्ज, भारत की अत्यंत संकटापन्न प्रजातियों में से कई पूर्वोत्तर में पायी जाती हैं जैसे बंगाल फ्लोरिकन, लाल पांडा, गैंडा, सुनहरा लंगूर, सफेद बत्तक, हाथी, बाघ इत्यादि। विश्व में पहले जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों (बायो-स्फेयर रिजर्व) की स्थापना 1979 में हुयी थी और आज इनकी संख्या 600 को पार गयी है। भारत में कुल 21 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्रों (बायो-स्फेयर रिजर्व) की स्थापना की गयी है, जिनमें से 10 को यूनेस्को से मान्यता मिली है जिनमें से कई पूर्वोत्तर में हैं। उदाहरण स्वरूप मानस और नोकरेक। जैव विविधता के संरक्षण एवं अध्ययन के लिये वर्ष 1988 में नोर्मन मायर्स ने जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों को परिभाषित किया था। वर्तमान में उनकी कुल संख्या 34 है जिनमें से 3 भारत में हैं। इन तीनों में से भी दो पूर्वी हिमालय तथा भारत म्यांमार मिलकर पूर्वोत्तर का निर्माण करते हैं। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर कह सकते हैं। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जैव विविधता का आकर्षण केंद्र है और भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वोच्च जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

## पूर्वोत्तर की जैव विविधता

यह क्षेत्र भारत के अधिकांश वनस्पतियों एवं जंतुओं के लिए एक भौगोलिक प्रवेश द्वार माना जाता है और असाधारण जैव विविधता और अपेक्षाकृत जटिल जैवभूगोल को दर्शाता है। मोटे तौर पर, इस क्षेत्र में देश के कुल जैव विविधता का एक तिहाई से अधिक हिस्सा शामिल हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा होने के बाद भी यहां के जंगलों के कारण अतुलनीय जैव विविधता को समर्थन देता है।

तालिका 1 से स्पष्ट है कि यह क्षेत्र जंगलों की दृष्टि से बेहद समृद्ध है इसी कारण यह जैव विविधता के लिये भी इतना महत्वपूर्ण है।

## पादप विविधता

इस क्षेत्र में फूलों के पौधों की कम से कम 8000 प्रजातियां हैं, जिनमें लगभग 800 ऑर्किड, 58 बांस, 64 साइट्रस शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें 28 से अधिक कॉनिफ़र, 500 मौस , 700 फर्न और 728 लीकेन प्रजातियां हैं। साइट्रस, केले और चावल के महत्वपूर्ण जीन पूल में से कुछ इस क्षेत्र से उत्पन्न हुये हैं। पूर्वोत्तर भारत की लगभग एक-तिहाई वनस्पति इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। पूर्वी हिमालय का क्षेत्र दुनिया के सबसे विकसित अल्पाइन वनस्पतियों में से एक है, जिसमें उच्च स्तरीय स्थानियकता है, और पूर्वी हिमालय में चौड़ी पत्तियों वाले समशीतोष्ण वन दुनिया में सबसे अधिक प्रजाति-समृद्ध समशीतोष्ण वनों में से एक है। भारत में पाये जाने वाले फूल के पौधों का लगभग 50 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को "फूलों के पौधे का गढ़" कहा जाता है। यह क्षेत्र कई दुर्लभ वानस्पतिक का स्थान है जिसमें सप्रिया हिमालयी ग्रिफ (परिवार राफ्लसियासीए) भी

शामिल है। जो विश्व के सबसे बड़े जड़ परजीवी में से एक है। यहां कीटभक्षी पौधे भी पाये जाते हैं जिनमें से कई स्थानिक हैं जैसे नेपेंथिस खासिआना केवल मेघालय में पाया जाता है और इसे साईट्स की अनुसूची (ए) के साथ-साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 6 में भी में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पौधों के बहुत से परिवारों में एक ही जींस पायी जाती है और उनकी भी एक या दो प्रजातियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए कोरीरियासी, नेपेंथेसी, टर्नरएसी, इलिकिसिया, इत्यादि। भारत में खाद्य पौधों के रूप में उपयोग की जाने वाली 800 प्रजातियों में से, लगभग 300 प्रजातियां पूर्वी हिमालय में हैं। ओर्चिडैसी जो पौधों का सबसे आकर्षक और अत्यधिक विकसित समूह है, की विविधता, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अद्भुत है और यह भारत में कुल ऑर्किड का 57 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष रूप से, 545 प्रजातियों के साथ अरुणाचल प्रदेश [12 प्रजातियां-लुप्तप्राय, 16-असुरक्षित, और 31-संकटग्रस्त] एक अद्वितीय स्थिति रखता है। बेंत, पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के वन उत्पादों में से एक है। भारत में इसकी 60 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26 प्रजातियां हैं। इसी तरह, भारत में पाए जाने वाले बांस के 150 प्रजातियों में से, 63 प्रजाति लक्ष्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 25 प्रजाति के बांसों को दुर्लभ माना जाता है। सुदूर और अगम्य होने के कारण अभी भी यहां के क्षेत्र, पूरी तरह से अन्वेषित नहीं किए गये हैं जबकि नए पौधे की खोजों के लिए अपरिमित क्षमता है।

### जंतु विविधता

पूर्वोत्तर भारत के जीवों के बारे में अन्वेषण और शोध की कमी दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र की दूरी, मुश्किल इलाके और साथ ही कई हिस्सों में आसपास के लोगों द्वारा किए गए गंभीर शिकार दबावों से इस क्षेत्र के जीवों का अध्ययन कठिन हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहां 3,624 प्रकार के कीट-पतंगे, 236 प्रकार की मछलियां, 64 तरह के उभयचर, 137 किस्म के सरीसृप, 600 प्रकार के पक्षी तथा 160 किस्म के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कई प्रजातियां अन्यत्र दुर्लभ हैं। इनमें हूलक, गोल्डन लंगूर और कई प्रकार के बन्दर, चितकबरे तेंदुए, बर्फ में रहने वाले तेंदुए, अनेक प्रकार के जीव-जन्तु और चमगादड़ जैसे रात्रिचर पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जंगली हाथियों की 33 प्रतिशत आबादी यहां है। वास्तव में, अकेले असम में म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया या एशिया के किसी भी अन्य देश से अधिक हाथी रहते हैं। ग्रेट इंडियन राइनोसेरस (राईनेकाइरस यूनिकॉर्निस) अर्थात एक सींग वाला गैंडा दुनिया के सभी गैंडों में दूसरे सबसे बड़े गैंडे हैं और ये केवल पूर्वोत्तर भारत के असम में काजीरंगा, मानस, पबिताड़ा और ओरंग तक सीमित हैं। कई प्रकार के दरियाई घोड़े, चीनी पंगोलिन अनेक प्रकार के हिरण इस क्षेत्र में मिलते हैं। ब्रो-एंटेलर्ड डीयर मणिपुर राज्य के लिए स्थानिक है, जिन्हें स्थानीय स्तर पर संगाई के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया में हिरणों की सबसे दुर्लभ और सबसे स्थानीय उपप्रजातियों में से एक है। 1951 में विलुप्त होने की सूचना मिलने के बाद, 1974 में इस हिरण को बाद में लोकतक झील में एक 'फामड़ी' के ऊपर पाया गया। पहली बार जनगणना में इनकी संख्या 14-18 तक गिनी गयी थी, फिर भी उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। लोकतक झील अब एक रामसर स्थल है और इस क्षेत्र में अब लगभग 150-200 संगाई होने का अनुमान है। यह निस्संदेह विश्व के सबसे नाजुक आवास में से है।

**बेंत, पूर्वोत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के वन उत्पादों में से एक है। भारत में इसकी 60 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में 26 प्रजातियां हैं। इसी तरह, भारत में पाए जाने वाले बांस के 150 प्रजातियों मे से, 63 प्रजाति लक्ष्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 25 प्रजाति के बांसों को दुर्लभ माना जाता है। सुदूर और अगम्य होने के कारण अभी भी यहां के क्षेत्र, पूरी तरह से अन्वेषित नहीं किया गये हैं और नए पौधे की खोजों के लिए अपरिमित क्षमता है।**

इस क्षेत्र में सेरो, गोरल और लाल गोरल भी पाये जाते हैं जिनकी आबादी बेहद तेजी से कम हो रही है। इस इलाके में प्राइमेट्स की 11 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गयी है। भारत दुनिया की छह सबसे बड़ी बिल्लियों का घर है और अरुणाचल प्रदेश राज्य एशिया की चार बड़ी बिल्लियों को आवास देने के लिए गर्व करता है- बाघ (पैंथेरा टाइगरिस), तेंदुए, हिम तेंदुए और क्लाउडेड (बादल) तेंदुए। इनमें से, बादल तेंदुए की भारतीय आबादी उत्तरी क्षेत्र तक ही सीमित है। चढ़ाई के लिए संतुलन के लिए बड़े पंजे के साथ बहुत लंबी पूंछ, इन्हें पेड़ की ऊंचाईयों तक पहुंचने में मदद करती है।

क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में इस मायावी जानवर की उपस्थिति के बावजूद, इसका आवास खतरनाक दर से सिकुड़ रहा है। विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में वनों का विशालकाय क्षेत्र, जहां पशु भय मुक्त रहता है, इस शानदार पशु के लिए सुरक्षित रह सकता है, बशर्ते ऐसे जंगल सड़कों के निर्माण सहित विकास गतिविधियों से दूर रखा जाए। बाघ पूरे क्षेत्र में एक बहुत दुर्लभ जानवर बन गया है और शायद असम इस बड़ी बिल्ली के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। अधिक अनुकूलनीय तेंदुए अधिक संख्या में जीवित रहने में कामयाब रहे हैं। हिम तेंदुए की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के ऊंचे-ऊंचे इलाकों में रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत छोटे मांसाहारी जीवों को भी आवास देता है। यह क्षेत्र संभवत: पूरे ग्रह पर छोटे मांसाहारी जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्षेत्रफल के अनुसार बेहद छोटे राज्य मणिपुर, मांसाहारी प्राणियों की विविधता के मामले में बहुत ऊंचे पायदान पर है। मणिपुर अपने केवल 22327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तीन बड़ी बिल्लियों के साथ कई छोटी बिल्लियों जैसे मार्बल (संमरमरी) बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, मत्स्य बिल्ली और जंगली बिल्ली को आवास प्रदान करता है। इसमें 3 मोस्टिड्स और 7 विवर भी हैं: पीले-गले वाले मार्टन (मार्टस फ्लैविगुला), फेरेट बेजर (मेलोगेल प्रजाति), होग बेजर (आर्क्टोनीक्स कॉलरिस), यूरेशियन ओटर (लुट्रा लुट्रा); और वीवर्ड्स में, लघु भारतीय सिविट (वीवरक्रुला इंडिका), बड़े भारतीय

सिवेट (वीवररा जिबेथा), कॉमन पाम सिवेट (पैराडोक्सुरस हेर्मप्रद्रितस), हिमालयी पाम सिविट (पगुमा लारवाटा), बिंटूरांग (आर्क्टिकटिस बिंटुरांग) और स्पॉटोड लिनशांग (प्रियोडनॉन पर्डिकोलर)। जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मणिपुर की तुलना में छोटे मांसाहारी की अधिक प्रजातियां हो सकती हैं।

### पूर्वोत्तर भारतः जैव विविधता का संकट

किसी भी स्थान की जैव विविधता वहां रहने वालों के जीवन को सहारा प्रदान करती है। जैव विविधता से हमें अनेक लाभ हैं। इन लाभों को उनका मूल्य कहते हैं, उदाहरणार्थ उपभोग सम्बंधी मूल्य जिसमें भोजन, ईंधन, दवा आते हैं उत्पाद सम्बंधी मूल्य, जिसमें वाणिज्यिक लाभ की बात होती है सामाजिक मूल्य जिसमें सामाजिक, धार्मिक, पारम्परिक उपयोगों की बात आती है नैतिक मूल्य जो सीधे सीधे जीवन से जुडा है सौंदर्यात्मक मूल्य, जो जैव विविधता के आकर्षण से सम्बंधित है तथा परिस्थितिकी पर्यटन का आधार है वैकल्पिक मूल्य, जो जैव विविधता के अबतक अज्ञात लाभ है जैसे भविष्य में किसी नई दवा की खोज इत्यादि; पारिस्थितिकी सेवायें, जिनमें जैव विविधता के पारिस्थितिकीय महत्व की बात होती है जैसे ओक्सीजन देना, हरित गृह प्रभाव को कम करना, प्रदूषण को रोकने में सहायता करना, मृदा अपदरन को रोकना, बाढ और सूखे से सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि।

इन सभी लाभों के बाद भी मानवीय गतिविधियां जैव विविधता के ऊपर संकट का कारण बन रही हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कारक हैं।

### आवास क्षय एवं विखंडीकरण

पूर्वोत्तर के लिये यह एक महत्वपूर्ण संकट है। इस क्षेत्र की प्रकृति के कारण, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास शेष भारत के मुकाबले बहुत धीमा रहा है। यह पर्यावरण-क्षेत्र पारंपरिक रूप से विकसित किया गया है; बड़े उद्योगों के स्थान पर यहां की अर्थव्यवस्था विशाल वन संसाधन, पारंपरिक कृषि और पर्यटन पर अधिक निर्भर है। पारम्परिक कृषि में झूम खेती की प्रधानता रही है जिसमें जंगलों के एक भाग को काट कर खेत बनाये जाते हैं और जब कुछ वर्षों में उस खेत की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है तो जंगल के दूसरे भाग को काट कर वहां खेती की जाती है, जिसके कारण जंगलों के क्षेत्र में कमी आ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 0.45 मिलियन परिवार हर वर्षों लगभग 10,000 वर्ग किमी जंगलों में खेती करते हैं, जबकि झूमिंग से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 44,000 वर्ग किमी माना जाता है। मानव आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, झूम चक्र पहले के 25-30 वर्ष से घटकर लगभग 4-5 वर्ष हो गया है और कुछ क्षेत्रों में इससे भी कम। इसने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के अवकर्षण (डिग्रेडेशन) की प्रक्रिया को त्वरित किया है। इसके अलावा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब इस क्षेत्र में भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन (कवर) में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। ये सामाजिक-आर्थिक बदलावों के साथ मिलकर प्राकृतिक निवास स्थान और प्रजातियों के जटिल असेंबलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार जहां देश के अधिकांश भागों में जंगलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुयी है वहीं पूर्वोत्तर के कई राज्यों में वन क्षेत्रफल में कमी आयी है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नगालैंड में जंगलों के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की गयी है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोई बदलाव नहीं आया है वहीं असम और मणिपुर में वृद्धि हुयी है।

**पूर्वोत्तर भारत के जीवों के बारे में अन्वेषण और शोध की कमी दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र की दूरी, मुश्किल इलाके और साथ ही इस क्षेत्र के कई हिस्सों में आसपास के लोगों द्वारा किए गए गंभीर शिकार दबावों से इस क्षेत्र के जीवों का अध्ययन कठिन हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहां 3,624 प्रकार के कीट-पतंगे, 236 प्रकार की मछलियां, 64 तरह के उभयचर, 137 किस्म के सरीसृप, 600 प्रकार के पक्षी तथा 160 किस्म के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। कई प्रजातियां अन्यत्र दुर्लभ हैं।**

### जनसंख्या विन्यास में आ रहे परिवर्तन

जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विन्यास में आ रहे परिवर्तनों के साथ क्षेत्र के आर्थिक विकास की मांग भी तीव्र हो रही है। इसके लिये आर्थिक अवसरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिये बुनियादी ढांचागत विकास के लिये कई कदम उठये गये हैं, इसके अतिरिक्त जलविद्युत, तेल और गैस अन्वेषण पिछले दो दशकों से तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिये रेलवे और सड़क नेटवर्क के साथ इस क्षेत्र को जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा है। रेलवे के विकास के साथ एक बड़ी समस्या है रात के दौरान रेलवे ट्रैक को पार करने वाले विभिन्न वन्यजीवों के साथ ट्रेनों का टकराना; और इसलिए इस संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र में ऐसी अवांछित घटनाओं से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्क होना जरूरी होगा। इस क्षेत्र में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए उठाये जा रहे कदम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और अत्यधिक संवेदनशील जंतु आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। अगर आर्थिक विकास का पहिया गीयर से बाहर निकलता है और संरक्षण की प्राथमिकताओं की पटरी से उतर जाता है तो इस क्षेत्र के पारिस्थितिक भविष्य के प्रभाव को काफी प्रभावित कर सकता है।

### अवैध शिकार

विश्व के अनेक देशों में जंतुओं के शरीर के विभिन्न हिस्सों की मांग रहती है जिसके लिये अवैध रूप से शिकार किया जाता है। वन्य जीव उत्पादों का व्यापार धन कमाने का एक आसान तरीका है, पूर्वोत्तर में भी ऐसी घटनायें अक्सर सामने आती हैं जैसे कि गैंडों का शिकार उनके सींग के लिये किया जाता है, हाथी दांत के लिये हाथियों का शिकार, खाल के लिये तेंदुये का शिकार (जिसके एक खाल की कीमत 10000 डॉलर हो सकती है) इत्यादि।

### मनुष्य वन्य जीव द्वंद्व

इसका प्रमुख कारण है मनुष्यों द्वारा वन्य जीव आवास एवं उनके पथों का अतिक्रमण। इस द्वंद्व में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है।

### मौसम में आ रहे परिवर्तन

जैव विविधता के ऊपर यह भी एक प्रमुख संकट है। मानवीय गतिविधियों के कारण हरित गृह प्रभाव में तीव्रता आती जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन के कारण प्राकृतिक विपदाओं की तीव्रता और

आवृति दोनों बढ़ रही है जैसे प्रति वर्ष बाढ़ के कारण काजीरंगा में बहुत से जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाता है। कई स्थानों पर मिट्टी खिसकने के कारण भी समस्यायें आती हैं तो शुष्क मौसम में जंगल में आग लगने की घटनायें बढ़ रही हैं।

### पूर्वोत्तर में जैव विविधता: संरक्षण

पूरे विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिये दो रणनीतियां अपनायी गयी हैं- स्वस्थाने (इन सीटू) तथा अपस्थाने (एक्स सीटू)। स्वस्थाने संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें दुर्लभ एवं संकटापन्न जातियों के साथ सामान्य जीवों के ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। यह एक सरल उपाय है जो पूर्वोत्तर के लिए उपयुक्त भी है। इसके अंतर्गत जीवमंडल क्षेत्र, उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, पवित्र वन क्षेत्र इत्यादि आते हैं। अकेले सिक्किम में 19 पवित्र वन क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में इन्हें गोम्पा कहते है जिनकी संख्या 101 है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के पवित्र क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर में कई जीव मंडल क्षेत्र हैं जिनमें से दो मानस (असम) तथा नोकरेक (मेघालय) को यूनेस्को की विश्व सूची में भी स्थान मिला है। इनके अतिरिक्त यहां कई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य भी है इसी के साथ कई ऐसे संरक्षित जंगल भी हैं जो मुख्य रूप से किसी जीव विशेष के लिये हैं जैसे बाघ आरक्षित क्षेत्र, गिब्बन अभयारण्य इत्यादि। कई ऐसे भी उद्यान हैं जो किसी विशेष प्रजाति के पौधों के लिये है जैसे सेशा आर्किड उद्यान, देश का एक मात्र खट्टे फलों का उद्यान इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर में जैव विविधता के संरक्षण के काफी प्रयास हुये हैं लेकिन वहां की विविधता और महत्व को देखते हुये कहा जा सकता है कि और प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही विकास की योजनाओं को पर्यावरण उन्मुख बनाना भी समय की जरूरत है। ❑

### संदर्भ:


- भारत 2017
- www.pib.nic.in
- www.tripurabiodiversityboard.in
- ENVIS Councils
- Assam Tourism
- State of Forest Report 2017
- www.moef.nic.in
- Annual Reports of Government Of India
- www.nbaindia.org (GoI)


## पूर्वोत्तर में उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए मंत्रीमंडलीय पहल

21 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ पूर्वोत्तर विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को स्वीकृति दे दी है। सरकार मार्च 2020 से पहले मूल्यांकन के बाद शेष अवधि के लिए आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराएगी। एनईआईडीएस अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गये प्रोत्साहनों का समुच्चय है।

### विवरण

सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना के जरिये मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार रोजगार सृजन के लिए इस योजना के माध्यम से विशिष्ट प्रोत्साहन दे रही है।

सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां जो भारत सरकार की अन्य योजनाओं के एक या उससे अधिक घटकों का लाभ ले रही हैं उनके लिए भी इस योजना के अन्य घटकों के लाभ के लिए विचार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाएंगे :

| | |
|---|---|
| ऋण तक प्रवेश के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) | प्रति इकाई प्रोत्साहन राशि पर 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ प्लांट और मनीशरी में निवेश का 30 प्रतिशत |
| केन्द्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई) | इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पांच वर्षों के लिए पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये कार्य पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत |
| केन्द्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई) | इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए भवन तथा प्लांट और मशीनरी की बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की अदायगी |
| वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) अदायगी | इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए सीजीएसटी तथा आईजीएसटी के केन्द्र सरकार के हिस्से तक अदायगी। |
| आयकर (आईटी) अदायगी | इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के वर्ष सहित पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के केंद्रीय हिस्से की अदायगी |
| परिवहन प्रोत्साहन (टीआई) | • तैयार उत्पादों को लाने-लेजाने के लिए रेलवे/रेलवे के सार्वजनिक प्रातिष्ठानों द्वारा उपलब्ध करायी गई वर्तमान सब्सिडी सहित परिवहन लागत का 20 प्रतिशत<br>• भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार माल आवाजाही के परिवहन लागत का 20 प्रतिशत<br>• देश के किसी भी हवाई अड्डे के निकट के उत्पादन स्थल से विमान से भेजे जाने वाले नष्ट होने वाले सामानों (आईएटीए द्वारा परिभाषित रूप में) की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत |
| रोजगार प्रोत्साहन (ईआई) | सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अभिदान का 3.67 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले नियोक्ता के 8.33 प्रतिशत अभिदान के अतिरिक्त है। |

प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये होगी।

नई योजना पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करेगी और रोजगार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।

# पूरे भारत में सबसे सफल शिक्षक
# अमित कुमार सिंह के मार्गदर्शन में

**सिविल सेवा परीक्षा 2016 में संस्थान से कुल 70 चयन**

***IGNITED MINDS*** एवं **भारतम्** **IAS** गाइडेंस प्रोग्राम के तत्वाधान में –

## सामान्य अध्ययन

**नया बैच प्रारम्भ निःशुल्क परिचर्चा के साथ**

| Allahabad Center | Delhi Center | Coming Soon in Kanpur also. |
|---|---|---|
| 10 June at 11:30 AM | 13 June at 11:00 AM | |

**Our Faculty**

**Aditya Patel** (Selected UPSC 2016) | **Shailendra P. Singh** (Selected UPSC 2016) | **Sandeep Kumar** (Selected UPSC 2016) **& Our Team**

**भारतम् IAS गाइडेंस प्रोग्राम,** सिविल सेवा में सफल हो चुके अभ्यार्थियों द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स **IAS** के साथ मिलकर हिन्दी माध्यम में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बहुत कम शुल्क में सिविल सेवा की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी के लिए एक पहल है।

**New Batch Starts**

## PHILOSOPHY
**14 June at 3:30 pm**

## Ethics (GS -IV)
**14 June at 6:30 pm**

**समकालीन दर्शन के साथ बैच प्रारम्भ**
**10 April**
**03:30 pm**

**5 दिवसीय केस स्टडी**
**15 April**
**06:30 pm**

**Test Series Available**

**उपरोक्त कार्यक्रम दिल्ली सेन्टर**

# IGNITED MINDS
*A Premier Institute for IAS/PCS*

| DELHI CENTER (HQ) | KANPUR CENTER | ALLAHABAD CENTER |
|---|---|---|
| A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Mukherjee Nagar, Delhi-110009<br>011-27654704, 9643760414, 8744082373 | COMING SOON | H-1, 1st Floor, Ram Mohan Plaza, Madho Kunj, Katra<br>9389376518, 9793022444, 0532-2642251 |

***Visit us: www.ignitedmindscs.com***

YH-650/11/2017

# विकास के लिए आधारभूत ढांचा

राजू सजवान

**पूर्वोत्तर परिषद ने राज्यों में 10 हजार 500 किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सड़कों के साथ-साथ जगह-जगह पुल भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम डोईमुख से हरमूट, टूरा से मनकाचार, वोखा-मेरापानी-गोलाघाट में लगभग 85 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन पर लगभग 213.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश वैसे तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य में सड़कों की संख्या बहुत कम है**

किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए आधारभूत ढांचे की मजबूती को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे जहां देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, वहीं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। ढांचागत विकास की बदौलत ही विकसित देश निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ राज्य विकास की इस दौड़ में कुछ पिछड़ गए हैं। खासकर पर्वतीय राज्यों में अपेक्षा के मुताबिक विकास नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार सहित उन राज्यों की सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास पर तेजी से काम शुरू किया है। इनमें पूर्वोत्तर के वे राज्य भी शामिल हैं, जो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले भौगोलिक दृष्टि से अलग हैं और देश की राजधानी से दूर होने के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़े रहे।

अब इन पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत ढांचागत विकास को लेकर सरकारों की ओर से पहल शुरू हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यही वजह है कि ये राज्य, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। सरकारें भी चाहती हैं कि इन राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देकर यहां की अर्थव्यवस्था और मूल निवासियों के जीवन स्तर को सुधारा जाए। इसके लिए सरकारें यहां आधारभूत ढांचागत विकास पर पूरा ध्यान दे रही हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के संपूर्ण विकास के लिए 1970 के दशक में पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्थापना की गई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से यह महसूस किया जा रहा था कि इस परिषद के कामकाज में तेजी लाने के लिए कुछ परिवर्तन किए जाएं। केंद्र सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से बनाए गए गए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। मंत्रालय ने इस परिषद यानी एनईसी को दोबारा कारगर बनाने के लिए उसका एक नया स्वरूप तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि उसे पूरे पूर्वोत्तर की उन्नति के लिए पूर्व एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। मंत्रालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।

पूर्वोत्तर भारत में परिवहन, बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास पर कार्यकारी समूह ने जून, 2012 में गठित राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर काम शुरू करेंगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। समिति की सिफारिशों में, विशेष रूप से म्यांमार के साथ परिवहन संपर्क बढ़ाना, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हब्स एवं स्पोक मॉडल केन्द्रों की स्थापना, निर्माण और रखरखाव के लिए कौशल का विकास और सड़क अनुबंधों

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और एक बिजनेस न्यूज वेबपोर्टल में कार्यरत हैं। इससे पहले वह कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। वह आधारभूत ढांचागत विकास और आर्थिक मुद्दों की अच्छी समझ रखते हैं। ईमेल: rajusajwanhh@gmail.com

# पूर्वोत्तर के विकास के लिए नीति फोरम

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की घोषणा की है। फोरम की सह-अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करेंगे। फोरम का सचिवालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में होगा। फोरम विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों की पहचान करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज एवं सतत विकास के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करेगा। वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास स्थिति का जायजा भी लेगा।

फोरम के सदस्यों में सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे। इनके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों असम, सिक्किम, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य सचिव भी फोरम के सदस्य होंगे। पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग के सचिव फोरम में सदस्य सचिव होंगे। फोरम में गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर) सहित विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों को भी सदस्य बनाया जाएगा। ❑

में आवधिक रखरखाव के प्रावधानों को शामिल करना, जलमार्गों का उत्कृष्ट उपयोग और बहु-मॉडल केंद्रों का विकास करना शामिल है।

### सड़क

किसी भी क्षेत्र के विकास का आइना सड़कें होती हैं। मतलब, सड़क देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? यही वजह है कि केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने क्षेत्र आधारित सड़क विकास योजना 'पूर्वोत्तर सड़क विकास योजना' (एनईआरएसडीएस) बनाई। जिसका मकसद ऐसी सड़कों के रखरखाव, निर्माण और उन्नयन करना है, जो दो राज्यों के बीच सड़कों को जोड़ने वाली होने के कारण उपेक्षित रह गई, 'बिना स्वामित्व वाली' रहीं और उन्हें 'अनाथ सड़कें' कहा जाने लगा।

पूर्वोत्तर परिषद ने राज्यों में 10 हजार 500 किलोमीटर सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इसमें सड़कों के साथ-साथ जगह-जगह पुल भी बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम डोईमुख से हरमूट, टूरा से मनकाचार, वोखा-मेरापानी-गोलाघाट में लगभग 85 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन पर लगभग 213.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

अरुणाचल प्रदेश वैसे तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य में सड़कों की संख्या बहुत कम है। इसलिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग परियोजना पर काम कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान चलाकर 2319 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा अरुणाचल फ्रंटियर हाइवे एवं ईस्ट वेस्ट कोरिडोर बनाने की भी योजना है।

### एयरपोर्ट

पूर्वोत्तर परिषद (जिसमें पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के गर्वनर और मुख्यमंत्री सदस्य हैं) ने इन राज्यों में 12 ऑपरेशन एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। जबकि सिक्किम में एक नया एयरपोर्ट बनाने की योजना है, जिस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एयरपोर्ट देश में पांच सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक होगा। जबकि गंगटोक में बना एयरपोर्ट अगले साल शुरू हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष में तेजू एयरपोर्ट भी बन कर तैयार हो जाएगा, जिसमें नजदीकी जिले दिबांग वैली, अंजवा, नमसाई और लोअर डिबांग वैली लाभान्वित होंगे।

**पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के पीछे सरकार की मंशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, जो दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम को आपस में जोड़ता है। ढोला साढिया पुल का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था और मई 2017 में इसका निर्माण पूरा हुआ।**

### रेलवे

पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सेवाएं उपलब्ध कराना आसान काम नहीं रहा है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय द्वारा इस साल लगभग 48 हजार करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इस राशि से नई रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा जहां रेलवे की एक लाइन है, वहां लाइनें डबल की जा रही हैं। क्षेत्र में रेल लाइनों के विद्युतीकरण पर खास फोकस किया गया है। इससे रेल सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है। मणिपुर के इंफाल में 2020 तक रेल ट्रेक बनकर तैयार हो जाएंगे। मेघालय में रेल लाइनों के लिए जमीन के अधिग्रहण की तैयारी है। कोहिमा में भी रेलवे ने लगभग 17 किलोमीटर जमीन का अधिग्रहण किया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन द्वारा 51 किलोमीटर लंबी रेल लिंक बनाई जा रही है, जो अगले साल से चालू हो जाएगी। इसमें 23 सुरंग, 36 बड़े पुल और 147 छोटे पुल शामिल हैं। रेलवे 2020 तक ऐसी रेल लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है, जो सभी आठ राज्यों की राजधानी को आपस में लिंक करेगी। इसे एक बड़ी योजना माना जा रहा है।

### बिजली

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2350 मेगावाट बिजली की जरूरत है। रिपोर्ट बताती है कि इन राज्यों में औसतन 1 फीसदी बिजली कटौती हो रही है। राज्य में लगभग 930

मेगावाट बिजली हाइड्रो और 1770 मेगावाट बिजली थर्मल की क्षमता है। इन परियोजनाओं को अपनी क्षमता के मुताबिक उत्पादन नहीं करने के कारण राज्यों में बिजली कटौती हो रही है। केंद्र द्वारा बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें राज्यों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जैसे केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत इन राज्यों में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

पूर्वोत्तर परिषद ने अब तक 7 हाइड्रो और थर्मल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 694.50 मेगावाट है। जिससे इन राज्यों को बिजली मिलती है। अब पूर्वोत्तर परिषद भी ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

पहाड़ी राज्यों में बिजली वितरण के लिए लाइनें बिछाना बेहद दुरुह काम माना जाता है। इसे समझते हुए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

## जल मार्ग

केंद्र सरकार ने देश में रेल, वायु और सड़क परिवहन के साथ-साथ जल परिवहन को भी बहुत महत्व दिया है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर देश की प्रमुख नदियों पर राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण कर रही है। इसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। दो राष्ट्रीय जल मार्ग पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग-दो ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। दिसंबर 2017 में असम में सीमेंट कार्गो परिवहन का उद्घाटन किया गया।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के माध्यम से पण्डु से ढुबरी तक कार्गो परिवहन से प्रतिचक्र सड़क परिवहन के 1,50,000 टन किलोमीटर की और माल की लागत कम करने में 300 किलोमीटर सड़क यात्रा की बचत होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि एक हॉर्स पावर द्वारा सड़क से 150 किलोग्राम और रेल से 500 किलोग्राम ढुलाई हो सकती है जबकि जल मार्ग से 4000 किलोग्राम माल ढ़ोया जा सकता है। 1 लीटर ईंधन से सड़क से 24 टन प्रति किलोमीटर, रेल से 85 टन किलोमीटर तथा जलमार्ग से 105 टन प्रति किलोमाटर माल ढोया जा सकता है।

अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण पंडु से ढुबरी/हत्ससिंमीरी तक जलमार्ग परिवहन शुल्क के रूप में केवल 318 रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क लेगा। इससे उद्यमियों और माल परिवहन ऑपरेटर को प्रोत्साहन मिलेगा और वे लागत प्रभावी तथा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन को अपनाएंगे। इससे सड़कों पर लगने वाला जाम भी कम हो जाएगा। प्राधिकरण बड़ी सीमेंट फर्मों जैसे डालमिया, स्टार और अमृत के साथ निरंतर संपर्क में है और वे जलमार्ग से कार्गो परिवहन में रुचि ले रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि अन्य कार्गो मालिक भी जलमार्ग से माल परिवहन को अपनाएं। इससे माल ढुलाई की लागत में काफी कमी आएगी और अधिक व्यवसाय एवं रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे।

**पूर्वोत्तर परिषद ने अब तक 7 हाइड्रो और थर्मल प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 694.50 मेगावाट है। जिससे इन राज्यों को बिजली मिलती है। अब पूर्वोत्तर परिषद भी ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। पहाड़ी राज्यों में बिजली वितरण के लिए लाइनें बिछाना बेहद दुरुह काम माना जाता है। इसे समझते हुए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है।**

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों में में अधिसूचित 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों में से 19 जलमार्ग पूर्वोतर क्षेत्र में हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग -16 (नदी बराक), राष्ट्रीय जलमार्ग-95 (नदी सुबनसिरी), राष्ट्रीय जलमार्ग -39 (नदी गणोल), राष्ट्रीय जलमार्ग -93 (नदी सिमसंग), राष्ट्रीय जलमार्ग -101 (नदी तिजू और जुंग्की), राष्ट्रीय जलमार्ग -31 (धनसिरी), राष्ट्रीय जलमार्ग -62 (नदी लोहित), राष्ट्रीय जलमार्ग -106 (नदी उमगोट), राष्ट्रीय जलमार्ग-18 (बेकी नदी) प्रमुख हैं।

## एशिया का सबसे बड़ा पुल

पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचना को विकसित करने के पीछे सरकार की मंशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है, जो दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम को आपस में जोड़ता है। ढोला साढिया पुल का निर्माण वर्ष 2011 में शुरू हुआ था और मई 2017 में इसका निर्माण पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया। लोहित नदी पर बने इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह पुल ऐसे स्थान पर बना है, जहां 6 नदियां मिलती हैं, जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह पुल बेहद महत्व रखता है। दावा किया गया है कि इस पुल से 60 टन वजन का टैंक गुजर सकता है।

## भारत संचार नेट

किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए सूचना तंत्र का मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने देश के सभी ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना तैयार की है। परियोजना के पहले चरण में भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। दूसरे चरण के अंतर्गत शेष 1.5 लाख ग्राम पंचायतों में भूमिगत फाइबर, बिजली की तारों के ऊपर फाइबर, रेडियो और सेटलाइट मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कनेक्टीविटी प्रदान की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी यह योजना बेहद महत्व रखती है। असम में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत नेट परियोजना के पहले चरण का काम किया जा रहा है, जबकि बाकी राज्यों में रेलटेल द्वारा यह काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक असम में 133, अरुणाचल में 82, नगालैंड में 62, मणिपुर में 508, मिजोरम में 45, त्रिपुरा में 79, मेघालय में 30 गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। ❑

## संदर्भ


- http://www.bbnl.nic.in/index1.aspx?lsid=576&lev=2&lid=470&langid=1
- http://www.bbnl.nic.in/index1.aspx?lsid=576&lev=2&lid=470&langid=1

MIT-SOG MIT School of Government
*Kindling the flame of Democratic Leadership...*

MAEER's

# MIT SCHOOL OF GOVERNMENT | PUNE | INDIA

Estd.: Sept. 2005

MIT-WPU

India's 1st ever **LEADERSHIP PROGRAM** for a **CAREER** in **POLITICS**

Founder & Initiator: Rahul V. Karad

One-year full time residential

## Master's Program In Government

MPG- 14, 2018-2019



**ADMISSIONS OPEN : BATCH -14 COMMENCES August 1, 2018**

**COURSE SYLLABUS:**

- Political Marketing and Branding
- Political Economy
- Public Policy
- Global Politics
- Law, Public Administration & Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling

**CAREER PROSPECTS**

Along with Contesting Elections other Career Prospects are -

- Research / Policy Associate
- Political Analyst
- Political Strategist
- Political Consultant
- Election Managers
- Campaign Managers
- Social Media Managers
- Constituency Managers

**ELIGIBILITY:**

Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-14.

Contact: 9850897039 / 91460 38942
admissions@mitsog.org
Apply online at www.mitsog.org
MIT Campus, Paud Road, Kothrud, Pune - 411 038

Supported by UNESCO
In Academic Alliance with TISS Tata Institute of Social Sciences

MIT-CST KINDLING THE FLAME OF ETHICAL ADMINISTRATION

# MIT - CIVIL SERVICES TRAINING INSTITUTE | PUNE

Sr. No. 124, Paud Road, Kothrud, Pune 411 038

**MIT CST is the best training institute for the aspirants appearing for the examinations of UPSC**

**Opportunity of compressive coaching to induct into Civil services for the post like District Magistrate (IAS), Police Superintendent (IPS), and Others**

# UPSC Batches starts from 15th July 2018

**UPSC 1 Year Batch** | **Prepare UPSC during graduation itself –UPSC Two Year Special Batch**

- Experienced Teaching faculty
- Conducive Study Environment and Infrastructure
- Free Guest Lecture of Bureaucrats
- Seminars & Mock Interview
- Mentoring by IAS Rank Holders
- Regular Test series
- Separate Batches for Optional Subjects
- 24 X 7 Reading Room
- Excellent infrastructure
- Comprehensive Library

**Address:**
**MIT-CST**
**Sr. No. 124 ,Paud Road, Kothrud Pune 411038**
**www.mitcst.com**

**Contact : 7774023698 / 7774023699**

YH-801/2017

# मुख्यधारा की ओर अग्रसर पूर्वोत्तर

एस जे चिरु

1980 के दशक तक, पूर्वोत्तर से आने वालों में ज्यादातर छात्र होते थे, जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा पाने की गरज से यहां आया करते थे। इनमें से अधिकांश पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मूल राज्यों में लौट जाते। बाद में, इस स्थिति में बदलाव आया। अब पूर्वोत्तर से जो लोग आ रहे हैं उनमें काम के अवसर या नौकरी की तलाश में आने वालों की अच्छी खासी तादाद है। वे देश में कहीं भी जहां उनको रोजगार की गुंजाइश मिल रही है वहीं आकर बस रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से आप्रवासन की यह रफ्तार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्रांति के साथ विशेष रूप से तेज हुई

पूर्वोत्तर को हम मुख्यधारा में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाबत यह वह सवाल है जो आम तौर पर पूछा जाता रहा है। नीति निर्माता, कानून प्रवर्तन अधिकारी, पत्रकार और विद्वतजन अक्सर यह सवाल करते हैं। इस क्षेत्र विशेष को लेकर अनेक पूर्व धारणाएं हैं और इनके अनेक गूणार्थ हैं। यह इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत से पूर्वोत्तर के निवासियों को इस तरह से उनको लेकर सवाल किया जाना अच्छा नहीं लगता है। वे इसे लेकर काफी संवेदनशील हैं और इसे अपनी अस्मिता पर आक्षेप मानते हैं। कई बार, इस सवाल ने मुझे भी उलझन में डाला है, 'मुख्यधारा' के तात्पर्य के बारे में मेरी समझ को चुनौती दी है।

भारत विविध कलाओं, संस्कृतियों, जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि से युक्त एक बहुरंगी केलिडोस्कोप की तरह है। इस अर्थ में यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर का यह संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। दक्षिण भारत, सौराष्ट्र, पंजाब या ओडिशा की तरह ही यहां की भी अपनी खासियत है और तमाम भिन्नताओं के साथ यह भारत का एक अंग है। इसलिए पूर्वोत्तर को देश की 'मुख्यधारा' में सम्मिलित किए जाने जैसी कोई समस्या नहीं है। तब भी, इस क्षेत्र को राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित किए जाने की जरूरत आम प्रचलित धारणा है और इसको समझना और इसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

## मुख्यधारा का अभिप्राय

राष्ट्र की मुख्यधारा का अभिप्राय क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र को यदि राष्ट्र की मुख्यधारा के बाहर माना जाता है तो इसकी क्या वजह है? हमारे संविधान में भारत को एक राष्ट्र माना गया है। राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित इस विचार के अनुसार संविधान में राजनीतिक सिद्धांत, शासन का ढांचा,सरकार के शक्तियां एवं दायित्व, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व अंतर्निहित हैं, इनके आधार पर ही हम स्वशासन और प्रगतिरत हैं। संविधान में राजनीतिक एकीकरण, सामाजिक-आर्थिक विकास, नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके कर्त्तव्य आदि के साथ अभिष्ट लक्ष्य और आकांक्षाएं सन्निहित हैं। इस अर्थ में मुख्यधारा की अवधारणा का अभिप्राय है इन स्थापित मानदंडों और आदर्शों को क्षेत्र विशेष और राज्य विशेष में किस हद तक लागू किया जा सका है और कहां तक इन लक्ष्यों और आकांक्षाओं को हासिल किया गया है।

इस व्याख्या के अनुसार, हम मान सकते हैं कि भारत का हरेक राज्य और क्षेत्र तमाम भिन्नताओं-विविधताओं और विकास के असमान स्तर के बावजूद, भारतीय मुख्यधारा में सम्मिलित है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत को ही लें। इस क्षेत्र में साक्षरता की दर देश के अन्य कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है। इस अर्थ में उसे देश की मुख्यधारा में सम्मिलित कहा जा सकता है, जबकि सड़क और रेल संपर्क व्यवस्था, बिजली, औद्योगिक विकास जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं आदि के मामलों में यह क्षेत्र देश के अन्य भागों की तुलना में पिछड़ा और अलग-थलग बताया जा सकता है। सामाजिक-राजनीतिक फलक पर भी उत्तर भारत के लोग देश के अन्य भागों की तुलना में पृथक माने जाते हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर

लेखक तमिलनाडु सरकार के कृषि विपणन व कृषि कारोबार में आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ईमेल: sjchiru@gmail.com

**सितंबर 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक 19 वर्षीय छात्र, नीडो तानिया की हत्या, एक ऐसी घटना बन गई जिसके बाद परिस्थिति में निर्णायक मोड़ आ गया। इस घटना के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। भारत सरकार ने बेज़बारुआ समिति नामक एक कमेटी का गठन किया। इस समिति का काम पूर्वोत्तर राज्यों से आकर देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं को समझना समुचित उपचारात्मक उपायों के बारे में सरकार को सुझाव देना है।**

के सभी राज्यों में उग्रवाद या आंतरिक विद्रोह की स्थितियां हैं, पूर्वोत्तर में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वह उग्रवाद या अलगाववादियों से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। इस सबके बावजूद, तथ्य यह भी है कि पूर्वोत्तर की अधिकांश जनता, यहां के लोग देश के सक्रिय एवं गौरवशाली नागरिक हैं। उनके उस आत्मगौरव पर आक्षेप या उसपर सवाल उठाने का परिणाम अलगाव को ही बढ़ावा देगा।

एक तथ्य यह भी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी तादाद में प्रवजन का सिलसिला चल रहा है। वहां से लोग बड़ी तादाद में देश के विभिन्न स्थानों पर आकर बस रहे हैं। प्रवासन के इस घटनाक्रम को समझना और देश के अन्य हिस्सों में बसने और घुलने-मिलने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना इस समस्या का महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे यह जाना जा सकता है कि वे कौन से मुद्दे हैं जो यहां बाधक बन रहे हैं।

## आप्रवासन

पिछले तीन दशकों में पूर्वोत्तर के निवासियों के देश के विभिन्न हिस्सों में आना और यहां बसने का सिलसिला विशेष रूप से तेज हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश में आए हैं। इस क्रम में जहां एक ओर पूर्वोत्तर के निवासियों का स्थानीय लोगों के साथ संपर्क, बातचीत, परस्पर एक दूसरे को समझने का सिलसिला विकसित हुआ है वहीं इस प्रक्रिया में अनेक समस्याएं भी सामने आई हैं।

1980 के दशक तक, पूर्वोत्तर से आने वालों में ज्यादातर छात्र होते थे, जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा पाने की गरज से यहां आया करते थे। इनमें से अधिकांश पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मूल राज्यों में लौट जाते। बाद में, इस स्थिति में बदलाव आया। अब पूर्वोत्तर से जो लोग आ रहे हैं उनमें काम के अवसर या नौकरी की तलाश में आने वालों की अच्छी खासी तादाद है। वे देश में कहीं भी जहां उनको रोजगार की गुंजाइश मिल रही है वहीं आकर बस रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से आप्रवासन की यह रफ्तार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्रांति के साथ विशेष रूप से तेज हुई। आईटी उद्यमों के विकास के साथ कॉल सेंटर विकसित हुए जिनके माध्यम से अंग्रेजी बोलने-समझने वाले युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हुए। इस मांग ने पूर्वोत्तर के युवाओं को अवसर दिया, क्योंकि उनका अंग्रेजी भाषा का स्तर और आईटी का ज्ञान इसके लिए उपयुक्त था। रोजगार के बाजार का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। इस तरह काम के नए अवसर विकसित होते गए। इस प्रकार देश के विभिन्न स्थानों पर उनके आ बसने का क्रम बढ़ता गया। आज एयर होस्टेस, फ्रंट डेस्क सहायक, सेल्समेन या बिक्री के लिए काउंटर संभालने का काम, स्पा और होटल आदि में अनेक क्षेत्र हैं जहां पूर्वोत्तर के युवा अच्छी-खासी तादाद में काम कर रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे सभी बड़े शहरों के बाद अब वे देश के विभिन्न छोटे शहरों-कस्बों में भी आ रहे हैं। दक्षिण भारत में निर्माण स्थलों, चाय बागानों और वृक्षारोपण आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर के राज्यों के निवासियों का आना और उन्हें वहां काम करते हुए देखा जा सकता है।

यह सही है कि देश के विशाल आकार और विशाल जनसंख्या के अनुपात में, पूर्वोत्तर से आने वाले प्रवासियों की संख्या ऐसी कुछ खास नहीं है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में, जहां वे अच्छी तादाद में आ बसे हैं; सामाजिक संतुलन और घटित चंद घटनाओं के माध्यम से प्रवासन के इस प्रभाव को महसूस किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर से हो रहे इस पलायन का कारणों पर शुक्ला समिति की रिपोर्ट उल्लेखनीय है। इसमें चार प्रमुख कारण बताए गए हैं। एक 'मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा न हो पाना, दूसरा बुनियादी ढांचे का अभाव, तीसरा संसाधनों की कमी और सबसे महत्वपूर्ण है देश के शेष हिस्सों के साथ दो-तरफा समझ का अभाव। ये वे समस्याए हैं, जिसके साथ अन्य तमाम विषय जुड़े हुए हैं। शुक्ला कमेटी का यह निष्कर्ष बहुत कुछ स्पष्ट है और समस्या के विश्लेषण के लिए आधार प्रदान करता है।

पहले की तीन समस्याएं और उनके एक दूसरे पर प्रभाव के कारण पूर्वोत्तर की समाजिक-आर्थिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल हो गई हैं। इनसे वहां प्रवासन को बढ़ावा मिला है। लोगों को उत्तर पूर्व से बाहर जाने की एक बड़ी वजह वहां गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक ढांचे का अभाव है। इसके कारण माता-पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा, उग्रवाद और सामाजिक-राजनीतिक अशांति भी बड़ी वजह है। अशांति ने वहां के संपूर्ण वातावरण को दूषित किया हुआ है।

दूसरी ओर, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर लंबे समय से उच्च शिक्षा के लिए पूर्वोत्तर के लोगों के पसींदादा स्थान रहे हैं। सरकारी सेवाओं, बैंक, वकालत और उच्च अकादमिक सेवाओं के लिए उत्सुक अभ्यार्थियों के लिए इन शहरों में शैक्षणिक अवसर काफी मददगार सिद्ध हुए हैं।

## आप्रवासन की जिंदगी

पूर्वोत्तर से आने वाले छात्रों और नौकरी व रोजगार की तलाश में आने वालों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ने लगी, इसकी गति तेज हुई है वैसे-वैसे कॉलेज परिसरों, कॉल सेंटर,

**भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग विभाग बनाया है और उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन कर पूर्वोत्तर के विकास संबंधी मुद्दों पर ठोस प्रयास किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार वर्तमान में मुख्य तौर पर सड़कों, रेल, और अंतर्देशीय जलमार्गों और हवाई संपर्क और संचार नेटवर्क के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने का प्रयास कर रही है।**

**एक तथ्य यह भी है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी तादाद में प्रवजन का सिलसिला चल रहा है। वहां से लोग बड़ी तादाद में देश के विभिन्न स्थानों पर आकर बस रहे हैं। प्रवासन के इस घटनाक्रम को समझना और देश के अन्य हिस्सों में बसने और घुलने-मिलने में आने वाली कठिनाइयों का अध्ययन करना इस समस्या का महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे यह जाना जा सकता है कि वे कौन से मुद्दे हैं जो यहां बाधक बन रहे हैं।**

मॉल, स्टार होटल, स्पा और उन जगहों पर जहां वे रहते हैं, उनकी मौजूदगी अधिकाधिक नजर आने लगी है। परंतु यह सब इतना सहज और आसान नहीं रहा है। उत्तर पूर्व से आने वाले युवकों को बड़े शहर में सामंजस्य बैठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां आने वाले अधिकांश छात्र-युवक छोटे-छोटे गांवों और कस्बों में पले-बड़े हुए हैं, जहां एक सीमित सामुदायिक जीवन होता है। अचानक, वह अपने को एकदम अलग माहौल और भिन्न जीवन शैली में पाता है। ऐसे में वे बेगानापन एवं परायापन महसूस करते हैं और अपने समान पृष्ठभूमि के लोगों को ढूंढने में अक्सर खुद को अलग-थलग कर आत्मकेंद्रित घेरे में समेट लेते हैं। अलग शारीरिक रूपरेखा और सामाजिक आचरण आदि के कारण भी वे अलग से पहचाने जाते हैं, उनके प्रति भेदभाव किया जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे कुछ शहरों में दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, बलात्कार, नस्लीय हमले और हत्या के मामले तेजी के साथ घटित हुए हैं। पूर्वोत्तर से मानव तस्करी की रिपोर्टें भी चिंताजनक हैं। इन हालातों में 'पारस्परिक समझदारी का अभाव' कम होने की जगह बढ़ा है।

## कमजोर प्रवासियों की सुरक्षा

सितंबर 2014 में दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के एक 19 वर्षीय छात्र, नीडो तानिया की हत्या, एक ऐसी घटना बन गई जिसके बाद परिस्थिति में निर्णायक मोड़ आ गया। इस घटना के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारों ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना। भारत सरकार ने बेज़बारुआ समिति नामक एक कमेटी का गठन किया। इस समिति का काम पूर्वोत्तर राज्यों से आकर देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं को समझना समुचित उपचारात्मक उपायों के बारे में सरकार को सुझाव देना है।

हालांकि कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि निडो और उसकी तरह अन्य पीड़ित लोगों के मामले पर सरकार का ध्यान जब तक गया तब तक देर हो चुकी थी। परंतु इसके बाद सरकार ने जो यह समिति गठित की उसे समस्या को व्यापक फलक पर देखने-समझने और सरकार के समक्ष उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने में में मदद मिली है। देश भर के कई शहरों में समिति की सिफारिशों के आधार पर कल्याण समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां संचार माध्यम के रूप में काम कर रही हैं। पूर्वोत्तर के प्रवासियों से संबंधित मुद्दों से समाधान के लिए ये समितियां स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करती हैं। समिति की सिफारिशों का पूरी तरह से लागू करना और जिन समस्याओं का पूर्वोत्तर के प्रवासी सामना कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से समाधान करने में काफी वक्त लगेगा। सुरक्षात्मक उपाय और तंत्र के माध्यम से ही पूर्वोत्तर के प्रवासियों के खिलाफ अपराध पूरी तरह से बंद हो पाना भले ही मुमकिन न हो परंतु कानून का उल्लंघन करने वालों के विरोध में यह निवारक के रूप में अवश्य कारगर उपाय है।

दूसरे, इससे संबंधित मुद्दों पर जागरुकता उत्पन्न होगी और दोनों पक्षों में आपसी समझदारी विकसित करने और इसमें जो बाधाएं हैं उन्हें कम करने के लिए जो प्रयास जरूरी है उस दिशा में प्रगति होगी। अगर पर्याप्त सुरक्षात्मक वातावरण में संस्थागत रूप से सामूहिक रूप से परस्पर संपर्क और मेल-मिलाप बढ़ता है तो यह आपसी दूरी कम करने में सहायक हो सकता है। कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर खास सावधानी और सतर्कता बरतना भी जरूरी है, क्योंकि इसपर अधिक जोर देने से मौजूदा मतभेद और अधिक बढ़ भी सकते हैं। मकसद यह होना चाहिए कि विवाद उभर कर जटिल रूप लें और कानून और व्यवस्था का सवाल बन जाएं, इससे पहले ही आपसी प्रयास और समझाइश से समाधान हो जाए। इसमें सामाजिक संगठनों और दोनों पक्षों से ऐसे लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जो इसमें सहायक हों।सरकारी मशीनरी और कानून प्रवर्तन एजेंसियां कमजोर कड़ी के रूप में ही हैं, वे मददगार अवश्य हो सकती हैं। मकसद यह होना चाहिए कि ऐसा सामाजिक वातावरण विकसित किया जाए, जिसमें प्रवासियों के खिलाफ किसी प्रकार का भी भेदभाव न हो।

पूर्वोत्तर राज्यों से प्रवासन का यह क्रम भविष्य में आगे भी जारी रहने की संभावना है। बीज़बरुआ कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पारस्परिक सम्मान और समझ विकसित कर सुरक्षित सामाजिक वातावरण विकसित करने में सहायक होगा। यह भावी पीढ़ियों के बेहतर आधार विकसित करेगा।

## भावी पथ

भारतीय अर्थव्यवस्था में 25 वर्ष या उससे अधिक समय के भीतर अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। आर्थिक अवसरों में प्रगति और विकास की इस कहानी में देश के सभी भाग सम्मिलित हो रहे हैं। यह क्रम जारी रहेगा। इस परिदृश्य में, पूर्वोत्तर के युवाओं का देश के दूसरे हिस्सों में उत्प्रवास एक अच्छा संकेत है। यह इस क्षेत्र के विकास में सहायक भी है।

तब, आप्रवासन की इस कहानी के कुछ चिंताजनक पहलू भी हैं। गुणवत्ता युक्त मलभूत शैक्षणिक ढांचे का अभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, राज्य में संसाधनों का अभाव, नए आर्थिक अवसर विकसित नहीं हो पाना, उग्रवाद, भ्रष्ट और अक्षम प्रशासन जैसे कारकों के कारण इस क्षेत्र का विकास

**इस प्रकार देश के विभिन्न स्थानों पर उनके आ बसने का क्रम बढ़ता गया। आज एयर होस्टेस, फ्रंट डेस्क सहायक, सेल्समेन या बिक्री के लिए काउंटर संभालने का काम, स्पा और होटल आदि में अनेक क्षेत्र हैं जहां पूर्वोत्तर के युवा अच्छी-खासी तादाद में काम कर रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई जैसे सभी बड़े शहरों के बाद अब वे देश के विभिन्न छोटे शहरों-कस्बों में भी आ रहे हैं। दक्षिण भारत में निर्माण स्थलों, चाय बागानों और वृक्षारोपण आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी पूर्वोत्तर के राज्यों के निवासियों का आना और उन्हें वहां काम करते हुए देखा जा सकता है।**

अवरुद्ध है। ऐसी स्थितियां किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं होती हैं। यदि अधिकांश छात्र अच्छे शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र की कमी और शैक्षणिक उत्कृष्टता की खातिर बाहर उच्चतर अध्ययन प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़ कर बाहर बस जाना चाहते हैं तो यह शुभ लक्षण नहीं हैं। पूर्वोत्तर में शिलांग महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र रहा है। आज यह दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों के सम्मुख अपना महत्व गवांता जा रहा है। इन बड़े शहरों में रहने में खर्च बहुत अधिक आता है, जिसके कारण शिक्षा महंगी हो रही है। पर्यटन, आईटी सक्षम क्षेत्र सेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण पूर्वोत्तर से मानव संसाधन का दोहन और वहां से प्रतिभा का पलायन हो रहा है। विषम प्रवास का यह प्रारूप खींच-तान, असंतुलन को जाहिर करता है और इससे पता चलता है कि इस सबके लिए इस क्षेत्र को विकास के अवसरों की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है।

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग विभाग बनाया है और उत्तर-पूर्वी परिषद का गठन कर पूर्वोत्तर के विकास संबंधी मुद्दों पर ठोस प्रयास किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार वर्तमान में मुख्य तौर पर सड़कों, रेल, और अंतर्देशीय जलमार्गों और हवाई संपर्क और संचार नेटवर्क के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार यहां सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यमों के विकास, उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' से इस क्षेत्र के विकास को अग्रगति मिली है। इसके कारण इस क्षेत्र के विकास का पूरा नजारा परिवर्तित होने की संभावना है, बशर्ते पूर्वोत्तर विकास केंद्र बनाया जाए यह विकास में पूरी तरह से भागीदार हो न कि देश के दूसरे हिस्सों के साथ से व्यापार व वाणिज्य के आवगमन का माध्यम मात्र बन रह जाए।

बहरहाल, विभिन्न माध्यमों से पूर्वोत्तर भारत पर नए सिरे से केंद्रित करने की इस पहल की कामयाबी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन से ही तय होगी।

प्रधान मंत्री के शब्दों में, "भारत तब ही आगे बढ़ेगा जब इसके सभी क्षेत्र आगे बढ़ेंगे, मैं इसकी कोई वजह नहीं पाता कि पूर्वोत्तर को क्यों विकसित नहीं किया जा सकता है।" इस आशा और उम्मीद के साथ पूर्वोत्तर के लोग जो अब तक वंचित रहे हैं,उनके सम्मुख विकास का एक नया क्षितिज खुल रहा है, उन्हें आगे बढ़कर इस नए युग का स्वागत करना चाहिए।

शायद तब, इस सवाल का समाधान हो सके कि, 'हम पूर्वोत्तर को मुख्यधारा कैसे सम्मिलित किया जा सकता है?' ❑

## औषधीय व सुरभित पौधों से संबंधित अंतरमंत्रालयी समिति

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक औषधीय व सुरभित पौधों (एमएपी) से संबंधित अंतरमंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है। इसका निर्णय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभागों के सचिवों व आयुष के मध्य हुई बैठक के बाद लिया गया। आईएमसी औषधीय व सुरभित पौधों वाले क्षेत्र को समर्थ बनाने के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के साथ तालमेल बिठाती है ताकि यह क्षेत्र अपनी संभावनाओं के अनुरूप संसाधनों का विकास कर सके। आईएमसी आजीविका व आर्थिक रूपांतरण को बेहतर करने हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों में औषधीय व सुरभित पौधों के विकास, संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मंत्रालयों व विभागों को सहयोग करती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय एमएपी के आइएमसी हेतु समन्वयक की भूमिका में कार्य करेगा। समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएपी संसाधनों के प्रबंधन व विकास हेतु मौजूदा प्रणाली व संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। समिति मौजूदा प्रणाली व संस्थागत व्यवस्थाओं के अंतराल (गैप्स) की पहचान करेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएपी संसाधनों को बढ़ाने के लिए व एमएपी क्षेत्र के विकास को तेज़ करने के लिए नीति सुझाएगी, संबंधित विभागों व मंत्रालयों के कार्यक्रमों व योजनाओं के विस्तार हेतु कार्ययोजना सुझाएगी।

समिति पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएपी संसाधनों की जुताई व टिकाऊ प्रबंधन पर आधारित आजीविका व आर्थिक रूपांतरण को बेहतर करने के लिए उपयुक्त उपाय भी सुझाएगी। समिति में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संबंधित क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। ❑

## लेखकों से अनुरोध

- 'योजना' विकास संबंधी विषयों पर केंद्रित मासिक है। पत्रिका में हर माह आगामी अंक का केंद्रीय विषय प्रकाशित किया जाता है। लेखकों से अनुरोध है कि प्रकाशन हेतु केंद्रीय विषय के अनुसार ही रचनाएं भेजें।
- रचनाएं भेजते समय रचना की प्रति अपने पास अवश्य रखें। सामान्यत: रचनाएं वापस नहीं भेजी जातीं। रचना की वापसी के लिए यथाउचित मूल्य के टिकट और पता लिखा लिफाफा भेजें।
- ई-मेल से भेजी जाने वाली रचनाएं Microsoft Word में Krutidev 010 font में टाइप करके yojanahindi@gmail.com पर भेजी जा सकती है।
- संपादकीय पत्र व्यवहार का पता है: संपादक (योजना), प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 648, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 011-24365920

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE / ONLINE Classes also available

# सामान्य अध्ययन

## फाउंडेशन कोर्स 2019

- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

DELHI: 17 April | JAIPUR: 15 May

Starting soon at LUCKNOW

- प्रारंभिक परीक्षा के लिए
- मुख्य परीक्षा के लिए

## इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- निबंध लेखन शैली की कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

**PT 365** One Year Current Affairs for Prelims

English Medium | 21 Mar | हिन्दी माध्यम | 5 April

**MAINS 365** English Medium | हिन्दी माध्यम

- One Year Current Affairs for Mains

## ALL INDIA TEST SERIES

Get the Benefit of Innovative Assessment System from the leader in the Test Series Program

**PRELIMS**

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ CSAT (हिन्दी माध्यम में भी)

**MAINS**

- ✓ General Studies (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Essay (हिन्दी माध्यम में भी)
- ✓ Philosophy ✓ Sociology
- ✓ Geography

## PHILOSOPHY

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

*by* **Anoop Kumar Singh**

**@ JAIPUR | PUNE**

- Includes comprehensive and updated study material
- Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

500+ Selections in CSE 2015

15 in top 20

70+ Selections in Top 100 in CSE 2016

TINA DABI
AIR-1

ANMOL SHER SINGH BEDI
AIR-2

SAUMYA PANDEY
AIR-4

ABHILASH MISHRA
AIR-5

/visionias.upsc | /Vision_IAS | /c/VisionIASdelhi

www.visionias.in

| DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD |
|---|---|---|---|
| 8468022022 | 9001949244 | 8007500096 | 9000104133 |
| 9650617807 | 9799974032 | 020-40040015 | 9494374078 |

**DELHI** • 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

YH-800/2017

## अब उपलब्ध

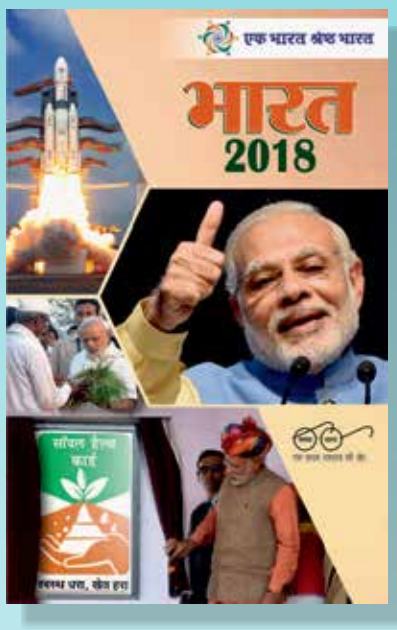


# भारत 2018

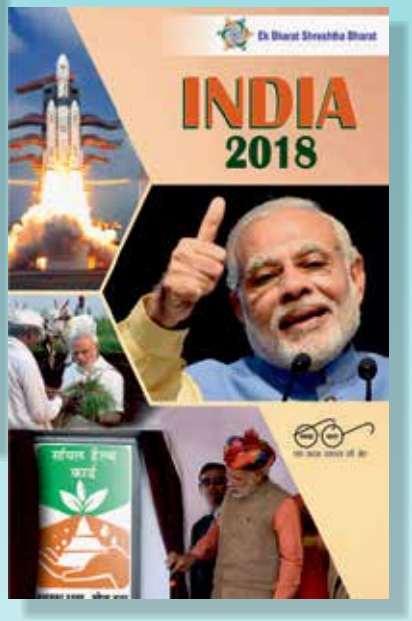


भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारियों से परिपूर्ण पुस्तक

amazon.in और play.google.com पर
'ई बुक' के रूप में भी उपलब्ध

**प्रकाशन विभाग**
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ऑनलाइन आर्डर के लिए
लॉग इन करें – www.bharatkosh.gov.in
या www.publicationsdivision.nic.in
अथवा संपर्क करें –
फोन – 011 24367453, 24367260, 24365609

**प्रकाशन विभाग की अत्याधुनिक पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन में पधारें**

@ DPD_India

www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

# इंडिया/भारत 2018 का विमोचन

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने 27 फरवरी, 2018 को इंडिया/भारत-2018 का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भिका है। इस संदर्भिका का ई-संस्करण भी जारी किया गया। इस पुस्तक का 62 वर्षों से लगातार प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों, ग्रामीण एवं शहरी, उद्योग एवं आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं मानव संसाधन विकास, कला एवं संस्कृति, नीति एवं अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, जन संचार एवं प्रौद्योगिकी पर विस्तार से जानकारी दी जाती है। प्रस्तुत संदर्भिका सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं और भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण आंकड़ों की झलक भी प्रस्तुत करती है।

*प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक संदर्भिका 'इंडिया 2018 तथा भारत 2018' का नयी दिल्ली में 27 फरवरी 2018 को लोकार्पण करती हुईं केंद्रीय वस्त्र तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रमती स्मृति जुबिन ईरानी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री एन के सिन्हा तथा प्रकाशन विभाग की महानिदेशक डॉ. साधना राउत भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।*

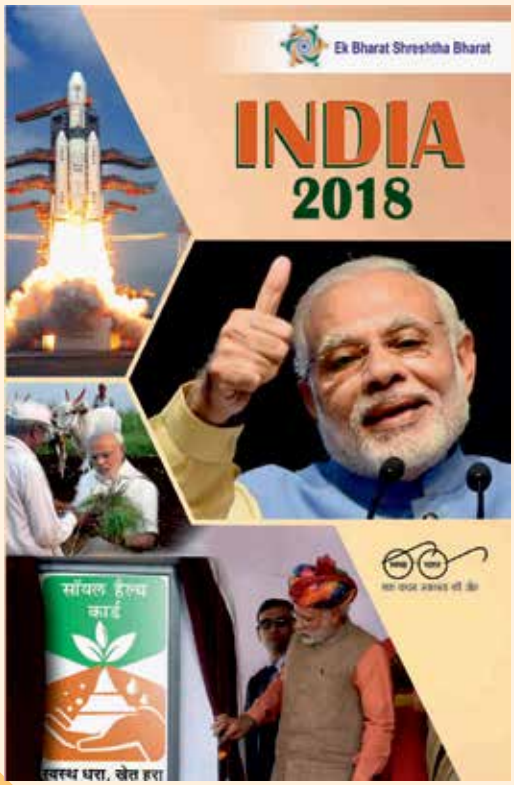


पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ई-पब प्रारूप में तैयार किया जाता है और विभिन्न उपकरणों जैसे टेबलेट, कंप्यूटर, ई-रीडर और स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। ई-बुक तकनीकी रूप से सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और पुस्तक के प्रिंट संस्करण की प्रतिकृति है। इसमें हाइपरलिंक्स, हाइलाइटिंग, बुक मार्किंग और इंटरएक्टिविटी जैसी पाठक-अनुकूल सुविधाएं मौजूद हैं।

इस अवसर पर ईरानी ने कहा कि इंडिया/भारत 2018 का ऑनलाइन संस्करण उन शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की मदद करेगा जो अक्सर इंटरनेट पर जानकारी तलाशते हैं। यह न केवल प्रशासन का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों, बल्कि शोधकर्ताओं और विद्यार्थी समुदाय के लिए भी संदर्भ का काम करेगा।

मुद्रित पुस्तक (पी-बुक) की कीमत 350 रुपए है और इसे प्रकाशन विभाग के 8 सेल्स एम्पोरियम एवं 3 क्षेत्रीय कार्यालयों और देश भर में विभाग के अधिकृत एजेंटों से खरीदा जा सकता है। यह Bharatkosh पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध है, और प्रकाशन विभाग की वेबसाइट, www.publicationsdivision.nic.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

ईबुक का मूल्य 263 रुपए है और यह ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अमेजन और गूगल प्ले बुक्स पर भी उपलब्ध है। ❑

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2018-20
Reg.No. D.L. (s)-05/3231/2018-20 at RMS, Delhi
29 मार्च, 2018 को प्रकाशित • 2-3 अप्रैल, 2018 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2018-20
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57


# अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

## यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./सेट परीक्षा

### नवीन पाठ्यक्रमानुसार 2018

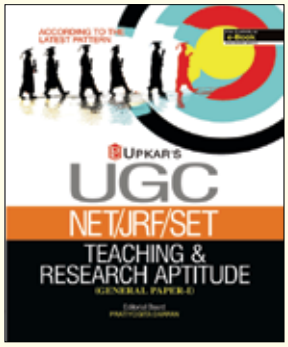


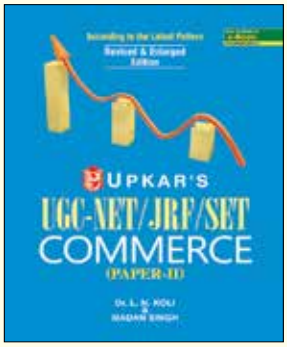

| Useful Books | Code | Price |
|---|---|---|
| UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I) | 420 | 355.00 |
| UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I) | 1553 | 310.00 |
| UGC-NET Teaching & Research Aptitude (Gen. Paper-I) | 1761 | 280.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET (Gen. Paper-I) | 1781 | 180.00 |
| UGC-NET Geography (Paper-II) | 1735 | 560.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Geography | 1927 | 175.00 |
| UGC-NET English (Paper II) | 1549 | 310.00 |
| UGC-NET English Literature (Paper II) | 1723 | 330.00 |
| UGC-NET English Literature (Paper II) | 1736 | 475.00 |
| UGC-NET PWB English | 1809 | 185.00 |
| UGC-NET Commerce (Paper-II ) | 1861 | 475.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Commerce | 1937 | 220.00 |
| UGC-NET Computer Science (Paper-II) | 894 | 750.00 |
| UGC-NET Physical Education (Paper-II) | 931 | 445.00 |
| UGC-NET Management (Paper-II) | 1972 | 595.00 |
| UGC-NET Management (Paper-II) | 1813 | 499.00 |
| UGC-NET Education (Paper-II) | 1815 | 399.00 |
| UGC-NET PWB Education | 1803 | 235.00 |
| UGC-NET Visual Art (Paper-II) | 1752 | 180.00 |
| UGC-NET Economics (Paper-II) | 1775 | 575.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Economics | 1943 | 199.00 |
| UGC-NET Sociology (Paper-II) | 1971 | 625.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Sociology | 1924 | 185.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Psychology | 1938 | 180.00 |
| UGC-NET Mass Communication and Journalism (Paper-II) | 1764 | 510.00 |
| UGC-NET History (Paper-II) | 1769 | 540.00 |
| UGC-NET History (Paper-II) Facts At a Glance (With Multiple Choice Questions) | 1773 | 350.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET History | 1931 | 170.00 |
| UGC-NET Home Science (Paper-II) | 1771 | 550.00 |
| *Practice Sets* UGC-NET Home Science | 1939 | 165.00 |
| UGC-NET Political Science (Paper-II) | 1777 | 670.00 |
| UGC-NET Library & Information Science (Paper-II) | 1785 | 355.00 |
| UGC-NET Social Work (Paper-II) | 1791 | 325.00 |
| UGC-NET PWB Human Resource Management | 1810 | 255.00 |

| उपयोगी पुस्तकें | Code No. | Price |
|---|---|---|
| UGC-NET प्रैक्टिस वर्क बुक जनरल पेपर-I | 2226 | 145.00 |
| UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. लाल, जैन एवं डॉ. वशिष्ठ*) | 200 | 295.00 |
| UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. मिथिलेश पाण्डेय*) | 271 | 420.00 |
| UGC-NET जनरल पेपर-I (*डॉ. के. कौटिल्य*) | 2242 | 355.00 |
| UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2328 | 599.00 |
| UGC-NET प्रैक्टिस सैट संस्कृत | 2466 | 140.00 |
| UGC-NET अर्थशास्त्र *(डॉ. अनुपम अग्रवाल)* | 521 | 560.00 |
| UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 567 | 415.00 |
| UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 763 | 330.00 |
| UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2258 | 395.00 |
| UGC-NET प्रैक्टिस सैट एवं सॉल्वड् पेपर्स हिन्दी | 2467 | 235.00 |
| UGC-NET भूगोल (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2191 | 499.00 |
| UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2558 | 699.00 |
| UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र) महत्वपूर्ण तथ्य (वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों सहित) | 2212 | 450.00 |
| UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2206 | 525.00 |
| UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 682 | 370.00 |
| UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2256 | 355.00 |
| UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2459 | 550.00 |
| UGC-NET गृह विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 1337 | 530.00 |
| UGC-NET प्रैक्टिस सैट एवं सॉल्वड् पेपर्स समाजशास्त्र | 2483 | 245.00 |
| UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय प्रश्न-पत्र) (**लेखिका** : डॉ. आभा सिंह) | 2244 | 235.00 |
| UGC-NET दृश्य कला (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 10 | 220.00 |
| UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2269 | 380.00 |
| UGC-NET शिक्षाशास्त्र (द्वितीय प्रश्न-पत्र) (**लेखिका** : विनीता यादव) | 2273 | 410.00 |
| UGC-NET शारीरिक शिक्षा (द्वितीय प्रश्न-पत्र) | 2270 | 410.00 |

उपकार प्रकाशन | 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, **आगरा**-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330
• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in
• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्दौर 9203908088

YH-644/11/2017

प्रकाशक व मुद्रक: डॉ. साधना राउत, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक: ऋतेश पाठक